बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 यथा अद्यतन संषोधित को निरसित एवं प्रतिस्थापित करने हेतु अधिनियम। भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियति हो :–

अध्याय - I

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ – (i) यह अधिनियम बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 कहलाएगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा सिवाय उन क्षेत्रों के जहां पटना नगर निगम अधिनियम, 1951 (बिहार अधिनियम XIII , 1952) या बिहार एवं उड़ीसा म्युनिसिपल अधिनियम, 1922 (बिहार अधिनियम VII,1922) या कैन्टोनमेंट अधिनियम, 1924 (अधिनियम II, 1924) के उपबंध लागू हैं।

(iii) यह राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं – जब तक कि कोई बात, विषय अथवा संदर्भ के विरूद्ध नहीं हो, इस अधिनियम में,

(क) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्वाचित जिला परिषद् का अध्यक्ष;

(ख) ''पिछड़े वर्गों'' से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित है ''बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम– 1991'' (बिहार अधिनियम सं0–3, 1992) की अनुसूची –1 में विनिर्दिष्ट पिछड़ा वर्ग के नागरिकों की सूची ;

(ग) "प्रखंड" से अभिप्रेत है किसी जिला का वह स्थानीय क्षेत्र, जिसे राज्य सरकार प्रखंड के रूप में गठित करे;

(घ) "प्रखंड विकास पदाधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त कोई पदाधिकारी;

(ङ) "मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त जिला परिषद् का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,

(च) ''आयोग'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–ट के साथ पठित अनुच्छेद 243–य क के अधीन गठित राज्य निर्वाचन आयोग;

(छ) "आयुक्त" से अभिप्रेत है प्रमंडलीय आयुक्त या ऐसा कोई पदाधिकारी जिसे इस अधिनियम के अधीन आयुक्त के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो;

(ज) ''फौजदारी मुकदमा'' से अभिप्रेत है ग्राम कचहरी की न्यायपीठ द्वारा विचारणीय किसी अपराध से संबंधित आपराधिक कार्यवाही;

(झ) "जिला" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा जिला के रूप में अधिसूचित जिला;

(ञ) "जिला दंडाधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी जिले का जिला दंडाधिकारी और इसमें वह अन्य पदाधिकारी शामिल है जिसे इस अधिनियम के अधीन जिला दंडाधिकारी के सभी कार्यो या किसी कार्य के निष्पादन के लिये राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किया गया हो;

(ट) "जिला पंचायत राज पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी जिले का जिला पंचायत राज पदाधिकारी और इसमें वह अन्य पदाधिकारी शामिल है जिसे इस अधिनियम के अधीन जिला पंचायत राज पदाधिकारी के सभी कार्यों या किसी कार्य के निष्पादन के लिये राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किया गया हो;

(ठ) "कार्यपालक पदाधिकारी" से अभिप्रेत है किसी पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी;

(ड) "ग्राम सभा" से अभिप्रेत है ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय ;

(ढ) ''ग्राम कचहरी'' से तात्पर्य है उस अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित ग्राम कचहरी;

(ण) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ,

(त) ''सदस्य, राजस्व पर्षद्'' से अभिप्रेत है सदस्य, राजस्व पर्षद या ऐसा अन्य पदाधिकारी जिसे इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सदस्य, राजस्व पर्षद् के कर्तव्यो के निर्वहन हेतु प्राधिकृत किया गया हो और इसमें अपर सदस्य, राजस्व पर्षद् भी सम्मिलित है ;

(थ) "ग्राम पंचायत का सदस्य" से अभिप्रेत है उस पंचायत का निर्वाचित सदस्य;

(द) "मुखिया" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम पंचायत का निर्वाचित मुखिया;

(ध) ''नगरपालिका'' से अभिप्रेत है भारत संविधान के अनुच्छेद 243–थ के अधीन गठित स्वशासी –संस्था;

(न) ''मुंसिफ''– ग्राम पंचायत के संदर्भ में मुंसिफ से अभिप्रेत है ऐसा मुंसिफ जिसे ऐसे क्षेत्र में जहॉ ऐसी पंचायत गठित है, स्थानीय क्षेत्राधिकार हो तथा इसमें लघु वाद न्यायालय भी सम्मिलित है ;

(प) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है राज्य अथवा जिला गजट में प्रकाशित अधिसूचना;

(फ) 'ग्राम कचहरी का पंच'' से अभिप्रेत है उस ग्राम कचहरी का निर्वाचित पंच;

(ब) "पंचायत" से अभिप्रेत है ग्रामीण क्षेत्र के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित स्वशासी संस्था;

(भ) "पंचायत क्षेत्र" से अभिप्रेत है किसी पंचायत का क्षेत्रीय भाग;

(म) "पंचायत समिति" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक प्रखंड के लिए गठित पंचायत समिति;

(य) "पंचायत सचिव" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी ग्राम पंचायत का सचिव;

(क क) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए नियमों या विनियमों या अधिसूचनाओं या आदेशों के अधीन विहित;

(क ख) "विहित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के किसी या सभी प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा एतद्धीन जारी अधिसूचना या बनाई गई नियमावली या विनियमावली या किये गये आदेश द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी;

(क ग) "जनसंख्या" से अभिप्रेत है और इसमें शामिल है, अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, जिससे संबंधित आंकड़े प्रकाशित किये जा चुके हों, के आधार पर यथा अभिनिश्चित जनसंख्या;

(क घ) "प्रमुख" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन पंचायत समिति का निर्वाचित प्रमुख;

(क ङ) ''सरपंच'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन ग्राम कचहरी का निर्वाचित सरपंच;

(क च) "स्थायी समिति" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन किसी जिला परिषद् या किसी पंचायत समिति या किसी ग्राम पंचायत द्वारा गठित स्थायी समिति;

(क छ) "अनुमंडल दंडाधिकारी'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अनुमंडल का अनुमंडल दंडाधिकारी और इसके अन्तर्गत शामिल कोई अन्य पदाधिकारी है, जिसे इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमंडल दंडाधिकारी के सभी या किन्ही कृत्यों का निर्वहन करने के लिये विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किया गया हो ;

(क ज) ''वाद'' से अभिप्रेत है ग्राम कचहरी की न्यायपीठ द्वारा विचारणीय वाद;

(क झ) "उपाध्यक्ष" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन किसी जिला परिषद् का निर्वाचित उपाध्यक्ष ;

(क ञ) "उपमुखिया" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन किसी ग्राम पंचायत का निर्वाचित उप–मुखिया;

(क ट) "उप–प्रमुख" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन किसी पंचायत समिति का निर्वाचित उप–प्रमुख;

(क ठ) ''उप–सरपंच'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन किसी ग्राम कचहरी का निर्वाचित उप–सरपंच

(क ड) "ग्राम" से अभिप्रेत है वह क्षेत्र, जो जिले के राजस्व अभिलेख में विशिष्ट एवं पृथक ग्राम के रूप में अभिलिखित, परिभाषित एवं सर्वेक्षित हो;

(क ढ) "जिला परिषद्" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन गठित किसी जिले का जिला परिषद् ;

अध्याय - II

ग्राम सभा

3. बैठक की अवधि– ग्राम सभा की बैठक समय–समय पर होगी किन्तु किन्हीं दो बैठकों के बीच का अन्तराल तीन महीने से अधिक का नहीं होगा।

4. बैठकों का आयोजन–(1) ग्राम सभा की बैठक की सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय में चिपका दी जायेगी और इसे डुगडुगी पिटवा कर अथवा यथाविहित प्रचार के अन्य माध्यमों से जनता की जानकारी में लाया जाएगा।

(2) ग्राम सभा की बैठक के आयोजन और संचालन की प्रक्रिया वही होगी जो विहित की जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन यथानिर्दिष्ट अन्तराल पर नियमित रूप से ग्राम सभा की बैठक का आयोजन करने का दायित्व मुखिया का होगा। यदि वह यथा विनिर्दिष्ट रीति से बैठक का आयोजन नहीं कर पाता हो तो पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की जानकारी में इस तथ्य के लाये जाने पर वह ऐसी बैठक का आयोजन कर सकेगा । कार्यपालक पदाधिकारी ऐसी बैठक में भाग लेने हेतु अपने स्थान पर किसी सरकारी सेवक को प्रतिनियुक्त कर सकेगा ।

5. गणपूर्त्ति (कोरम) – (1) किसी बैठक की गणपूर्त्ति (कोरम) ग्राम सभा के कुल सदस्यों के बीसवें भाग से पूरी होगी।

(2) किसी बैठक के लिए नियत समय पर यदि गणपूर्त्ति (कोरम) नहीं होती हो, अथवा यदि बैठक आरम्भ हो जाये और गणपूर्त्ति की कमी की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाये तो ऐसी स्थिति में पीठासीन प्राधिकारी एक घंटा तक प्रतीक्षा करेगा और यदि उस अवधि के भीतर भी गणपूर्त्ति नहीं होती हो तो पीठासीन प्राधिकारी उस बैठक को अगले दिन अथवा आने वाले किसी ऐसे दिन को ऐसे समय के लिए, जो उसके द्वारा निर्धारित किया जायगा, स्थगित कर देगा। गणपूर्त्ति की कमी के चलते स्थगित ऐसी बैठक में यदि निर्धारित विषय पर विचार नहीं हो सका हो तो स्थगित बैठक के बाद की बैठक अथवा बैठकों के समक्ष उसे रखा और निष्पादित किया जायेगा जिसके लिए गणपूर्त्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों के चालीसवें भाग से पूरी होगी।

6. पीठासीन पदाधिकारी– ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबद्ध ग्राम पंचायत का मुखिया और उसकी अनुपस्थिति में उप –मुखिया करेगा।

7. विचारणीय विषय–ग्राम सभा निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगीः–

(क) ग्राम पंचायत का वार्षिक लेखा विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक प्रतिवेदन और इसके संबंध में दी गई पिछली अंकेक्षण टिप्पणी और उसके उत्तर, यदि कोई हों;

(ख) अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत का बजट,

(ग) ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों के संबंध में पूर्ववर्ती वर्ष का प्रतिवेदन और चालू वर्ष के दौरान शुरू किये जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यक्रम,

(घ) निगरानी समिति के प्रतिवेदन।

8. संकल्प– इस अधिनियम के अधीन ग्राम सभा को सुपुर्द विषयों से संबंधित किसी संकल्प को ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाएगा।

9. कृत्य– ग्राम सभा निम्नांकित कृत्यों का संपादन करेगीः–

(क) गाँव से संबंधित विकास स्कीमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना;

(ख) गाँव के विकास स्कीमों का कार्यान्वन करने के लिए लाभान्वित होने वालों की पहचान करना ;

परन्तु यदि समुचित समय के भीतर ग्राम सभा लाभान्वित होने वालों की पहचान करने में विफल रहती हो , तो ग्राम पंचायत ऐसे लाभान्वितों की पहचान करेगी;

(ग) सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए नकद या जिन्स में या दोनों रूपों में अंशदान और स्वैच्छिक श्रमदान का सहयोग प्राप्त करना;

(घ) गाँव के भीतर जन शिक्षा और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सभी तरह के सहयोग देना;

(ङ) गाँव में समाज के सभी वर्गो के बीच एकता और सौहार्द बढ़ाना;

(च) ग्राम पंचायत के मुखिया, उप–मुखिया और सदस्यों से किसी विशिष्ट कियाकलाप , स्कीम, आय और व्यय के संबंध में स्पष्टीकरण मांगना,

(छ) निगरानी समिति के प्रतिवेदन के संदर्भ में विचार–विमर्श करना एवं उपयुक्त कार्रवाई हेतु अनुशंसा करना ।

(ज) ऐसे अन्य विषय जो विहित किये जायें।

10. निगरानी समिति – ग्राम पंचायत के कार्यों, स्कीमों और अन्य कार्य–कलापों, जो उस ग्राम से संबंधित हों, का पर्यवेक्षण करने और उनसे संबंधित रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत करने के लिए ग्राम सभा एक या अधिक निगरानी समितियां भी गठित कर सकेगी, जिसमें वैसे व्यक्ति रहेंगे जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं हों।

अध्याय - III

ग्राम पंचायत

11. ग्राम पंचायत क्षेत्र की घोषणा–(1) सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन जिला दंडाधिकारी जिला गजट में अधिसूचना निकालकर किसी स्थानीय क्षेत्र को, जिसमें कोई गाँव या निकटस्थ गाँव के समूह या उसका कोई भाग होगा, ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकेगा जिसके क्षेत्र की जनसंख्या, यथा संभव सात हजार के निकटतम होगी,

परन्तु जिला दंडाधिकारी संबद्ध ग्राम पंचायत से परामर्श कर अधिसूचना द्वारा किसी भी समय उस ग्राम पंचायत में किसी गाँव या उसके किसी भाग को शामिल या उससे अलग कर सकेगा और ग्राम पंचायत के नाम को बदल सकेगा।

(2) यदि राज्य निर्वाचन आयोग स्वप्रेरणा से अथवा किसी व्यथित व्यक्ति से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इस राय का हो कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण है, तो वह उप धारा (1) के अधीन घोषित किसी ग्राम पंचायत की वैधिकता एवं औचित्य का पुनर्विलोकन कर सकेगा और इस निमित्त संगत अभिलेखों की मांग कर सकेगा तथा ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन आयोग उपयुक्त एवं उचित समझे ।

परन्तु अधिनियम की धारा 124 के अधीन राज्यपाल द्वारा पंचायत निर्वाचन की तिथि अधिसूचित किये जाने के पश्चात आयोग ऐसे किसी नये मामले पर विचार नहीं करेगा ।

(3) प्रत्येक ग्राम पंचायत अपनी ग्राम पंचायत के नाम से एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा एवं इसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा ऐसे प्रतिबंधों के अध्यधीन जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अथवा किसी अन्य अधिनियम द्वारा अधिरोपित हो, उसमें अपने निगमित नाम से वाद चलाने या उस पर वाद चलाए जाने को अथवा अपनी प्राधिकारिता की परिसीमाओं के भीतरी या बाहरी क्षेत्र में चल या अचल सम्पति को अर्जित, धारण और अन्तरण करने अथवा संविदाएं करने की और जिस निमित्त इसका गठन किया गया है, उसके प्रयोजनार्थ आवश्यक, समुचित और समीचीन सभी कार्य करने की शक्ति निहित होगी।

12. ग्राम पंचायत की संरचना –(1) ग्राम पंचायत की संरचना निम्नलिखित होगी –

(क) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्वाचित मुखिया, और

(ख) ग्राम पंचायत के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित उतने सदस्य जितनी संख्या समय–समय पर जिला दंडाधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाये और ऐसा प्रत्येक सदस्य ग्राम पंचायत क्षेत्र की पॉच सौ या उसके यथासंभव निकटतम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा।

(2) चुनाव की सुविधा की दृष्टि से जिला दंडाधिकारी राज्य सरकार द्वारा यथाविहित नियमों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में ग्राम पंचायत के क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभक्त करेगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या , यथासाध्य, सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र में एक समान हो।

(3) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य यथा विहित रीति से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किया जायेगा ।

(4) इस घारा के अधीन गठित प्रत्येक ग्राम पंचायत जिला गजट में अधिसूचित की जाएगी और अपनी पहली बैठक की नियत तिथि से प्रभावी होगी ।

13. **स्थान का आरक्षण –** (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के सदस्यों के कुल स्थानों के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु इससे अनधिक स्थान निम्न के लिए आरक्षित किये जायेंगेः–

(क) अनुसूचित जाति;

(ख) अनुसूचित जनजाति; और

(ग) पिछड़े वर्ग।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो अनुपात उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है, और ऐसे स्थान किसी ग्राम पंचायत में भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को विहित रीति से चक्रानुक्रम में जिला दंडाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में आवंटित किये जायेंगे।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के पश्चात् शेष बचे स्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या कुल स्थानों के बीस प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक होगी तथा अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुल मिलाकर पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी, तथा इन स्थानों को विहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा शेष निर्वाचन क्षेत्रों को

आवंटित किया जायेगा । वैसे स्थान उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में उसके द्वारा विहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किये जायेंगे।

(2) उप–धारा (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं किये गये हैं, उनमें से पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे ।

(4) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं तथा अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित ऐसे स्थान ग्राम पंचायत में भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में तथा इसके द्वारा यथाविहित रीति से चक्रानुक्रम से जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किये जायेंगे ।

स्पष्टीकरण – शंकाओं के निवारण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उप–धारा के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धान्त बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रारम्भ होने के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारम्भ होगा ।

14. ग्राम पंचायत की अवधि–(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो, अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से पांच वर्षो की अवधि तक, न कि उससे अधिक, बनी रहेगी।

(2) तत्समय प्रवृत किसी विधि में किसी प्रकार के संशोधन के फलस्वरूप कोई ग्राम पंचायत, जो ऐसे संशोधन के तुरंत पहले से कार्य कर रही हो, उपखंड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक विघटित नहीं होगी ।

(3) ग्राम पंचायत गठित करने के लिए निर्वाचनः–

(क) उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व, और

(ख) उसके विघटन की तारीख से छः महीने की अवधि के अवसान के पूर्व,

पूरा कर लिया जायेगा ,

परन्तु यह कि शेष अवधि जिसके लिए कोई विघटित ग्राम पंचायत बनी रहती यदि छः महीने से कम की हो, तो वैसी अवधि के लिए उस ग्राम पंचायत के गठन हेतु इस उप–धारा के अधीन निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(4) ग्राम पंचायत के कार्यकाल के अवसान के पूर्व किसी ग्राम पंचायत के विघटन पर गठित की गयी ग्राम पंचायत उस अवधि के शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिस अवधि तक विघटित ग्राम पंचायत उप–धारा (1) के अधीन बनी रहती यदि वह इस प्रकार विघटित न की जाती।

15. मुखिया एवं उप–मुखिया का निर्वाचन–(1) मुखिया उसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होगा।

(2) मृत्यु , त्याग–पत्र, अयोग्यता, पदच्युति, अथवा अन्य कारण से मुखिया का पद रिक्त होने पर उस ग्राम पंचायत में यथाशीघ्र उप–धारा (1) के उपबंधों के अधीन मुखिया निर्वाचित किया जायेगा।

परन्तु यदि मुखिया का पद छः माह से कम अवधि के लिए रिक्त हो तो चुनाव नहीं कराया जायेगा ।

(3) (i) चुनाव के पश्चात प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अपनी प्रथम बैठक में अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के उपबंधों के अधीन चुने गए सदस्यों में से एक उप–मुखिया का चुनाव उनके द्वारा बहुमत से किया जायेगा।

(ii) उप–मुखिया के चुनाव में ग्राम पंचायत का मुखिया मतदाता होगा ।

(iii) उप–मुखिया के चुनाव में मतों के बराबर होने की स्थिति में परिणाम लौटरी के द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

(4) (i) यदि किसी ग्राम पंचायत में मुखिया एवं उप–मुखिया के पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं तो संबद्ध पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी इस प्रकार की स्थिति होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर उप–मुखिया के चुनाव हेतु बैठक बुलाएगा , जिसके लिए सदस्यों को कम से कम सात दिन पहले सूचना दी जाएगी ।

(ii) ऐसी बैठक की अध्यक्षता संबंधित पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी करेगा, परन्तु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(iii) मतों की बराबरी की स्थिति में परिणाम लॉटरी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

(5) स्थान का आरक्षण– (i) मुखिया के पद के लिए प्रत्येक पंचायत समिति के अन्तर्गत मुखिया के कुल पदों के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान निम्न के लिए आरक्षित किये जायेंगेः–

(क) अनुसूचित जाति;

(ख) अनुसूचित जनजाति; और

(ग) पिछड़े वर्ग।

प्रत्येक पंचायत समिति के अन्तर्गत मुखिया के पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे तथा इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत समिति में मुखिया के पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो अनुपात उस पंचायत समिति क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है, और ऐसे स्थान किसी पंचायत समिति के अन्तर्गत भिन्न–भिन्न ग्राम पंचायतों को विहित रीति से राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में चक्रानुक्रम में जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किये जायेंगे।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन–जातियों के लिए मुखिया के पदों के आरक्षण के पश्चात् शेष बची ग्राम पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या कुल पदों के बीस प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक होगी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुल मिलाकर पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी तथा इन पदों को विहित रीति से पंचायत समिति की शेष ग्राम पंचायतों को जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किया जाएगा। ऐसे पद उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में इसके द्वारा विहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा पंचायत समिति के अन्तर्गत भिन्न–भिन्न ग्राम पंचायतों को आवंटित किए जाएंगे।

(ii) उप धारा (i) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे।

(iii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं किये गये हैं, उनमें से पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे ।

(iv) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों की महिलाओं एवं अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित ऐसे स्थान ग्राम पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य

निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में तथा इसके द्वारा विहित रीति से चक्रानुक्रम से जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किये जायेंगे ।

स्पष्टीकरण – शंकाओं के निवारण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उप–धारा के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धान्त बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 के प्रारम्भ होने के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारम्भ होगा ।

16. मुखिया और उप–मुखिया की पदावधि – ग्राम पंचायत के मुखिया और उप–मुखिया की पदावधि, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में उसकी पदावधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी।

17. मुखिया और उप–मुखिया की शक्तियां, कृत्य और कर्त्तव्य –(1) मुखिया –

(क) ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने का उत्तरदायी होगा और इसकी बैठकों की अध्यक्षता करेगा,

(ख) ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित करने का उत्तरदायी होगा और इसकी बैठकों की अध्यक्षता करेगा,

(ग) ग्राम पंचायत के अभिलेखों के समुचित संधारण का उत्तरदायी होगा ,

(घ) ग्राम पंचायत की वित्तीय और कार्यकारणी प्रशासन के लिए सामान्यतः उत्तरदायी होगा,

(ङ) ग्राम पंचायत के कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों और वैसे कर्मचारियों, जिनकी सेवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के अधीन सौंपी गई हो, के कार्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखेगा,

(च) इस अधिनियम से संबंधित कार्यो को करने के लिए या एतद् द्वारा प्राधिकृत कोई आदेश करने के प्रयोजनार्थ ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कार्यो का निष्पादन करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा जिनका प्रयोग, निष्पादन या निर्वहन इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाई गई नियमावली के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा किया जा सके,

परन्तु मुखिया ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कार्यो का निष्पादन या ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली की अपेक्षानुसार केवल

ग्राम पंचायत द्वारा ही अपनी बैठक में प्रयोग करने, निष्पादन करने या निर्वहन करने की अपेक्षा हो।

(छ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग, ऐसे अन्य कार्यो का निष्पादन तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो ग्राम पंचायत द्वारा सामान्य या विशेष प्रस्ताव द्वारा यथा निदेशित हो अथवा इसके लिए बनाई गई नियमावली के अधीन सरकार द्वारा यथाविहित हो।

(2) उप–मुखिया–(क) मुखिया की ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कार्यों का निष्पादन और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो इसके लिए सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली के अध्यधीन मुखिया द्वारा उसे समय–समय पर लिखित आदेश रूप में प्रत्यायोजित किया जाए।

परन्तु मुखिया इस प्रकार प्रत्यायोजित सभी या किन्हीं शक्तियों, कार्यो और कर्त्तव्यों को उप–मुखिया से किसी भी समय वापस ले सकेगा,

(ख) मुखिया की अनुपस्थिति में, मुखिया की सभी शक्तियों का प्रयोग, सभी कार्यो का निष्पादन एवं सभी कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा,

परन्तु जैसे ही मुखिया उपस्थित हो जाये, वह अपने अधिकारों को स्वतः ग्रहण कर लेगा तथा मुखिया के सभी कार्यो का सम्पादन एवं सभी कर्तव्यों का निर्वहन आरम्भ करेगा।

(ग) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग, ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन एवं ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो ग्राम पंचायत सामान्य या विशेष प्रस्ताव द्वारा यथा निदेशित करे या इसके लिए बनाई गई नियमावली द्वारा सरकार विहित करे।

18. मुखिया या उप–मुखिया का त्याग–पत्र या हटाया जाना – (1) मुखिया/ उप–मुखिया जिला पंचायत राज पदाधिकारी को स्वयं लिखकर, अपने पद से त्याग–पत्र दे सकेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन प्रत्येक त्याग–पत्र, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को उसकी प्राप्ति की तिथि से सात दिन की समाप्ति पर प्रभावी हो जाएगा यदि सात दिनों की इस अवधि में वह जिला पंचायत राज पदाधिकारी को स्वयं लिखकर ऐसा त्याग–पत्र वापस न ले ले।

(3) प्रत्येक उप–मुखिया, यदि वह ग्राम पंचायत का सदस्य न रह जाए तो, अपने पद को रिक्त कर देगा।

(4) (i) अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मुखिया को हटाया जाना – प्रत्येक मुखिया द्वारा उसी समय से अपना पद रिक्त कर दिया गया मान लिया जाएगा, यदि विशेष तौर पर इस प्रयोजन से बुलाई गई बैठक में ग्राम पंचायत के कुल मतदाताओं की संख्या के साधारण बहुमत से उसमें विश्वास न रहने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। ऐसी विशेष बैठक की अध्यपेक्षा ग्राम पंचायत की कुल

मतदाता संख्या के कम–से कम पंचमांश मतदाताओं के हस्ताक्षर से की जाएगी और वह जिला पंचायत राज पदाधिकारी को दी जाएगी। जिला पंचायत राज पदाधिकारी अध्यपेक्षा प्राप्त होने की तिथि से सात दिनों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत किसी स्थान पर ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक बुलाएगा। बैठक की नोटिस जारी होने की तिथि के 15 दिनों के भीतर बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक की अघ्यक्षता जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा की जायेगी;

परन्तु मुखिया की पदावधि के प्रथम दो वर्षो में ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव उसके विरूद्ध नहीं लाया जाएगा।

परन्तु और कि मुखिया के विरूद्व अविश्वास प्रस्ताव एक बार नामंजूर कर दिये जाने पर ऐसी नामंजूरी की तिथि से अगले एक वर्ष की कालावधि के भीतर कोई नया अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा ।

परन्तु यह और कि ग्राम पंचायत के कार्यकाल के अन्तिम छः माह के दौरान मुखिया के विरूद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा ।

(ii) अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उप मुखिया को हटाया जाना – प्रत्येक उप मुखिया द्वारा उसी समय से अपना पद खाली कर दिया गया मान लिया जाएगा, यदि विशेष तौर पर इस प्रयोजन से बुलाई गई बैठक में ग्राम पंचायत के कुल निर्वाचित सदस्यों एवं मुखिया की संख्या के साधारण बहुमत से उसमें विश्वास न रहने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। ऐसी विशेष बैठक की अध्यपेक्षा ग्राम पंचायत के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या के कम–से–कम एक तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर से मुखिया से की जाएगी और यह मुखिया को सुपुर्द कर दी जायेगी । अध्यपेक्षा प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर मुखिया ग्राम पंचायत के कार्यालय में प्रस्ताव पर विचार हेतु ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलायेगा तथा बैठक की अध्यक्षता भी करेगा ।

परन्तु उप–मुखिया की पदावधि के प्रथम दो वर्षो में ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव उसके विरूद्ध नहीं लाया जाएगा।

परन्तु और कि उप–मुखिया के विरूद्व अविश्वास प्रस्ताव एक बार नामंजूर कर दिये जाने पर ऐसी नामंजूरी की तिथि से अगले एक वर्ष की कालावधि के भीतर उप–मुखिया के विरूद्ध नया अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा ।

परन्तु यह और कि ग्राम पंचायत के कार्यकाल के अंतिम छः माह के दौरान उप–मुखिया के विरूद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा ।

(5) इस अधिनियम के अधीन उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ग्राम पंचायत पर अधिकारिता रखने वाले आयुक्त के विचार में यदि कोई मुखिया अथवा उप–मुखिया बिना समुचित कारण के तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने या जान–बूझकर इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों एवं अपने कर्तव्यों को करने से इन्कार या उपेक्षा करने या उसमें निहित शक्तियों के दुरूपयोग या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाये जाने या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम होने या किसी आपराधिक मामले का अभियुक्त होने के चलते छः माह से अधिक फरार हो जाने का दोषी हो तो आयुक्त ऐसे मुखिया या उप–मुखिया को स्पष्टीकरण हेतु समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत आदेश पारित कर यथास्थिति ऐसे मुखिया या उप–मुखिया को उसके पद से हटा सकेगा।

इस प्रकार हटाया गया मुखिया या उप–मुखिया ऐसी ग्राम पंचायत में उसकी शेष पदावधि के दौरान मुखिया या उप–मुखिया या ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा,

(6) आयुक्त के आदेश के विरूद्ध सदस्य, राजस्व पर्षद् के समक्ष अपील दायर की जा सकेगी ।

19. ग्राम पंचायत के सदस्यों का त्याग–पत्र – ग्राम पंचायत का कोई सदस्य ग्राम पंचायत के मुखिया को स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्याग–पत्र दे सकेगा और उसका पद ऐसे त्याग–पत्र की तिथि से सात दिन बीतने पर रिक्त हो जाएगा, बशर्ते कि उक्त सात दिन की अवधि के अन्तर्गत वह मुखिया को स्वयं लिखकर अपना ऐसा त्याग–पत्र वापस न ले ले।

20. ग्राम पंचायत की बैठक–(1) अपने कार्यो के निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत की बैठक, मुखिया द्वारा यथा नियत तिथि एवं समय पर ग्राम पंचायत कार्यालय में दो माह में कम–से–कम एक बार होगी।

(2) मुखिया, जब भी वह उचित समझे तब, और ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के कम–से–कम एक–तिहाई सदस्यों के लिखित अनुरोध पर, ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर, किसी तिथि को ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाएगा।

(3) साधारण बैठक के लिए पूरे सात दिनों की नोटिस तथा विशेष बैठक के लिए पूरे तीन दिनों की नोटिस, जिसमें ऐसी बैठक का स्थान, तिथि और समय तथा बैठक में निपटाए जाने वाले कार्य निर्दिष्ट होंगे, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सदस्यों तथा सरकार द्वारा यथाविहित पदाधिकारियों को दी जाएगी और उसे ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर लगाया जाएगा।

(4) उप–धारा (3) के अधीन जिन पदाधिकारियों को नोटिस दी जाए तथा संबंधित ग्राम पंचायत के क्षेत्र या उसके किसी भाग पर क्षेत्राधिकार रखने वाले अन्य सरकारी पदाधिकारी ग्राम पंचायत की प्रत्येक बैठक में तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने के हकदार होंगे, किन्तु उन्हें मत (वोट) देने का हक नहीं होगा।

(5) मुखिया यदि उप–धारा (2) में उपबंधित विशेष बैठक न बुलाये तो उप–मुखिया, या उसकी अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के एक–तिहाई सदस्य, उसके अधिक–से–अधिक पन्द्रह दिनों के अन्दर किसी दिन ऐसी बैठक बुला सकेंगे तथा ग्राम पंचायत सचिव से यह अपेक्षा करेंगे कि वह सदस्यों को इसकी नोटिस दे दे और बैठक बुलाने के लिए यथावश्यक कार्रवाई करे ।

21. गणपूर्त्ति और प्रकिया (1) ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्त्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी होगी। किसी बैठक के लिए नियत समय पर यदि गणपूर्त्ति नहीं होती हो, या यदि बैठक आरम्भ हो जाए और गणपूर्त्ति की कमी की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाए तो ऐसी स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी एक घंटा तक प्रतीक्षा करेगा, और यदि उसके अन्दर भी गणपूर्त्ति नहीं होती है तो पीठासीन पदाधिकारी उस बैठक को अगले दिन या भविष्य की ऐसी तिथि एवं समय, जैसा वह नियत करे, के लिए स्थगित कर देगा। गणपूर्त्ति की कमी के चलते यदि ऐसी स्थगित बैठक में किसी विषय पर विचार नहीं हो पाता है तो उसे स्थगित बैठक या बैठकों के समक्ष रखा और निष्पादित किया जाएगा जिसके लिए उसी प्रकार कुल सदस्य संख्या की आधी गणपूर्त्ति आवश्यक होगी ।

(2) जबतक अन्यथा विशिष्ट रूप से उपबंधित न हो, सभी मामलों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत और मतदान द्वारा किया जाएगा। यथास्थिति मुखिया या उप–मुखिया जो बैठक की अध्यक्षता करता हो, यदि वह मतदान से अपने आप को अलग नहीं रखता हो, किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में मतों की संख्या घोषित हो जाने के पहले अपना मत देगा और मतों की समानता की स्थिति में वह अपना निर्णायक मत देगा।

(3) ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ आने वाले किसी विषय पर मतदान नहीं करेगा अथवा उसके विचार विमर्श में भाग नहीं लेगा यदि वह विषय, सर्वसाधारण के सामान्य प्रयोजन को छोड़कर, ऐसा हो जिसमें उसका आर्थिक या व्यक्तिगत हित संबद्ध हो और यदि अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का ऐसा कोई हित हो तो वह विचारार्थ ऐसा विषय आने पर, बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा।

(4) यदि बैठक में उपस्थित किसी सदस्य को ऐसा विश्वास हो कि अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का किसी विचारणीय विषय में कोई आर्थिक या व्यक्तिगत हित संबद्ध है और यदि उक्त आशय का प्रस्ताव लाया गया हो, तो वह ऐसे विचार विमर्श के दौरान बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा या मतदान नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा। ग्राम पंचायत के किसी भी सदस्य को ऐसे विचार–विमर्श के चलते रहने के दौरान बैठक की अध्यक्षता के लिए चुना जा सकेगा।

22. ग्राम पंचायत के कार्य – सरकार द्वारा समय–समय पर यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्त्तों के अध्यधीन ग्राम पंचायत निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन करेगी :–

(i) सामान्य कार्य –

(1) पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाओं को तैयार करना।

(2) वार्षिक बजट तैयार करना।

(3) प्राकृतिक संकट में साहाय्य कार्य करने की शक्ति।

(4) लोक सम्पत्ति से अतिक्रमण हटाना।

(5) स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना और सामुदायिक कार्यों में सहयोग करना।

(6) गाँवों के अनिवार्य सांख्यिकी आँकड़ों का संधारण।

(ii) कृषि जिसमें कृषि विस्तार भी शामिल है

(1) कृषि और बागवानी का विकास और उन्नति।

(2) बंजर भूमि का विकास।

(3) चारागाह का विकास और अनुरक्षण तथा उसके अप्राधिकृत हस्तांतरण और उपयोग का निवारण।

(iii) पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन

(1) मवेशी की नस्ल, कुक्कुट और अन्य पशुधन की नस्ल में सुधार ।

(2) गव्यशाला, कुक्कुटपालन और सुअरपालन को बढ़ाना।

(3) चारागाह का विकास।

(iv) मत्स्यपालन –गाँवों में मत्स्यपालन का विकास

(v) सामाजिक और फार्म वनोद्योग, लघु वन उत्पाद, ईधन और चारा –

(1) सड़कों के किनारे और अपने नियंत्रणाधीन अन्य सार्वजनिक भूमि पर वृक्षों का रोपण और परिरक्षण।

(2) ईंधन के लिए वृक्षारोपण और चारा विकास ।

(3) फार्म वनोद्योग को बढ़ाना।

(4) सामाजिक वानिकी का विकास।

(vi) खादी ,ग्राम और कुटीर उद्योग –

(1) ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को बढ़ाना।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों के लाभ के लिए जागरूकता शिविर, विचारगोष्ठी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी आयोजन करना।

(vii) ग्रामीण गृह निर्माण –

(1) अपने क्षेत्राधिकार के भीतर गृहस्थलों का वितरण।

(2) गृह–स्थलों एवं अन्य निजी और सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण।

(viii) पेयजल –

(1) पेयजल के कुओं, हौजों, जलाशयों और चापाकलों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण।

(2) जल प्रदूषण का नियंत्रण और निवारण।

(3) ग्रामीण जलापूर्त्ति परियोजनाओं का अनुरक्षण।

(ix) सड़क, भवन, पुलिया, सेतु,, फेरी, जल मार्ग और अन्य संचार साधन –

(1) ग्रामीण सड़क, नाली और पुलिया का निर्माण और अनुरक्षण।

(2) अपने नियंत्रणाधीन या सरकार या किसी लोक प्राधिकार द्वारा अंतरित भवनों का अनुरक्षण ।

(3) नौका, फेरी और जलमार्ग का अनुरक्षण।

(x) सार्वजनिक गलियों तथा अन्य स्थानों में प्रकाश उपलब्ध कराने और उसके अनुरक्षण के लिए विद्युत वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण।

(xi) गैर परम्परागत उर्जा स्रोत –

(1) गैर परम्परागत उर्जा योजनाओं का उन्नयन एवं विकास।

(2) सामुदायिक गैर–परम्परागत उर्जा साधनों का अधिष्ठापन, विकास एवं अनुरक्षण।

(3) अन्य उर्जा–साधनों का प्रसार।

(xii) गरीबी उपशमन कार्यक्रम–

(1) पूर्ण नियोजन तथा उत्पादक आस्तियों आदि के सृजन के लिए लोगों में जागृति उत्पन्न करना एवं गरीबी उपशमन कार्यक्रम में भाग लेना।

(2) ग्राम सभाओं के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन लाभन्वित होने वाले व्यक्तियों का चयन ।

(3) गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के कारगर क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में सहयोग।

(xiii) शिक्षा, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा सहित –

(1) लोगों में जागृति उत्पन्न करना और प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में सहभगिता।

(2) प्राथमिक विद्यालयों में पूर्ण नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करना एवं उनका प्रबंधन

(xiv) वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा–

सर्व साक्षरता को बढ़ाना।

(xv) पुस्तकालय–

ग्रामीण पुस्तकालय एवं वाचनालय

(xvi) सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यकलाप–

सामाजिक, सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यकलापों को बढ़ाना।

(xvii) बाजार एवं मेले–

मेले (पशु मेले सहित) तथा पर्व–त्योहारों का संचालन एवं व्यवस्थापन।

(xviii) ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण –

(1) सामान्य स्वच्छता का अनुरक्षण;

(2) सार्वजनिक सड़कों, नालियों, तालाबों, कुओं तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों की सफाई;

(3) श्मशानों एवं कब्रगाहों का अनुरक्षण एवं संचालन;

(4) सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण एवं अनुरक्षण;

(5) लावारिस मानव एवं पशु के शवों का निपटान;

(6) स्नान एवं कपड़ा धुलाई घाटों का प्रबंधन एवं नियंत्रण;

(7) पर्यावरण का उन्नयन एवं उसके ह्रास का निवारण।

(xix) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण–

(1) परिवार कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र;

(2) महामारियों का निवारण एवं उसके उपचार के उपाय;

(3) मांस, मछली तथा अन्य नष्ट होने वाली खाद्य सामग्रियों की बिक्री का विनियमन;

(4) मानव एवं पशु के टीका कार्यक्रमों में सहभागिता;

(5) खान–पान एवं मनोरंजन स्थापनाओं को अनुज्ञापन;

(6) चमड़ा एवं खाल को कमाने, पकाने, और रंगने के कार्य का विनियमन;

(7) आपत्तिजनक एवं खतरनाक कारोबार का विनियमन ।

(xx) महिला एवं बाल विकास –

(1) महिला एवं बाल–कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहभागिता;

(2) शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमों का उन्नयन।

(xxi) शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण–

(1) शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्त, तथा असहाय व्यक्तियों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहभागिता;

(2) वृद्धावस्था तथा विधवा–पेंशन योजनाओं का अनुश्रवण।

(xxii) कमजोर वर्गो विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का कल्याण–

(1) अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गो के कल्याण के संबंध में जनजागृति बढ़ाना,

(2) कमजोर वर्गो के कल्याण के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वनयन में सहभागिता,

(xxiii) जनवितरण प्रणाली–

(1) आवश्यक वस्तुओं के वितरण के संबंध में जन जागृति को बढ़ाना,

(2) जन वितरण प्रणाली का अनुश्रवण ।

(xxiv) सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण–

(1) ग्राम पंचायत के सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण;

(2) अन्य सामुदायिक आस्तियों का परिरक्षण एवं अनुरक्षण।

(xxv) धर्मशालाओं, छात्रावासों और सदृश संस्थानों का निर्माण एवं अनुरक्षण।

(xxvi) खटालों, काँजी हाउस तथा ठेला स्टैंड का निर्माण एवं अनुरक्षण।

(xxvii) कसाईखानों का निर्माण एवं अनुरक्षण।

(xxviii) सार्वजनिक पार्क, खेलकूद का मैदान आदि का अनुरक्षण।

(xxix) सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ादानों की व्यवस्था।

(xxx) झोपड़ियों एवं शेडों का निर्माण एवं नियंत्रण, तथा

(xxxi) ऐसे अन्य कार्य जो सौपें जायें।

23. ग्राम पंचायत के कार्यो का आवंटन– (1) सरकार अधिसूचना द्वारा तथा उसमें विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अध्ययधीन–

(क) पंचायत क्षेत्र में अवस्थित वन का प्रबंधन और अनुरक्षण ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर सकेगी,

(ख) पंचायत क्षेत्र में अवस्थित सरकारी परती जमीन, चारागाह या खाली पड़ी हुई जमीन का प्रबंधन ग्राम पंचायत को सौप सकेगी।

(ग) सरकार की ओर से भू–राजस्व वसूल करने तथा इससे संबंधित अभिलेखों के अनुरक्षण का कार्यक्रम पंचायत को सौंप सकेगी, तथा

(घ) उसे ऐसे अन्य कार्य सौंप सकेगी जो विहित किये जायें,

परन्तु यह कि खण्ड (ग) के अधीन कोई भी सुपुर्दगी संबंधित ग्राम पंचायत की सहमति के बिना नहीं की जायेगी,

परन्तु यह और कि जब खंड (क) के अधीन किसी वन के प्रबंधन और अनुरक्षण का अंतरण किया जाय, तब सरकार यह निदेश देगी कि ऐसे प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए अपेक्षित कोई रकम अथवा उस वन से आय के किसी पर्याप्त अंश को ग्राम पंचायत के जिम्मे दे दिया जाए।

(2) इस धारा के अधीन सौंपे गए कार्यों को सरकार अधिसूचना द्वारा उपान्तरित, परिवर्तित अथवा वापस कर सकेगी।

24. ग्राम पंचायत की सामान्य शक्तियां–किसी ग्राम पंचायत को खासकर सौंपे गए, अभ्यर्पित और प्रत्यायोजित कार्यों के निर्वहन के लिए पूर्ववर्ती शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अध्यादेश के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट सभी शक्तियों के प्रयोग हेतु और एतद् संबंधी अन्य आनुषंगिक कार्य करने की शक्तियां होंगी ।

25. ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ– (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन हेतु निर्वाचित सदस्यों में से चुनाव द्वारा निम्नलिखित समितियों का गठन करेगी –

(i) योजना, समन्वय एवं वित्त समिति धारा 22 में वर्णित विषयों सहित ग्राम पंचायत से संबंधित सामान्य कृत्यों के करने के लिए, अन्य समितियों के कार्यों का समन्वय तथा अन्य समितियों के प्रभार में नहीं रहने वाले शेष कार्यों के सम्पादन के लिये

(ii) उत्पादन समिति – कृषि, पशुपालन, डेयरी , कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन , वानकी संबंधी प्रक्षेत्र, खादी , ग्राम या कुटीर उद्योग एवं गरीबी उपशमन संबंधी कार्यों को करने के लिए ।

(iii) सामाजिक न्याय समिति जो निम्न कार्य सम्पन्न करेगी–

(क) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा कमजोर वर्गों के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य हितों की उन्नति से संबंधित कार्य, एवं

(ख) ऐसी जातियों और वर्गों को सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से बचाने संबंधी कार्य,

(ग) महिलाओं एवं बच्चों का कल्याण।

(iv) शिक्षा समिति – प्राथमिक, माध्यमिक एवं जन शिक्षा, पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों से संबंधित कार्यों को करने के लिए ।

(v) लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति – लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्यों को करने के लिए ।

(vi) लोक निर्माण समिति – ग्रामीण आवास, जलापूर्ति स्रोतों, सड़क एवं आवागमन के अन्य माध्यमों , ग्रामीण विद्युतीकरण एवं संबंधित कार्यों सहित सभी प्रकार के निर्माण एवं अनुरक्षण संबंधी कार्यों को करने के लिए ।

(2) प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित कम–से–कम तीन और अधिक से अधिक पांच सदस्य होंगे। प्रत्येक समिति अपने दायित्वों के प्रभावी निर्वहन हेतु विशेषज्ञों एवं जनहित से प्रेरित व्यक्तियों में से अधिक से अधिक दो सदस्यों को सहयोजित (कोऑप्ट) कर सकेगी।

(3) योजना, समन्वय एवं वित्त समिति का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष मुखिया होगा और वह निर्वाचित सदस्यों में से प्रत्येक समिति के लिए अध्यक्ष नामित करेगा। योजना, समन्वय एवं वित्त समिति सहित तीन से अधिक समिति के अध्यक्ष का प्रभार मुखिया नहीं रखेगा,

परन्तु यह कि प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य होगी और यह कि सामाजिक न्याय समिति का एक सदस्य उपलब्धता के अध्यधीन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होगा ।

(4) जहाँ तक सम्भव हो, ग्राम पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य तीन समितियों से अधिक में नहीं रहेगा ।

(5) पंचायत सचिव योजना, समन्वय एवं वित्त समिति का सचिव होगा। जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा इसके लिए प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी, अन्य स्थायी समितियों के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए किसी सरकारी सेवक को नामित करेगा।

(6) ग्राम पंचायत के सामान्य मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण, एवं नियंत्रण के अधीन स्थायी समितियां उपर्युक्त कार्यों को करेंगी ।

26. ग्राम पंचायत की संपत्ति और निधि– (1) ग्राम पंचायत को संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसके निपटान की तथा उसकी संविदा करने की शक्ति होगी,

परन्तु यह कि ग्राम पंचायत द्वारा अचल संपत्ति के निपटान के सभी मामलो में उसे सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

(2) केन्द्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य ग्राम पंचायत की संपत्ति या उनके द्वारा अनुरक्षित संपत्ति को छोड़कर इस धारा में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उस प्रकार की सभी संपत्ति, ग्राम पंचायत में निहित हो जायेगी और उसकी हो जायेगी, तथा जिस किसी भी स्वरूप या प्रकार की सभी अन्य संपत्तियां जो ग्राम पंचायत में निहित हो जायें वह उसके निदेश, प्रबंधन एवं नियंत्रण के अधीन होगी, अर्थात –

(क) सभी सामान्य सम्पत्तियां,

(ख) सभी सार्वजनिक गलियां, जिनमें मिट्टी, पत्थर और अन्य सामग्रियां सम्मिलित हों और सभी नालियों, पुल, पुलिया, वृक्ष, निर्माण सामग्रियां, औजार और अन्य वस्तुएं जो ऐसी गलियों के लिए उपबंधित हों।

(ग) ग्राम पंचायत या अन्यथा के खर्चे पर बनाये गये या नींव डाले गये या स्थापित सभी सार्वजनिक नाले, जलशरनियां, सोते, कुआं, तालाब, घाट, जलाशय, हौज, जलसेतु वाहकनाली, सुरंग, पाईप, पम्प और अन्य जन–निर्माण तथा सभी पुल, भवन, इंजन, निर्माण, सामग्रियां और उससे जुड़ी हुई संबद्ध वस्तुएं एवं किसी तालाब से जुड़ी हुई या उससे सटी हुई भूमि (जो निजी संपत्ति नहीं हो):

परन्तु यह कि किसी मिल, कारखाना, उद्योग, कर्मशाला या इसके सदृश्य के स्वामियों द्वारा मुख्यतः अपने कर्मचारियों के उपयोग के लिए ग्राम पंचायत की सहमति से जल, नल और जल निर्माण से जुड़ हुए या उससे संबद्ध किसी गली में स्थापित किए गए हों, को जनसाधारण द्वारा उपयोग किये जाने के कारण सार्वजनिक लोक जल निर्माण नहीं माना जायेगा।

(घ) सभी सार्वजनिक मल प्रणाली और नालियां और उससे जुड़ी सभी निर्माण सामग्रियां एवं वस्तुएं और अन्य मलवाहन निर्माण।

परन्तु यह कि ऐसी मल प्रणाली और नालियों को विस्तृत करने, गहरा करने या अन्यथा मरम्मत करने या बनाये रखने के प्रयोजनार्थ उसमें जुड़ी उपमृदा ग्राम पंचायत में निहित मानी जायेंगी,

(ङ) ग्राम पंचायत द्वारा गलियों, शौचालयों, मूत्रालयों, मलप्रणालों, चहबच्चों और अन्य स्थानों से एकत्रित या गलियों में जमा किये गये सभी मल, कूड़ा–करकट और हानिकारक वस्तुएं;

(च) सभी सार्वजनिक बत्तियां, बती के खंभे और उससे संबद्ध या जुड़े उपकरण, और

(छ) ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित सभी भवन एवं केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित सभी भूमि एवं भवन अथवा स्थानीय लोगों के प्रयोजनार्थ दान, खरीद या अन्यथा अर्जित सभी जमीन, भवन या सम्पति ।

(3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम या इस अधिनियम की किसी विनिर्दिष्ट धारा के प्रवर्त्तन से, किसी गली, पुल अथवा नाली को विमुक्त कर सकेगी;

परन्तु यह कि यदि निर्माण की संरचना खर्च का भुगतान ग्राम पंचायत की निधि से किया गया हो, तो ऐसे निर्माण को, इस अधिनियम अथवा इस अधिनियम की किसी विनिर्दिष्ट धारा के प्रवर्त्तन से विमुक्त नहीं किया जा सकेगा, जबतक कि किसी बैठक में ग्राम पंचायत के मंतव्य पर विचार नहीं कर लिया जाए।

(4) सरकार किसी ग्राम पंचायत को, इसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अवस्थित कोई सार्वजनिक संपत्ति आवंटित कर सकेगी और तब ऐसी सम्पत्ति, ग्राम पंचायत के नियंत्राणाधीन हो जाएगी।

(5) प्रत्येक ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत के नाम से एक ग्राम पंचायत निधि गठित की जाएगी और उसमें निम्नांकित जमा किए जायेंगे :–

(क) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा दिया गया अंशदान और अनुदान यदि कोई हो;

(ख) जिला परिषद्, पंचायत समिति या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा दिया गया अंशदान और अनुदान, यदि कोई हो;

(ग) केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मंजूर किया गया ऋण, यदि कोई हो;

(घ) अपने द्वारा कर, दर और फीस के मद में वसूली गई सभी प्राप्तियां;

(ङ) ग्राम पंचायत के नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन रखे गये या इसके द्वारा निर्मित्त तथा इसमें निहित किसी भी विद्यालय, अस्पताल, औषधालय, भवन, संस्था अथवा निर्माणों से संबंधित सभी प्राप्तियां;

(च) ग्राम पंचायत के पक्ष में किसी न्यास अथवा धर्मस्व से होने वाली समस्त आय और दान एवं अंशदान के रूप में प्राप्त की गई सारी राशियां ;

(छ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन लगाए गए, और वसूल किए गए यथा विनिर्दिष्ट जुर्माने एवं शास्तियां ; और

(ज) ग्राम पंचायत द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त की जाने वाली अन्य राशियां।

(6) प्रत्येक ग्राम पंचायत निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्त्ति के लिए ऐसी राशि अलग रखेगी, और उनका उपयोग वार्षिक तौर पर करेगी,

(क) इसके अपने प्रशासन का खर्च, जिसमें इसके पदाधिकारियों और कर्मचारियों तथा सचिव के वेतन, भत्ते, भविष्य निधि एवं उपादान का भुगतान शामिल है।

(ख) प्रत्येक ग्राम पंचायत को ऐसी राशि के व्यय की शक्ति होगी जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए यथोचित समझे।

(ग) ग्राम पंचायत निधि ग्राम पंचायत में निहित होगी और निधि की जमा राशि यथा विहित विनिर्दिष्ट अभिरक्षा में रखी जायेगी।

27 ग्राम पंचायत द्वारा करारोपण–(1) इसके निमित्त यथा निर्मित्त नियमों तथा सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम दर के अध्यधीन, ग्राम पंचायत वार्षिक कर निम्नलिखित रूप से लगा सकेगी –

(क) होल्डिंग के दखलकार पर कर;

(ख) अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत चलाये जानेवाले या स्थित व्यवसायों, व्यापारों, पेशों, नियोजनों पर ऐसे व्यवसायों, व्यापारों, पेशों और नियोजनों से प्राप्त होने वाले कुल वार्षिक आय के आधार पर कर।

(2) सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट अधिकतम दर के अध्यधीन ग्राम पंचायत निम्नलिखित फीस और दर की उगाही कर सकेगी यथा –

(क) ऐसे वाहनों के निबंधन पर फीस जो तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन निबंधित न हो;

(ख) अधिसूचना के जरिये सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पड़ने वाले तीर्थ स्थानों, हाटों एवं मेलों एवं जन उपयोग में स्वच्छता साधनों के प्रबंधन पर शुल्क;

(ग) ग्राम पंचायत द्वारा जहां अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पीने, सिंचाई अथवा अन्य प्रयोजनों के निमित्त जल की आपूर्त्ति की व्यवस्था की जाये, वहां जलकर;

(घ) ग्राम पंचायत द्वारा अथवा उसकी ओर से जहां अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सार्वजनिक गलियों और स्थानों में प्रकाश का प्रबन्ध किया जाये, वहाँ प्रकाश शुल्क;

(ङ) ग्राम पंचायत द्वारा उसकी ओर से जहां अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निजी शौचालयों, मूत्रालयों और चहबच्चों की सफाई का प्रबंध किया जाये, वहां स्वच्छता कर।

28 पंचायतों को वित्तीय सहायता– इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन, इसके निमित्त विधि द्वारा विनियोग के पश्चात् प्रत्येक पंचायत को यह अधिकार होगा कि वह इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन गठित राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा जिसे राज्य सरकार ने स्वीकृत कर अधिसूचित कर दिया हो, राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान प्राप्त कर सके।

29 ग्राम पंचायत का बजट– प्रत्येक ग्राम पंचायत, यथा विनिर्दिष्ट समय और रीति से प्रत्येक वर्ष जो राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष के अनुरूप होगा, आगामी वर्ष की प्राक्कलित प्राप्तियों और संवितरणों का एक बजट तैयार करेगी और बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से इसे अनुमोदित करायेगी । वैसी बैठक के लिए कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत से कम में गणपूर्त्ति नहीं होगी।

30 लेखा– प्रत्येक ग्राम पंचायत का आय–व्यय लेखा, विहित प्रपत्र (फॉर्म) में तथा विहित रीति सें रखा जाएगा।

31 संपरीक्षा–(1) किसी भी ग्राम पंचायत के लेखा की संपरीक्षा सरकार द्वारा यथा विहित प्राधिकारी के द्वारा सम्पादित की जाएगी और संपरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति संपरीक्षा की समाप्ति के एक माह के भीतर ग्राम पंचायत को अग्रसारित कर दी जाएगी।

(2) उप–धारा (1) में निर्दिष्ट संपरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, ग्राम पंचायत या तो संपरीक्षा में बतायी गई त्रुटियों अथवा अनियमितताओं का समाधान करेगी एवं पंचायत समिति को इसे भेजेगी तथा तीन माह के भीतर की गई या की जानेवाली कार्रवाई की सूचना देगी अथवा, उक्त अवधि के भीतर विहित प्राधिकारी को उन त्रुटियों अथवा अनियमितताओं के संबंध में यदि कोई और स्पष्टीकरण वह देना चाहे तो दे सकेगी।

(3) उपधारा (1) में वर्णित विहित पदाधिकारी द्वारा संपरीक्षा के अलावे ग्राम पंचायत की समवर्ती संपरीक्षा या विशेष संपरीक्षा इस निमित्त विहित रीति से करायी जा सकेगी ।

32 **ग्राम पंचायत का स्टाफ** –(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिव होगा, जो ऐसी रीति से नियुक्त किया जायगा, जैसा कि विहित किया जाए।

(2) पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत के कार्यालय का प्रभारी होगा और उसके सभी कर्त्तव्यों का निष्पादन करेगा तथा इस अधिनियम अथवा इसके अधीन निर्मित किसी नियमावली या उप–विधि

या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम अथवा नियमावली के अन्तर्गत या उसके द्वारा प्रदत्त अथवा अधिरोपित सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(3) इस बाबत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अध्यधीन, कोई ग्राम पंचायत अपने कार्यों के संचालन के लिए समय–समय पर उतनी संख्या में भुगतान के आधार पर या अवैतनिक कर्मचारियों या व्यवसायिकों की सेवा ले सकेगी जितनी कि अपेक्षित हो।

33 **ग्राम रक्षा दल का गठन**– सामान्य पहरा तथा निगरानी एवं आकस्मिक घटनाओं यथा अगलगी, बाढ़, बाँध में दरार, पुल का टूटना, महामारी का फैलना तथा चोरी या डकैती आदि का सामना करने, सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्यों को संपादित करने तथा सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए विहित रीति से नियुक्त एक दलपति के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत के अन्तर्गत एक ग्राम रक्षा दल गठित किया जा सकेगा और ग्राम के 18 से 30 वर्ष के बीच के शारीरिक रूप से सभी योग्य व्यक्ति उक्त दल के सदस्य होंगे। ग्राम रक्षा दल के गठन, कर्तव्य एवं उपयोग के लिए सरकार नियम बना सकेगी ।

अध्याय – IV

पंचायत समिति

34. पंचायत समिति का गठन–(1) प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगी, जिसकी अधिकारिता, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, सम्पूर्ण प्रखंड तक होगी, किन्तु इसमें प्रखंड के वे भाग शामिल नहीं होंगे जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगरपालिका या छावनी पर्षद् के प्राधिकार में या इसके अधीन सम्मिलित हों ।

(2) प्रत्येक पंचायत समिति अपनी पंचायत समिति के नाम से एक निगमित निकाय होगी और इसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा एवं इसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा ऐसे प्रतिबंधों के अध्यधीन जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अथवा किसी अन्य अधिनियम द्वारा अधिरोपित हों, उसमें अपने निगमित नाम से वाद चलाने या उस पर वाद चलाए जाने की अथवा उसके प्राधिकार क्षेत्र की परिसीमाओं के भीतर या उसके बाहर के क्षेत्र में चल या अचल सम्पति का अर्जन, धारण और अन्तरण करने अथवा संविदाएं करने की और जिस निमित्त इसका गठन किया गया हो, उसके प्रयोजनार्थ आवश्यक, समुचित और समीचीन सभी कार्य करने की शक्ति निहित होगी।

(35) प्रखण्डों की घोषणा –– इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार गजट में अधिसूचना निकालकर जिला के किसी क्षेत्र को प्रखण्ड घोषित कर सकेगी और उस प्रखण्ड का नामकरण कर सकेगी; तथा

(क) उस जिला के किसी क्षेत्र को इस प्रकार घोषित प्रखण्ड में शामिल कर सकेगी ।

(ख) ऐसे किसी प्रखण्ड से किसी क्षेत्र को अलग कर सकेगी ; या

(ग) एक ही जिला के किसी प्रखण्ड के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे प्रखण्ड में अंतरित कर सकेगी :

36. पंचायत समिति की संरचना–(1) पंचायत समिति की संरचना निम्नलिखित रूप से होगी –

(क) इस अधिनियम के अधीन यथा अवधारित पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्य,

(ख) पंचायत समिति के अन्तर्गत पूर्णतः या अंशतः पड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्य और राज्य विधान सभा के सदस्य;

(ग) राज्य सभा और राज्य विधान परिषद् के वैसे सदस्य जो पंचायत समिति क्षेत्र के अन्तर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हों ;

(घ) पंचायत समिति क्षेत्र में पड़ने वाली सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया।

(2) पंचायत समिति के प्रत्येक सदस्य को समिति की बैठकों में मतदान का अधिकार होगा, परन्तु प्रमुख एवं उप–प्रमुख के निर्वाचन और हटाए जाने के विषय में उप–धारा (1) के खंड (क) के अधीन निर्वाचित सदस्यों को ही मत देने का अधिकार होगा।

37.निर्वाचित सदस्य–(1) पंचायत समिति के उतने निर्वाचित सदस्य होंगे जितनी संख्या समय–समय पर जिला दंडाधिकारी द्वारा अधिसूचित की जा सकेगी और ऐसा प्रत्येक सदस्य पंचायत समिति क्षेत्र की यथा संभव पाँच हजार की जनसंख्या के निकटतम का प्रतिनिधित्व करेगा।

(2) निर्वाचन की सुविधा की दृष्टि से, जिला दंडाधिकारी राज्य सरकार द्वारा इस वावत यथा विहित नियमों के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में पंचायत समिति के क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभक्त करेगा कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, यथासाघ्य, सम्पूर्ण पंचायत समिति क्षेत्र में एक ही हो ।

(3) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य विहित रीति से सीधे निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किया जायेगा।

38. स्थानों का आरक्षण–(1) प्रत्येक पंचायत समिति में पंचायत समिति के सदस्य के कुल स्थानों के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान निम्न के लिए आरक्षित किये जायेंगेः–

(क) अनुसूचित जाति

(ख) अनुसूचित जनजाति, और

(ग) पिछड़े वर्ग।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत समिति में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल स्थान का यथाशक्य वही होगा जो अनुपात उस पंचायत समिति क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है, और ऐसे स्थान किसी पंचायत

समिति में भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को विहित रीति से चक्रानुक्रम में जिला दंडाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में आवंटित किये जायेंगे।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के पश्चात् पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या यथाशक्य कुल स्थानों के बीस प्रतिशत से अनधिक तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को मिलाकर कुल पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी, तथा इन स्थानों को विहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा शेष निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किया जायेगा । ऐसे स्थान उत्तरवर्ती निर्वाचनों में चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में तथा उसके द्वारा विहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा पंचायत समिति के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किये जायेंगे ।

(2) उप–धारा (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं किए गए हैं उनमें से पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे ।

(4) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित ऐसे स्थान पंचायत समिति में भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में तथा इसके द्वारा विहित रीति से चक्रानुक्रम से जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किये जायेंगे ।

स्पष्टीकरण – शंकाओं के निवारण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उपधारा के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धान्त बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रारम्भ होने के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारम्भ होगा ।

39. **पंचायत समिति की कार्यावधि**–(1) इस अधिनियम में अन्यथा यथा उपबंधित को छोड़कर प्रत्येक पंचायत समिति की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले पांच वर्षो तक की होगी, इससे अधिक की नहीं।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किए गए संशोधन से पंचायत समिति, जो ऐसे संशोधन के तुरंत पहले से कार्य कर रही हो, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक विघटित नहीं होगी।

(3) पंचायत समिति के गठन हेतु निर्वाचन कार्य निम्नलिखित रूप में पूरा किया जायेगा–

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट इसकी कार्यावधि की समाप्ति के पूर्व;

(ख) विघटन की स्थिति में, ऐसे विघटन की तिथि से छः महीने की अवधि की समाप्ति के पूर्व;

परन्तु जहाँ ऐसी शेष अवधि, जिसके लिए उक्त विघटित पंचायत समिति बनी रहती, छः महीने से कम हो, तो ऐसी अवधि के लिए पंचायत समिति के गठन के लिए इस खंड के अधीन किसी प्रकार का निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा ।

(4) यदि किसी पंचायत समिति की कार्यावधि की समाप्ति के पूर्व उसे विघटित कर किसी पंचायत समिति का गठन किया जाता है तो उक्त गठित पंचायत समिति विघटित पंचायत समिति की उस शेष अवधि तक ही कार्यरत रहेगी जबतक कि वह उप–धारा (1) के अधीन कार्यरत रहती यदि उसे विघटित नहीं किया गया होता ।

40.प्रमुख और उप–प्रमुख का निर्वाचन–(1) राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं निदेश के अधीन :

(क) धारा–36 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य, यथासंभव शीघ्र, अपने बीच से दो सदस्यों को क्रमशः प्रमुख और उप–प्रमुख चुनेंगे;

(ख) और यदि प्रमुख और उप–प्रमुख के पद बाद में रिक्त हो जाएं तो वे यथास्थिति, अपने में से अन्य सदस्य को प्रमुख अथवा उप–प्रमुख चुनेंगेः

परन्तु यह कि ऐसा चुनाव नहीं किया जायेगा यदि रिक्ति एक माह से कम अवधि के लिए हो।

(2) **स्थान का आरक्षण** – प्रमुख के पद के लिए प्रत्येक जिला में प्रमुख के कुल पदों के यथाशक्य पचास प्रतिशत के निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान निम्न के लिए आरक्षित किये जायेंगेः–

(क) अनुसूचित जाति;

(ख) अनुसूचित जनजाति ;और

(ग) पिछड़े वर्ग।

प्रत्येक जिले के अन्तर्गत प्रमुख के पद के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस जिला में प्रमुख के स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो अनुपात उस जिला में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी जिला में भिन्न–भिन्न पंचायत समितियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण तथा इसके द्वारा विहित रीति से चक्रानुक्रम में जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किये जायेंगे।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रमुख के स्थानों के आरक्षण के पश्चात् पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या कुल पदों के बीस प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक होगी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुल मिलाकर पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी तथा इन स्थानों को जिले की शेष पंचायत समितियों को विहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किया जाएगा। ऐसे स्थान उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में इसके द्वारा विहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा जिले के अन्तर्गत भिन्न–भिन्न पंचायत समितियों को आवंटित किए जाएंगे।

(ii) उपधारा (1) के अधीन प्रमुख के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु अनधिक स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जायेंगे।

(iii) प्रमुख के जो स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं किए गए हैं उनमें से पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जायेंगे।

(iv) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं तथा अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित प्रमुख के ऐसे स्थान जिले में भिन्न–भिन्न पंचायत समितियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में तथा इसके द्वारा यथाविहित रीति से चक्रानुक्रम में जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण – शंकाओं के निवारण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उप–धारा के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धान्त बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रारम्भ होने के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारम्भ होगा।

(3) पंचायत समिति के प्रमुख और उप प्रमुख की पदावधि, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पंचायत समिति के सदस्य के रूप में उसकी पदावधि की समाप्ति पर खत्म हो जाएगी।

(4) प्रमुख और उप–प्रमुख का चुनाव, उपर्युक्त पदों की रिक्तियों को भरने और ऐसे चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथाविहित नियमों अथवा प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

41. प्रमुख, उप–प्रमुख और अन्य सदस्यों को भत्ते – पंचायत समिति के प्रमुख, उप–प्रमुख और अन्य सदस्य, यथाविहित बैठक–शुल्क और भत्ते पाने के हकदार होंगे।

42. प्रमुख की शक्ति, कार्य और दायित्व

प्रमुख–

(क) पंचायत समिति की बैठक का आयोजन और अध्यक्षता तथा उसका संचालन करेगा,

(ख) पंचायत समिति या स्थायी समितियों के वैसे संकल्पों या निर्णयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यपालक पदाधिकारी पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा जो इस अघ्यादेश के उपबंध अथवा इस अघ्यादेश के अधीन निर्गत सामान्य या विशेष निदेशों से असंगत न हों।

(ग) पंचायत समिति की वित्तीय और कार्यपालिका प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण रखेगा और उससे संबंधित ऐसे सभी प्रश्नों को पंचायत समिति के समक्ष रखेगा जिसके संबंध में इसे ऐसा लगे कि उस पर पंचायत समिति का आदेश आवश्यक है और इस प्रयोजनार्थ पंचायत समिति के अभिलेखों की मांग कर सकेगा; और

(घ) पंचायत समिति क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जन–जीवन को तत्काल राहत देने के प्रयोजनार्थ उसे एक वर्ष में कुल पच्चीस हजार रूपये तक की राशि स्वीकृत करने की शक्ति होगीः

परन्तु पंचायत समिति की अगली बैठक में प्रमुख ऐसी स्वीकृति का ब्यौरा पंचायत समिति की स्वीकृति हेतु रखेगा।

43. उप–प्रमुख के शक्तियां, कार्य और दायित्व– किसी पंचायत समिति का उप–प्रमुख–

(क) प्रमुख की अनुपस्थिति में पंचायत समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(ख) वह एतदर्थ सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली के अध्यधीन पंचायत समिति के प्रमुख के रुप में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निष्पादन करेगा जो प्रमुख के लिखित आदेश के द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जायें; और

(ग) प्रमुख का निर्वाचन लंबित रहने या पंचायत क्षेत्र से प्रमुख की अनुपस्थिति के दौरान अथवा पन्द्रह दिनों से अधिक की अवधि के लिए प्रमुख के अवकाश पर रहने की स्थिति में, प्रमुख की शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा;

परन्तु, जैसे ही प्रमुख अनुपस्थिति से वापस लौटेगा, वह अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग पुनः प्राप्त कर लेगा तथा प्रमुख के सभी कार्यों का संपादन एवं कर्तव्यों का निर्वहन आरंभ कर देगा ।

44. प्रमुख और उप–प्रमुख का त्याग–पत्र और हटाया जाना– (1) प्रमुख किसी भी समय अपने पद से अनुमंडल दंडाधिकारी और उप–प्रमुख किसी भी समय प्रमुख या उसकी अनुपस्थिति में अनुमंडल दंडाधिकारी को संबोधित कर स्वलिखित त्याग–पत्र दे सकेगा और त्याग पत्र दिये जाने की तिथि के सातवें दिन से उक्त पद रिक्त माना जायेगा जबतक कि उल्लिखित सात दिनों की अवधि के भीतर वह त्याग पत्र यथास्थिति अनुमंडल दंडाधिकारी या प्रमुख को संबोधित, स्वलिखित आवेदन द्वारा वापस न ले लिया जाये।

(2) यदि प्रमुख या उप–प्रमुख पंचायत समिति का सदस्य नहीं रह जाता हो, तो वह पद छोड़ देगा।

(3) पंचायत समिति का प्रमुख /उप–प्रमुख अपने पद से तत्काल ही मुक्त समझा जायेगा, यदि उक्त प्रयोजन के लिए विशेष रुप से आहूत की गई किसी बैठक में पंचायत समिति के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या के बहुमत द्वारा उनके प्रति विश्वास की कमी का प्रस्ताव पारित किया जाये।

ऐसी विशेष बैठक पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित कुल सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रमुख को संबोधित लिखित अधियाचना पर बुलायी जायेगी जिसकी प्रति पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी को भी दी जाएगी । कार्यपालक पदाधिकारी अविलंब उक्त अधियाचना से प्रमुख को अवगत करायेगा । प्रमुख ऐसी

अधियाचना की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिनों के अन्दर उक्त बैठक आयोजित करेगा । यदि प्रमुख निर्धारित तिथि पर विशेष बैठक बुलाने में असफल रहता है तो उप–प्रमुख या सीधे निर्वाचित कुल सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य उक्त बैठक हेतु किसी तिथि का निर्धारण कर सकेंगे एवं बैठक हेतु सदस्यों को सूचना निर्गत करने एवं कार्रवाई करने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी से अपेक्षा कर सकेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी निश्चित रूप से वैसी सूचना ससमय निर्गत करेगे एवं बैठक आहूत करेंगे । एक बार बैठक हेतु निर्गत नोटिस के बाद निर्धारित बैठक स्थगित नहीं की जा सकेगी। अविश्वास प्रस्ताव पर विचार हेतु आहूत विशेष बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी ।

(ii) प्रमुख /उप–प्रमुख के विरूद्ध उनकी पदावधि के प्रथम दो वर्ष की कालावधि के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।

(iii) यदि प्रमुख या उप–प्रमुख या दोनों के विरूद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव एक बार नामंजूर हो जाए, तो ऐसे प्रस्ताव के नामंजूर किए जाने की तिथि के एक वर्ष की कालावधि के भीतर, यथास्थिति प्रमुख, उप–प्रमुख या दोनों के विरूद्ध कोई नया अविश्वास प्रस्ताव पंचायत समिति के समक्ष नहीं लाया जायेगा।

(iv) इस अधिनियम की धारा 39(1) में उल्लिखित पंचायत समिति की कार्यावधि के अंतिम के छः माह के दौरान, यथास्थिति, प्रमुख या उप–प्रमुख या दोनो के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा।

(v) प्रमुख/उप–प्रमुख के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने हेतु बुलाई गयी बैठक की सूचना में उन कारणों / आरोपों का, जिनके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है, स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

(vi) जैसे ही इस धारा के अधीन बुलायी गयी बैठक प्रारम्भ होगी , बैठक की अध्यक्षता करने वाला सदस्य उपस्थित सदस्यों के समक्ष उस प्रस्ताव को पढ़ेगा जिस पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई गयी हो और उस पर विचार–विमर्श करने की घोषणा करेगा। इस धारा के अधीन प्रस्ताव पर कोई भी विचार –विमर्श स्थगित नहीं किया जायेगा।

(vii) विचार–विमर्श के दौरान जिस प्रमुख/उप–प्रमुख के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसे पंचायत समिति के समक्ष अपनी सफाई के लिए अवसर दिया जायेगा। विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव उसी दिन मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा जो गुप्त मतदान द्वारा विहित रीति से होगा।

(viii) प्रमुख के विरूद्ध अविश्वास लाये जाने की स्थिति में बैठक की अध्यक्षता उप–प्रमुख द्वारा, उप–प्रमुख के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने की स्थिति में बैठक की अध्यक्षता प्रमुख द्वारा एवं प्रमुख तथा उप–प्रमुख दोनों के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने की स्थिति में बैठक की अध्यक्षता पंचायत समिति के निर्वाचित तथा बैठक में उपस्थित सदस्यों के बीच से निर्वाचित किसी सदस्य द्वारा की जायेगी ।

अगर उप–प्रमुख का पद रिक्त हो या वे प्रमुख के विरूद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव हेतु आहूत बैठक से अनुपस्थित रहते हों या प्रमुख का पद रिक्त हो या वे उप–प्रमुख के विरूद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव हेतु आहूत बैठक से अनुपस्थित रहते हों, तब, बैठक की अध्यक्षता पंचायत समिति के निर्वाचित तथा बैठक में उपस्थित सदस्यों के बीच से निर्वाचित किसी सदस्य द्वारा की जायेगी ।

(4) इस अधिनियम के अधीन उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पंचायत समिति का कोई प्रमुख /उप–प्रमुख यदि बिना पर्याप्त कारण स्पष्ट किये तीन लगातार बैठक से अनुपस्थित रहता हो या इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन जानबूझ कर नहीं करता हो या करने से इनकार करता हो या अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करता हो या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी पाया जाता हो या शारीरिक /मानसिक तौर पर कर्तव्य निर्वहन के अयोग्य हो या आपराधिक कांड में छः माह से अधिक अवधि तक फरार हो, तब, आयुक्त, यथास्थिति प्रमुख/उप–प्रमुख को स्पष्टीकरण देने हेतु युक्तियुक्त अवसर देकर आदेश द्वारा प्रमुख/उप–प्रमुख को उनके पद से हटा सकेगा ।

इस प्रकार हटाया गया प्रमुख/उप–प्रमुख ऐसी पंचायत समिति की शेष अवधि के दौरान प्रमुख/उप–प्रमुख के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। आयुक्त के आदेश के विरूद्ध अपील सदस्य, राजस्व पर्षद् के समक्ष की जा सकेगी।

(5) उप–धारा (4) के तहत पद से हटाये गये प्रमुख/उप–प्रमुख को पंचायत समिति की सदस्यता से भी सरकार द्वारा हटाया जा सकेगा।

45. **सदस्य का त्याग पत्र** – पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य पंचायत समिति के प्रमुख को सम्बोधित स्वलिखित आवेदन द्वारा अपनी सदस्यता त्याग सकता है और उसका पद उनके त्याग पत्र देने के पूरे सात दिनों के बाद रिक्त माना जायेगा बशर्ते कि वह अपना त्याग पत्र निर्धारित सात दिनों की अवधि के भीतर प्रमुख को संबोधित स्वलिखित आवेदन द्वारा वापस न ले ले ।

46. पंचायत समिति की बैठक –(1) पंचायत समिति दो माह में कम–से–कम एकबार कार्य व्यवहार के लिए बैठक करेगी (जो इस धारा में इसके बाद साधारण बैठक कही जायेगी) और निम्नलिखित उपधाराओं के उपबंधों के अध्यधीन इसकी बैठकों की तिथि, समय, सूचना, प्रबंधन और स्थगन के संबंध में तथा सामान्यतः उससे संबंधित कार्यसंव्यवहार के संबंध में इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुरुप विनियम बनायेगी।

(2) पंचायत समिति की प्रत्येक बैठक साधारणतः पंचायत समिति के मुख्यालय में की जायेगी।

(3) गठन के बाद पंचायत समिति की पहली बैठक की तारीख अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा तय की जायेगी जो उस बैठक की अध्यक्षता करेगा और प्रत्येक पश्चातवर्त्ती साधारण बैठक की तारीख पंचायत समिति की पूर्व की बैठक में तय की जायेगी। परन्तु प्रमुख, पर्याप्त कारणों से बैठक की तारीख को बदलकर बाद की तारीख को रख सकेगा। प्रमुख, जब कभी वह उचित समझे और सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई से अन्यून सदस्यों के लिखित निवेदन पर और ऐसे निवेदन की प्राप्ति से पन्द्रह दिनों के भीतर पड़नेवाली तारीख को विशेष बैठक बुला सकेगा। ऐसे निवेदन में उद्देश्य विनिर्दिष्ट रहेगा जिसके लिए बैठक बुलाने का प्रस्ताव हो । यदि प्रमुख विशेष बैठक नहीं बुला पाता हो तो उप–प्रमुख या सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई सदस्य ऐसे निवेदन के उपस्थापन के पन्द्रह दिनों की अनधिक अवधि के भीतर किसी दिन विशेष बैठक बुला सकेगा और कार्यपालक पदाधिकारी से सदस्यों को नोटिस देने तथा बैठक आयोजित करने के लिए यथावश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(4) साधारण बैठक के लिए पूरे दस दिनों की नोटिस और विशेष बैठक के लिए पूरे सात दिनों की नोटिस , जिसमें ऐसी बैठक का समय और सम्पादित किये जाने वाले कार्य विनिर्दिष्ट रहेंगे, सदस्यों के पास भेज दी जायेगी और पंचायत समिति के कार्यालय में चिपका दी जायेगी। विशेष बैठक की दशा में ऐसी नोटिस में ऐसी बैठक के लिए किये गये लिखित निवेदन में उल्लिखित प्रस्ताव या उसमें प्रतिपादित होने वाले विषय शामिल रहेंगे।

(5) पंचायत समिति के कुल सदस्यों में से आधे सदस्यों की उपस्थिति से पंचायत समिति की बैठक में कार्य–संव्यवहार के लिए कोरम बनेगा। यदि बैठक के लिए नियत समय में कोरम पूरा नहीं हो तो सभापतित्व करनेवाला व्यक्ति एक घंटा तक प्रतीक्षा करेगा और यदि ऐसी अवधि के भीतर कोरम पूरा हो जाये तो बैठक चलेगी, किन्तु यदि ऐसी अवधि के भीतर कोरम पूरा नहीं हो तो सभापतित्व करने वाला व्यक्ति अगले दिन के किसी ऐसे समय के लिए बैठक स्थगित कर देगा जैसा वह नियत करे। वह इस प्रकार बैठक आरम्भ होने के बाद किसी भी समय बैठक

स्थगित कर सकेगा, यदि उसका ध्यान कोरम के अभाव की ओर आकृष्ट किया जाये। ऐसी स्थगित बैठकों में कुल सदस्य संख्या के पाँचवें भाग से बना कोरम अपेक्षित होगा तथा उस कार्य का संव्यवहार किया जायेगा जो मूल बैठक में संपादनार्थ लाया जाता ।

(6) प्रत्येक बैठक का सभापतित्व प्रमुख द्वारा किया जायेगा या यदि प्रमुख अनुपस्थित हो तो उपप्रमुख द्वारा और यदि दोनों अनुपस्थित हो या यदि प्रमुख अनुपस्थित हो और उप–प्रमुख नहीं हो तो उपस्थित सदस्यों द्वारा सभापतित्व करने के लिए अपने बीच से एक का चयन कर लिया जाएगा।

(7) सभी विवादों का निर्णय जबतक अन्यथा विशेष रुप से उपबंधित नहीं हो तो उपस्थित सदस्यों के बहुमत से और मतदान के द्वारा किया जायेगा। सभापतित्व करनेवाला सदस्य, जब तक वह मतदान करने से विरत न हो जाये, किसी विवाद के पक्ष या विपक्ष में मतों की संख्या घोषित किये जाने के पहले मतदान करेगा और मत बराबर होने की दशा में अपना निर्णायक मत देगा ।

(8) पंचायत समिति का कोई भी सदस्य पंचायत समिति या किसी भी समिति की बैठक में विचारार्थ आये हुए ऐसे प्रश्न पर मत नहीं देगा या उसके विमर्श में भाग नहीं लेगा यदि उस प्रश्न में जनसाधारण के सामान्य प्रयोजन के अलावा उसका कोई प्रत्यक्ष आर्थिक या निजी हित निहित हो तथा अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का कोई हित निहित हो तो वह ऐसी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, जब वह विषय विचारार्थ रखा जाए ।

(9) यदि बैठक में उपस्थित किसी सदस्य को ऐसा विश्वास हो कि विमर्शाधीन किसी मामले में सभापतित्व करनेवाले का ऐसा कोई आर्थिक या निजी हित है और यदि उस आशय का प्रस्ताव पारित हो तो वह ऐसे विमर्श के दौरान बैठक का सभापतित्व नहीं करेगा, या मत नहीं देगा या उसमें भाग नहीं लेगा । पंचायत समिति का कोई भी अन्य सदस्य ऐसे विमर्श के चलते रहने के दौरान बैठक का सभापतित्व करने के लिए चुना जा सकेगा ।

(10) किसी भी साधारण बैठक में किसी प्रस्ताव पर तबतक विमर्श नहीं किया जायेगा जबतक ऐसी बैठक आयोजित करने हेतु दी जानेवाली नोटिस में अथवा विशेष बैठक की दशा में ऐसी बैठक के लिए किये गये लिखित निवेदन में उसे दर्ज नहीं किया गया हो । कोई भी सदस्य कार्य–सूची में सम्मिलित विषयों से संबंद्ध या अनुषंगी प्रस्ताव रख सकेगा । प्रमुख कार्य–सूची में सम्मिलित न होने पर भी या दैनन्दिनी स्वरूप के किसी भी अत्यावश्यक विषय का प्रस्ताव रख सकेगा, यदि कोई भी सदस्य उस पर आपत्ति न उठाये । प्रस्ताव या विचारणीय विषय की दशा में, उप–धारा(12) की अनुरूपता के सिवाय, उसके पारित किये जाने के बाद तीन महीने के भीतर प्रस्ताव को उपांतरित या रद्द करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी । ऐसा कोई कार्य या प्रस्ताव ऐसी

बैठक में किस क्रम से प्रस्तुत किया जाये उसे सभापतित्व करने वाले प्राधिकार द्वारा अवधारित किया जायेगा । जब किसी सदस्य द्वारा खास प्रस्ताव देने का प्रस्ताव किया जाये तो वैसी स्थिति में उस प्रस्ताव को बैठक में रखेगा और प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में दिये गये बहुमत द्वारा यह प्रस्ताव निर्देशित होगा ।

(11) कोई भी साधारण बैठक, उपस्थित बहुमत सदस्यों की सहमति से, समय–समय पर स्थगित की जा सकेगी, किन्तु ऐसी स्थगित बैठक में अनिष्पादित या छोड़े गये कार्य से भिन्न कार्य का संव्यवहार नहीं किया जाएगा।

(12) पंचायत समिति के किसी भी प्रस्ताव को उसके पारित किये जाने के छह महीने के भीतर उपांतरित या रद्द तबतक नहीं किया जायेगा जब तक साधारण या विशेष बैठक में सदस्यों की कुल संख्या की आधी संख्या से अन्यून द्वारा संकल्प पारित न किया जाये, जिसकी सूचना उप–धारा (4) की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए और उस प्रस्ताव को, जिसे उस बैठक में पूर्णतः उपांतरित या रद्द करने का प्रस्ताव हो उसे उपवर्णित करते हुए न दी गई हो ।

(13) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही बैठक के विमर्श के तुरंत बाद कार्यवृत्त बही में दर्ज की जायेगी और बैठक का सभापतित्व करनेवाले प्राधिकार द्वारा पढ़ लिये जाने के बाद उस पर हस्ताक्षर किया जोयगा। पंचायत समिति के निर्णय पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पंचायत समिति की अगली बैठक में की जायेगी। कार्यवृत्त पंजी सदैव पंचायत समिति के कार्यालय में रखी जायेगी। कार्यपालक पदाधिकारी कार्यवृत्त पंजी का अभिरक्षक होगा।

(14) पंचायत समिति अपनी बैठकों में सरकारी पदाधिकारियों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगी । यदि पंचायत समिति को ऐसा प्रतीत हो कि जिला के पूरे क्षेत्र या उसके किसी भाग पर अधिकारिता रखनेवाला कोई सरकारी पदाधिकारी जो पंचायत समिति के अधीन कार्यरत न हो और पंचायत समिति की बैठक में उसकी उपस्थिति वांछनीय है, तो कार्यपालक पदाधिकारी, आशयित बैठक की तिथि से कम–से–कम पन्द्रह दिन पहले ऐसे पदाधिकारी को सम्बोधित पत्र के द्वारा उस पदाधिकारी से बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध करेगा और वह बीमारी या अन्य युक्तियुक्त कारण से उपस्थित होने में यदि असमर्थ न हो तो बैठक में उपस्थित होगा :

परन्तु यह कि ऐसा पदाधिकारी पत्र प्राप्त होने पर यदि वह उपर्युक्त कारणों से स्वयं बैठक में उपस्थित होने की स्थिति में न हो तो अपने उपपदीय पदाधिकारी या अन्य सक्षम अधीनस्थ पदाधिकारी को उस बैठक में प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुदेश देगा ।

47. पंचायत समिति के कार्य एवं शक्तियां – (1) सरकार द्वारा समय–समय पर यथा विर्निदिष्ट ऐसी शर्तो के अध्यधीन पंचायत समिति निम्नलिखित कार्यो को करेगी –

(i) इस अधिनियम के द्वारा सौंपी गई तथा सरकार या जिला परिषद् द्वारा इसे सौंपी गई स्कीमों की वार्षिक योजनाएं बनाना था जिला योजना में सम्मिलित करने हेतु विहित समय के अन्दर उन्हें जिला परिषद् में प्रस्तुत करना ;

(ii) सभी ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजनाओं पर समिति में विचार–विमर्श एवं समेकन करना तथा समेकित योजना को जिला परिषद में प्रस्तुत करना ;

(iii) पंचायत समिति का वार्षिक बजट बनाना तथा समेकित योजना को जिला परिषद में प्रस्तुत करना ;

(iv) ऐसे कार्यकलापों का संपादन एवं ऐसे कार्यो का निष्पादन जो इसे सरकार या जिला परिषद् द्वारा सौंपे जायें ;

(v) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देना।

(2) कृषि (कृषि विस्तार सहित)–

(i) कृषि एवं उद्यान की उन्नति एवं विकास ;

(ii) कृषि बीज फार्मो एवं उद्यान पौधशालाओं का अनुरक्षण ;

(iii) कीटनाशी एवं जीवनाशी औषधियों का भंडारण एवं वितरण ;

(iv) खेती के उन्नत तरीकों का प्रचार;

(v) खेती को बढ़ावा देना तथा सब्जियों , फलों, औषधीय पौधो एवं फूलो का विपणन ;

(vi) किसानों का प्रशिक्षण तथा प्रसार सम्बन्धी क्रिया कलाप ।

(3) भूमि सुधार एवं भूसंरक्षण–सरकार के भूमि विकास एवं भूसंरक्षण के कार्यक्रमों के कार्यन्वयन में सरकार और जिला परिषद को सहायता देना

(4) लघु सिंचाई , जल–प्रबंधन एवं जल संभर का विकास –

(i) लघु सिंचाई –कार्यों के निर्माण एवं अनुरक्षण में सरकार और जिला परिषद की सहायता करना

(ii) सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन ।

(5) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम –गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों एवं स्कीमों का आयोजन और कार्यान्वयन

(6) पशुपालन, गव्य एवं कुक्कुट –

(i) पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाओं का अनुरक्षण ;

(ii) मवेशी, कुक्कुट एवं अन्य पशुधनों की नस्लों में सुधार ;

(iii) डेयरीफार्म, कुक्कुट पालन एवं सुअर पालन को प्रोत्साहित करना ;

(iv) महामारी एवं छूत के रोगों की रोकथाम ।

(7) मत्स्य–उद्योग – मत्स्य –उद्योग के विकास को प्रोत्साहन ।

(8) खादी, ग्राम्य एवं कुटीर उद्योग –

(i) ग्रामीण कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन;

(ii) सम्मेलनों, सेमिनारों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषि एवं उद्योग–प्रदर्शनियों का आयोजन।

(9) ग्रामीण आवास – आवास योजनाओं का कार्यान्वयन तथा आवास स्थल का वितरण।

(10) पेय जल–

(i) ग्रामीण जलापूर्त्ति योजनाओं का अधिष्ठापन, मरम्मत एवं अनुरक्षण;

(ii) जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण;

(iii) ग्रामीण–स्वच्छता योजनाओं का कार्यान्वयन।

(11) सामाजिक एवं फार्म वानिकी, लघु वन–उत्पादन, ईधन एवं चारा –

(i) अपने नियंत्रणाधीन की सड़कों के किनारे और अन्य सार्वजनिक भूमि पर वृक्ष लगाना एवं उनका संरक्षण;

(ii) जलावन की लकड़ी वाले वृक्ष लगाना तथा चारा विकास;

(iii) फार्म–वानिकी को प्रोत्साहित करना ।

(12) सड़क, भवन, पुल, फेरी, जलमार्ग तथा संचार के अन्य साधन –

(i) सार्वजनिक सड़कों, नालियों, पुलियों तथा संचार के वैसे अन्य साधनों जो किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार या सरकार के नियंत्रणाधीन न हो , का निर्माण एवं अनुरक्षण;

(ii) पंचायत समिति में निहित किसी भवन या संपत्ति का अनुरक्षण;

(iii) नावों , फेरियों और जलमार्गो का अनुरक्षण ।

(13) गैर–परंपरागत उर्जा स्रोतः– गैर परम्परागत उर्जा स्रोतों का विकास और अभिवृद्धि।

(14) शिक्षा, जिसमें प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय भी शामिल हैं –

(i) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की अभिवृद्धि;

(ii) प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण, मरम्मत एवं अनुरक्षण ।

(15) तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा – ग्रामीण शिल्पी तथा तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की अभिवृद्धि ।

(16) वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा–सर्व –साक्षरता का कार्यान्वयन।

(17) सांस्कृतिक कार्य कलाप –सामाजिक, सांस्कृतिक एवं खेल–कूद कार्य–कलापों की अभिवृद्धि ।

(18) बाजार एवं मेला – मेलों एवं त्योहारों का विनियमन ।

(19) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण –

(i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों की अभिवृद्धि ;

(ii) प्रतिरक्षण एवं टीकाकरण कार्यक्रमों की अभिवृद्धि ;

(iii) मेलों एवं त्योहारों में स्वास्थ्य एवं सफाई ।

(20) महिलाओं एवं बच्चों का विकास–

(i) महिलाओं एवं बच्चों के विकास से संबंधित कार्यक्रमों की अभिवृद्धि ;

(ii) विद्यालय में स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रमों की अभिवृद्धि;

(iii) महिलाओं एवं बच्चों के विकास कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठन की भागदारी की अभिवृद्धि।

(21) समाज कल्याण, जिसमें शारीरिक तथा मानसिक रूप से निःशक्त लोगों का कल्याण भी शामिल है –

(i) समाज कल्याण कार्यक्रम शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्त एवं निराश्रितों के कल्याण सहित ;

(ii) वृद्धावस्था तथा विधवाओं की पेंशनों और शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्त के पेंशनों का अनुश्रवण ;

(22) कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन–जातियों का कल्याण–

(i) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों तथा अन्य कमजोर वर्गो के कल्याण की अभिवृद्धि ;

(ii) ऐसी जातियों एवं वर्गों की सामाजिक अन्याय एवं शोषण से बचाना ;

(23) सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण –

(i) इसमें निहित सभी सामुदायिक आस्तियों, जो सरकार या स्थानीय प्राधिकार अथवा संगठन द्वारा हस्तान्तरित हो, का अनुरक्षण ।

(ii) अन्य सामुदायिक आस्तियों का परिरक्षण एवं अनुरक्षण।

(24) जन–वितरण प्रणाली – आवश्यक वस्तुओं का वितरण ।

(25) ग्रामीण विद्युतीकरण – ग्रामीण विद्युतीकरण की अभिवृद्धि ।

(26) सहकारिता – सहकारी कार्य कलापों की अभिवृद्धि ।

(27) पुस्तकालय – पुस्तकालयों की अभिवृद्धि ।

(28) सौंपे गए ऐसे अन्य कार्य ।

48. कृत्यों का समुपदेशन –

(1) सरकार पंचायत समिति को अपने कार्यपालक प्राधिकार के अन्तर्गत आनेवाले किसी मामले से संबंधित अथवा केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को समुपदेशित किए गए कृत्यों को सौंप सकेगी ।

(2) सरकार अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन सौपे गए कृत्यों को वापस ले सकेगी या उपांतरित कर सकेगी ।

49. पंचायत समिति की सामान्य शक्तियां ––

(i) पंचायत समिति को इसे सौंपे गये या उसे प्रत्यायोजित किए गए कार्यो के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक या आनुषांगिक सभी कार्यों को करने की शक्तियां होगी तथा विशेषकर पूर्ववर्ती शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह इस अध्यादेश के अधीन विनिर्दिष्ट सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी ।

(ii)पंचायत समिति इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ, कार्यपालक पदाधिकारी या किसी अन्य पदाधिकारी को अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

50. स्थायी समितियां –

(1) पंचायत समिति अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपने सदस्यों में से निर्वाचन द्वारा निम्नलिखित समितियाँ गठित करेगी –

(i) सामान्य स्थायी समिति;

(ii) वित्त, अंकेक्षण तथा योजना समिति;

(iii) उत्पादन समिति;

(iv) सामाजिक न्याय समिति;

(v) शिक्षा समिति;

(vi) लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति;

(vii) लोक निर्माण समिति।

(2) प्रत्येक समिति में निर्वाचित सदस्यों में से अध्यक्ष सहित कम से कम तीन और अधिक से अधिक पाँच सदस्य होंगे। प्रत्येक समिति अपने दायित्व के प्रभावकारी निर्वहन के लिए विशेषज्ञों या लोक हित बद्ध व्यक्तियों में से अधिक से अधिक दो सदस्यों को सहयोजित कर सकती है ।

(3) प्रमुख सामान्य स्थायी समिति तथा वित्त, अंकेक्षण एवं योजना समिति का पदेन –सदस्य और अध्यक्ष होगा तथा प्रत्येक अन्य समिति के लिये एक अध्यक्ष नामित करेगा । उप–प्रमुख सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष होगा । प्रमुख उपर्युक्त दो समितियों सहित तीन से अधिक समितियों के अध्यक्ष का प्रभार नहीं रखेगा ।

परन्तु प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य होगी तथा सामाजिक न्याय समिति में का एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा ।

(4) पंचायत समिति का कोई निर्वाचित सदस्य यथाशक्य तीन से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होगा ।

(5) कार्यपालक पदाधिकारी सामान्य स्थायी समिति तथा वित्त, अंकेक्षण एवं योजना समिति का पदेन सचिव होगा। प्रत्येक अन्य स्थायी समिति के सचिव के रूप में जिला दण्डाधिकारी या उनके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत पदाधिकारी एक पदाधिाकारी का नाम निर्दिष्ट करेगा जो साधारणतयाः प्रखण्ड स्तरीय संबद्ध विभाग का प्रभारी होगा ।

(6) पंचायत समिति के सामान्य मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन स्थायी समितियों द्वारा धारा 51 में यथावर्णित कृत्यों का निर्वहन किया जायेगा ।

51. स्थायी समितियों के कृत्य –

(1) सामान्य स्थायी समिति अन्य समितियों के कार्यों के समन्वय एवं सभी अवशिष्ट कार्य जो अन्य समिति के प्रभार में नहीं है, सहित पंचायत समिति से संबंधित सामान्य कार्यों का निष्पादन करेगी ।

(2) वित्त, अंकेक्षण तथा योजना समिति वित्त, अंकेक्षण,बजट एवं योजना से संबंधित कृत्यों का निष्पादन करेगी ।

(3) उत्पादन समिति, कृषि, भूमि विकास , लघु सिंचाई एवं जल प्रबन्धन, पशुपालन, दुग्ध शाला, कुक्कुट एवं मत्स्यपालन, वानकी प्रक्षेत्र, खादी ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित कार्यों का निष्पादन करेगी।

(4) सामाजिक न्याय समिति निम्नलिखित से संबंद्ध कृत्यों का निष्पादन करेगी –

(क) अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जन–जातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों की शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य हितों का प्रोत्साहन ;

(ख) ऐसी जातियों एवं वर्गो को ं सामाजिक अन्याय तथा अन्य सभी प्रकार के शोषणों से सुरक्षा प्रदान करना ;

(ग) महिलाओं तथा बच्चों का कल्याण;

(5) शिक्षा समिति प्राथमिक, माध्यमिक, जन शिक्षा सहित शिक्षा, पुस्तकालयों एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों संबंधी कार्य करेगी ।

(6) लोक स्वास्थ, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कृत्यों का निष्पादन करेगी ।

(7) लोक निर्माण समिति ग्रामीण आवास, जलापूर्ति श्रोत सड़क एवं आवागमन के अन्य माध्यमों एवं ग्रामीण विद्युतीकरण एवं संबद्ध कार्यों के निर्माण एवं अनुरक्षण सहित सभी प्रकार के कार्य करेगी ।

52. समितियों की प्रक्रिया –

(1) पंचायत समिति, समितियों के सदस्यों के चुनाव, उसके कार्य संचालन तथा उनसे संबद्ध अन्य सभी मामलों में विनियम बना सकेगी ।

(2) प्रत्येक समिति का अध्यक्ष समिति के कार्य के मामले में पंचायत समिति के कार्यालय से कोई सूचना, विवरणी, विवरण, लेखा या प्रतिवेदन मंगवाने तथा पंचायत समिति की किसी भी अचल संपति या समिति से संबंधित कार्य की प्रगति के निरूपण और निरीक्षण का हकदार होगा ।

(3) प्रत्येक पंचायत समिति को यह अधिकार होगा कि वह समिति के कार्य से संबद्ध पंचायत समिति के किसी पदाधिकारी को अपनी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा करे । समिति के अनुदेशों के अधीन सचिव, सूचना निर्गत करेगा और पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा ।

53. संपत्ति अर्जित करने , धारण करने और निपटाव करने की शक्ति –

(1) पंचायत समिति को संपति अर्जित करने, धारण करने तथा निपटाव करने और संविदा करने की शक्ति होगी ;

परन्तु अचल संपत्ति के निपटान के सभी मामलों में पंचायत समिति सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी।

(2) निर्मित समस्त सड़कें, भवन, अथवा अन्य निर्माण कार्य जो पंचायत समिति द्वारा उसके निधियों से किया गया हो उसमें निहित होंगे ।

(3) पंचायत समिति की अधिकारिता में अवस्थित किसी भी सार्वजनिक सम्पत्ति को सरकार उसे आवंटित कर सकेगी और तत्पश्चात ऐसी सम्पत्ति पंचायत समिति में निहित हो जायेगी और उसके नियंत्रण में आ जायेगी ।

(4) जहां पंचायत समिति को इस अधिनियम के किसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए किसी भूमि की अपेक्षा है , वहां उक्त भूमि में हित रखने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों से बातचीत कर सकता है और किसी समझौता में पहुंचने में असफल होता है तो वह भूमि के अर्जन के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकता है और अगर जिला दंडाधिकारी को समाधान हो जाय कि भूमि का अधिग्रहण किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है तो वह भू–अर्जन अधिनियम 1894 (अधिनियम 1, 1894) के प्रावधानों के अधीन भूमि के अर्जन के लिये कार्रवाई करेगा और ऐसी भूमि अधिग्रहण के बाद पंचायत समिति में निहित हो जायेगी ।

54. पंचायत समिति की निधि – (1) प्रत्येक पंचायत समिति में पंचायत समिति के नाम से एक पंचायत समिति निधि का गठन किया जायगा और जमा खाते में निम्नलिखित प्रकार की राशि जमा की जायगी –

(क) अंशदान एवं अनुदान यदि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा दिये गये हो, जिसमें सरकार द्वारा यथाअवधारित राज्य में संगृहित किए जाने वाले भू–राजस्व का भाग भी शामिल है ;

(ख) जिला परिषद अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा दिया गया अंशदान एवं अनुदान, यदि कोई हो;

(ग) केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण यदि कोई हो अथवा पंचायत समिति द्वारा अपनी संपत्ति से उगाही;

(घ) अपने द्वारा उगाहे गए पथकर, उपशुल्क (रेट) और शुल्क मद में सभी प्राप्तियां ;

(ङ) पंचायत समिति में निहित या उसके द्वारा निर्मित या इसके नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन किसी विद्यालय, अस्पताल, औषधालय, भवन, संस्थान अथवा किसी निर्माण की बावत हुई सभी प्राप्तियां;

(च) उपहार या अंशदान के रूप में प्राप्त सभी रकम और पंचायत समिति के पक्ष में किसी भी न्यास या धर्मदाय से प्राप्त सभी आय;

(छ) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये उप विधियों के उपबंधों के अधीन अधिरोपित तथा वसूल किया गया ऐसा जुर्माना या अर्थदण्ड जैसा कि विहित हो ;

(ज) पंचायत समिति के द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी राशि।

(2) प्रत्येक पंचायत समिति ऐसी कुछ रकम को अलग रखेगी और उसे प्रतिवर्ष अपने प्रशासनिक कार्यों पर खर्च करने के साथ–साथ अपने पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, भविष्य निधि तथा उपादान को भुगतान के लिए अपेक्षित खर्च को पूरा करने में करेगी ।

(3) प्रत्येक पंचायत समिति को यह शक्ति होगी कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्यवित करने के यथोचित रकम खर्च कर सके ।

(4) पंचायत समिति की निधि पंचायत समिति में निहित होगा और कोष के खाता में जमा राशि ऐसी अभिरक्षा में रखी जायेगी या उनका निवेश इस प्रकार किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार समय–समय पर निदेश दे ।

(5) ऐसे सामान्य नियंत्रण के अध्यधीन जैसा की पंचायत समिति समय–समय पर प्रयोग करे, पंचायत समिति की निधि से भुगतान के लिए सभी आदेशों और चेंको पर कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा ।

55. कराधान –

(1) यथाविहित नियमों तथा ऐसी अधिकतम दरों के अध्यधीन जो सरकार विहित करे, पंचायत समिति–

(क) इसके द्वारा या अपने प्रबंधन के अधीन स्थापित किसी फेरी से पथकर की उगाही कर सकेगी ।

(ख) निम्नलिखित शुल्क (फीस) और उप–शुल्क (रेट) की उगाही कर सकेगी –

(i) वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर फीस जो तत्समय प्रवृत किसी अन्य अधिनियम के अधीन निबंधित न हो ;

(ii) अपनी अधिकारिता के भीतर तीर्थस्थलों, हाटों और मेलों में सफाई व्यवस्था करने के लिए शुल्क ले सकेगी जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचना निकालकर विनिर्दिष्ट किया जाय ;

(iii) हाट या बाजार के लिए अनुज्ञा शुल्क ;

(iv) जल कर, जहॉ अपनी अधिकारिता के भीतर पंचायत समिति द्वारा पीने, सिंचाई या अन्य प्रयोजनार्थ जलापूर्ति का प्रबंध किया जाए ;

(v) विद्युत शुल्क जहॉ पंचायत समिति द्वारा अपनी अधिकारिता के भीतर सार्वजनिक गलियों और स्थानों में प्रकाश की व्यवस्था की जाए ;

(2) पंचायत समिति अपनी अधिकारिता के भीतर किसी वाहन का निबंधन नहीं करेगी या शुल्क की उगाही नहीं करेगी तथा तीर्थ स्थलों और मेला स्थलों पर स्वच्छता का प्रबंध नहीं करेगी या इन स्थलों पर शुल्क की उगाही नहीं करेगी, यदि ऐसा वाहन किसी अन्य प्राधिकार द्वारा तत्समय प्रवृत किसी नियम के अधीन पहले निबंधित किया जा चुका हो या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा स्वच्छता का प्रबंध किया जा चुका हो ।

(3) शुल्क या कर का मापमान तथा उनके अधिरोपण की शर्त्ते और बंधेज वैसे ही होगे जैसा कि उप विधि द्वारा उपबंधित किया जाय ।

(4) ऐसी उपविधि में किसी श्रेणी के मामले में किसी या सभी कर से विमुक्ति का उपबंध किया जा सकेगा ।

56. ऋृण और निक्षेप निधि –(1) पंचायत समिति स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा ऋृण उगाही से संबंद्ध तत्समय प्रवृत किसी विधि के उपबंधों के अध्यधीन, राज्य सरकार के अनुमोदन से समय समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऋण उगाही कर सकेगी तथा ऐसे ऋणों की अदायगी के लिए निक्षेप निधि का सृजन कर सकेगी ।

(2) पंचायत समिति, विशिष्ट स्कीमों के आधार पर जैसा कि इस प्रयोजनार्थ पंचायत समिति द्वारा तैयार की जाए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार से या सरकार की पूर्व स्वीकृति से बैंकों या अन्य वित्तिय संस्थाओं से ऋण ले सकेगी ।

57. पंचायत समिति का बजट – प्रत्येक पंचायत समिति प्रत्येक वर्ष ऐसे समय और उस रीति से, जैसी कि विहित की जाये, अगले वर्ष के लिए अपनी प्राक्कलित प्राप्तियों एवं संवितरणों का बजट तैयार करेगी और वह बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित कराएगी एवं वैसी बैठक के लिए कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत से कम में गणपूर्ति नहीं होगी।

58. लेखा – पंचायत समिति लेखा को यथा विहित प्रपत्र (फारम) में रखेगी।

59. संपरीक्षा – (1) पंचायत समिति के लेखा की संपरीक्षा सरकार द्वारा यथा विहित प्राधिकार करेगा और संपरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति पंचायत समिति को, संपरीक्षा की समाप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित कर दी जायेगी ।

(2) उप–धारा (1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट संपरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पंचायत समिति या तो संपरीक्षा में बतायी गयी त्रुटियों अथवा अनियमितताओं का समाधान करेगी और विहित

प्राधिकार को तीन माह के भीतर की गई अथवा की जाने वाली अपनी कार्रवाई की सूचना भेजेगी, और उक्त अवधि के भीतर, विहित प्राधिकार को उन त्रुटियों अथवा अनियमितताओं के संबंध में यदि कोई और स्पष्टीकरण वह देना चाहे तो दे सकेगी।

(3) उपधारा (1) में वर्णित विहित पदाधिकारी द्वारा संपरीक्षा के अलावा पंचायत समिति की समवर्ती संपरीक्षा या विशेष संपरीक्षा इस निमित्त विहित रीति से करायी जा सकेगी ।

60. पंचायत समिति का स्टाफ –– (1) सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी पदाधिकारी को नियुक्त करेगी, जो उप–समाहर्त्ता से न्यून स्तर का नहीं होगा ।

(2) सरकार पंचायत समिति के अधीन काम करने के लिये समय–समय पर उतनी संख्या में, राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदस्थापित करेगी, जितना वह आवश्यक समझे ।

(3) इस बाबत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अध्यधीन, कोई पंचायत समिति अपने कार्यों के संचालन के लिए समय–समय पर उतनी संख्या में भुगतान के आधार पर या अवैतनिक कर्मचारियों या व्यवसायिकों की सेवा ले सकेगी जितनी कि अपेक्षित हो।

61. कार्यपालक पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों की शक्तियां एवं कार्य – (1) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित हो, को छोड़कर, कार्यपालक पदाधिकारी–

(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसको विशेष रूप से अधिरोपित अथवा प्रदत्त सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(ख) सरकार , द्वारा निर्मित्त नियमावली के अनुसार पंचायत समिति के अधीन कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों अथवा पदधारकों के कर्त्तव्यों का निर्धारण, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करेगा;

(ग) पंचायत समिति के सभी कार्यो के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करेगा;

(घ) पंचायत समिति के सभी कार्यो एवं विकासात्मक स्कीमों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु आवश्यक उपाय करेगा ।

(ङ) पंचायत समिति और इसकी समितियों की बैठक की कार्यवाहियों से संबंधित सभी कागजात एवं दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा में रखेगा ;

(च) पंचायत समिति की निधि से रकम की निकासी एवं संवितरण करेगा; और

(छ) यथा विनिर्दिष्ट अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ;

(2) कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति की प्रत्येक बैठक में शामिल होगा और उसे किसी समिति में शामिल होने तथा विचार–विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे कोई प्रस्ताव रखने या मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। यदि कार्यपालक पदाधिकारी की राय में पंचायत समिति के समक्ष रखे गये किसी प्रस्ताव से इस अधिनियम अथवा इसके अधीन निर्मित किसी अन्य विधि, नियम अथवा आदेश के उपबंधों का उल्लंघन होता हो या उसके असंगत हो, तो उसका यह कर्त्तव्य होगा कि वह इसकी ओर पंचायत समिति का ध्यान आकृष्ट करे ।

अध्याय – V

जिला परिषद्

62. जिला परिषद् का गठन – (1) प्रत्येक जिला के लिए एक जिला परिषद् होगी जिसकी अधिकारिता, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, सम्पूर्ण जिला में होगी किन्तु इसमें जिला के वे भाग शामिल नहीं होंगे जो तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित नगरपालिका या छावनी पर्षद् के प्राधिकार में या इसके अधीन सम्मिलित हों ।

(2) प्रत्येक जिला परिषद् अपने जिला परिषद् के नाम से एक निगमित निकाय होगी और इसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और इसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा ऐसे प्रतिबंधों के अध्यधीन जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अथवा किसी अन्य अधिनियम द्वारा अधिरोपित हों, उसमें अपने निगमित नाम से वाद चलाने या उसपर वाद चलाए जाने की अथवा उसके प्राधिकार–क्षेत्र की परिसीमाओं के भीतर या उसके बाहर के क्षेत्र में चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन, धारण और अन्तरण करने अथवा संविदाएं करने की और जिस निमित्त इसका गठन किया गया हो उसके प्रयोजनार्थ आवश्यक, समुचित या समीचीन सभी कार्य करने की शक्ति निहित होगी ।

63. जिला परिषद् की संरचना – (1) जिला परिषद् की संरचना निम्नलिखित रूप से होगी :–

(क) इस अधिनियम के अधीन यथा अवधारित जिला के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्य;

(ख) जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रमुख;

(ग) लोक सभा के वैसे सदस्य और राज्य विधान सभा के वैसे सदस्य जो जिले के किसी ऐसे भाग का प्रतिनिधित्व करते हों जो पूर्णतः या अंशतः उस जिले के अंतर्गत पड़ता हो और जिनका निर्वाचन –क्षेत्र जिले के अन्तर्गत पड़ता हो ;

(घ) राज्य सभा और राज्य विधान परिषद् के वैसे सदस्य जो जिले के अन्तर्गत निर्वाचक के रूप में दर्ज हों;

(2) जिला परिषद् के प्रत्येक सदस्य को जिला परिषद् की बैठकों में मतदान करने का अधिकार होगा, परन्तु अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन और हटाये जाने के विषय में उप–धारा (1) के खंड (क) के अधीन निर्वाचित सदस्यों को ही मत देने का अधिकार होगा।

64. निर्वाचित सदस्य – (1) जिला दण्डाधिकारी जिला गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके जिले की कुल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए यथासंभव प्रति 50,000 (पचास हजार)की जनसंख्या के निकटतम के लिये एक सदस्य के हिसाब से जिला परिषद् के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुने गये सदस्यों की संख्या का निर्धारण कर सकेगा।

(2) निर्वाचन की सुविधा की दृष्टि से जिला दण्डाधिकारी, राज्य सरकार द्वारा इस बाबत यथाविहित नियमों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में जिला परिषद् के क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभक्त करेगा कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या , यथासाध्य, सम्पूर्ण जिला परिषद् क्षेत्र में एक ही हो।

(3) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य विहित रीति से सीधे निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किया जायेगा।

65. स्थानों का आरक्षण –

(1) प्रत्येक जिला परिषद् में जिला परिषद के सदस्य के कुल स्थानों के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान निम्न के लिए आरक्षित किये जायेंगे –

(क) अनुसूचित जाति,

(ख) अनुसूचित जनजाति, और

(ग) पिछड़े वर्ग।

प्रत्येक जिला परिषद् में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिये इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस जिला परिषद् में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो अनुपात उस जिला परिषद् क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है, और ऐसे स्थान किसी जिला परिषद् में भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को विहित रीति से चक्रानुक्रम में जिला दंडाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में आवंटित किये जायेंगे।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के पश्चात शेष बचे स्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या कुल स्थानों के बीस प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक होगी तथा अनुससूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुल मिलाकर पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी, तथा इन स्थानों को विहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा शेष निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किया जायेगा। वैसे स्थान उत्तरवर्ती निर्वाचनों में चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में तथा उसके द्वारा यथाविहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा जिला परिषद् के भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किये जायेंगे।

(2.) उप–धारा (1) के अधीन आरक्षित कुल स्थानों की संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं किए गए हैं, उनमें से पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।

(4) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित ऐसे स्थान जिला परिषद् में भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में इसके द्वारा विहित रीति से चक्रानुक्रम में जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किये जायेंगे।

स्पष्टीकरण – शंकाओं के निवारण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उप–धारा के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धान्त बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रारम्भ होने के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारम्भ होगा।

66. जिला परिषद् की कार्यावधि–(1) इस अधिनियम में अन्यथा यथा उपबंधित को छोड़कर प्रत्येक जिला परिषद् की कार्यावधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले पांच वर्षो तक की होगी, इससे अधिक की नहीं।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किए गए संशोधन से जिला परिषद, जो ऐसे संशोधन के तुरंत पहले से कार्य कर रही हो, उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक विघटित नहीं होगी।

पंचायत समिति के गठन हेतु निर्वाचन कार्य निम्नलिखित रूप में पूरा किया जायेगा–

(क) उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट इसकी कार्यावधि की समाप्ति के पूर्व;

(ख) विघटन की स्थिति में, ऐसे विधटन की तिथि से छः महीने की अवधि की समाप्ति के पूर्व;

परन्तु जहाँ ऐसी शेष अवधि, जिसके लिए उक्त विघटित जिला परिषद् बनी रहती, छः महीने से कम हो, तो ऐसी अवधि के लिए जिला परिषद् के गठन के लिए इस खंड के अधीन किसी प्रकार का निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा ।

(4) यदि किसी जिला परिषद् की कार्यावधि की समाप्ति के पूर्व उसे विघटित कर किसी जिला परिषद् का गठन किया जाता है तो उक्त गठित जिला परिषद् विघटित जिला परिषद् की उस शेष अवधि तक ही कार्यरत रहेगी जबतक कि वह उप–धारा (1) के अधीन कार्यरत रहती यदि उसे विघटित नहीं किया गया होता।

67. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन– (1) राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में, धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य यथाशीघ्र अपने में से दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेंगे और यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो वे अपने में से अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेंगे

परन्तु यह कि एक महीने से कम अवधि की रिक्ति के लिए ऐसा कोई निर्वाचन नहीं होगा।

(2) **स्थानों का आरक्षण–** अध्यक्ष के पद के लिए राज्य में अध्यक्ष के कुल पदों के यथाशक्य निकटतम किन्तु पचास प्रतिशत से अनधिक स्थान निम्न के लिए आरक्षित किये जायेंगे :–

(क) अनुसूचित जाति;

(ख) अनुसूचित जनजाति; और

(ग) पिछड़े वर्ग।

राज्य के अन्तर्गत अध्यक्ष के पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए, स्थान आरक्षित किए जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस

जिला परिषद् में अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो अनुपात राज्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का कुल जनसंख्या से है, और ऐसे पद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, विहित रीति से, भिन्न–भिन्न जिला परिषदों को चक्रानुक्रम में आवंटित किए जायेंगे।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए अध्यक्ष के पदों का आरक्षण करने के पश्चात्, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों की संख्या कुल पदों के बीस प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुल मिलाकर पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी तथा इन पदों को विहित रीति से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की शेष जिला परिषदों को आवंटित किया जाएगा। ऐसे पद उत्तरवर्ती निर्वाचनों में चक्रानुक्रम में, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, उसके द्वारा विहित रीति से, राज्य में भिन्न–भिन्न जिला परिषदों को आवंटित किए जायेंगे।

(ii) उप धारा (i) के अधीन आरक्षित पदों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक पद यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे।

(iii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए अध्यक्ष के अनारक्षित पदों के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जायेंगे।

(iv) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों की महिलाओं एवं अनारक्षित कोटि की महिलाओं के लिए इस प्रकार अध्यक्ष के कुल पदों को विभिन्न जिला परिषदों को राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसके द्वारा विहित रीति से, चक्रानुक्रम में आवंटित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण – शंकाओं के निवारण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उप–धारा के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धान्त बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रारम्भ होने के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारम्भ होगा।

(3) जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदावधि, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जिला परिषद् के सदस्य के रूप में उसकी पदावधि की समाप्ति पर खत्म हो जाएगी।

(4) किसी जिला परिषद् के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और उप पदों की रिक्तियों को भरने तथा ऐसे निर्वाचन से संबद्ध विवादों का निपटारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथाविहित नियमों या प्रक्रियाओं के अनुसार किया जायेगा।

68. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को भत्ते – जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य यथाविहित बैठक–शुल्क और भत्ते पाने के हकदार होंगे।

69. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्ति, कार्य एवं दायित्व – (1) अध्यक्ष–

(क) जिला परिषद् की बैठक का आयोजन और अध्यक्षता तथा उसका संचालन करेंगे;

(ख) जिला परिषद् के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पर और उसके माध्यम से जिला परिषद् के सभी पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों पर तथा ऐसे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर, जिनकी सेवायें राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद् को सौंपी गई हों, पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेंगे ;

(ग) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे अन्य कृत्यों और कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो जिला परिषद् सामान्य संकल्प द्वारा उसे निदेशित करे या सरकार एतदर्थ निर्मित नियमों द्वारा विहित करे।

(घ) जिला परिषद् की वित्तीय और कार्यपालिका प्रशासन पर पूर्ण पर्यवेक्षण करेगा और उससे संबंधित ऐसे सभी प्रश्नों को जिला परिषद् के समक्ष रखेगा जिसके सम्बन्ध में उसे ऐसा लगे कि उसपर जिला परिषद् का आदेश आवश्यक है और इस प्रयोजनार्थ जिला परिषद् के अभिलेख की मांग कर सकेगा, और

(ङ) जिला में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देने के लिए उसे एक वर्ष में कुल एक लाख रूपये तक की राशि स्वीकृत करने की शक्ति होगी ;

परन्तु, जिला परिषद की अगली बैठक में अध्यक्ष ऐसी स्वीकृति का व्योरा जिला परिषद के समाधान के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) उपाध्यक्ष

(क) जिला परिषद के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जिला परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा ;

(ख) ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे सभी कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगा जो अध्यक्ष द्वारा उसे समय–समय पर और यथाविहित नियमावली के अध्यधीन, लिखित आदेश द्वारा प्रत्यायोजित किया जाये; और

(ग) अध्यक्ष का निर्वाचन लंबित रहने या जिला से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान अथवा 15 दिनों से अधिक की अवधि के लिए उनके अवकाश पर रहने की स्थिति में अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा ;

परन्तु , जैसे ही अध्यक्ष अपनी अनुपस्थिति से वापस आ जाएं, वह अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग पुनः करने लगेगा तथा अध्यक्ष के सभी कर्तव्यों एवं कार्यों का निर्वहन प्रारम्भ कर देगा।

70. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का त्यागपत्र अथवा हटाया जाना :– (1) अध्यक्ष अपने पद से जिला दडांधिकारी को सम्बोधित अपने स्वलिखित आवेदन द्वारा त्यागपत्र दे सकेगा तथा उपाध्यक्ष अपने पद से अध्यक्ष को सम्बोधित अपने स्वलिखित आवेदन द्वारा त्याग पत्र दे सकेगा।

2. उप–धारा (1) के अधीन प्रत्येक त्यागपत्र, ऐसा त्यागपत्र दिए जाने की तिथि से 7 दिनों के बाद प्रभावी हो जाएगा बशर्ते की उक्त 7 दिनों के भीतर यथास्थिति, जिला दंडाधिकारी या अध्यक्ष को सम्बोधित अपने स्वलिखित त्यागपत्र वह वापस न ले ले।

(3) यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिला परिषद का सदस्य नहीं रह जाता हो तो वह अपना पद छोड देगा।

(4)(i)यदि जिला परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में से बहुमत द्वारा उनके प्रति विश्वास की कमी का प्रस्ताव, इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से आयोजित बैठक में पारित किया जाये तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने पद से तत्काल ही मुक्त समझा जायेगा । ऐसी विशेष बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद् के सीधे निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में से कम–से–कम पांचवें भाग द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी तथा उसे अध्यक्ष को सौंपा जाएगा और उसकी एक प्रति जिला दण्डाधिकारी को दी जायेगी। अध्यक्ष ऐसी अध्यपेक्षा की प्राप्ति की तिथि से 7 दिनों के भीतर जिला परिषद् की विशेष बैठक आयोजित करेगा । बैठक की सूचना निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर हीं बैठक का आयोजन किया जाएगा । यदि प्रस्ताव उपाध्यक्ष के विरूद्ध हो तो अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा, यदि यह अध्यक्ष के विरूद्ध हो तो बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा और यदि यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के विरूद्ध हो तो बैठक की अध्यक्षता जिला दंडाधिकारी करेगा । अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार –विमर्श के लिए आहूत बैठक के अवसर पर उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहने अथवा आहूत बैठक में उसके अनुपस्थित रहने पर अथवा उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के लिये आहूत बैठक के अवसर पर अध्यक्ष का पद रिक्त रहने अथवा आहूत बैठक में उसके अनुपस्थित रहने पर यथास्थिति, जिला परिषद् के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित किसी सदस्य द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जायेगी।

अध्यक्ष द्वारा बैठक का आयोजन नहीं किये जाने की स्थिति में, यह बैठक जिला दंडाधिकारी द्वारा उसी रीति से बुलाई जायेगी तथा उसी के द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जायेगी।

बैठक हेतु सूचना निर्गत किये जाने के बाद ऐसी बैठक को स्थगित नही किया जाएगा । अविश्वास प्रस्ताव पर विचार–विमर्श हेतु आहूत विशेष बैठक के लिये गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) अध्यक्ष /उपाध्यक्ष के विरूद्ध उनकी पदावधि के प्रथम दो वर्ष की कालावधि के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा।

(iii) जिला परिषद् की कालावधि समाप्त होने के छः महीने के भीतर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दोनों के विरूद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा।

(iv) अध्यक्ष /उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने हेतु बुलाई गई बैठक की सूचना में उन कारणों /आरोपों का, जिनके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है, स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

(v) जैसे ही इस धारा के अधीन बुलाई गई बैठक प्रारम्भ होगी, बैठक की अध्यक्षता करने वाला सदस्य उपस्थित सदस्यों के समक्ष उस प्रस्ताव को पढ़ेगा, जिस पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई गई हो, और उसे विचार विमर्श के लिये खुला घोषित करेगा । इस धारा के अधीन प्रस्ताव पर कोई भी विचार विमर्श स्थगित नहीं किया जायेगा।

(vi) विचार–विमर्श के दौरान उस अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को, जिसके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो, जिला परिषद के समक्ष अपना प्रतिवाद करने का मौका दिया जायेगा । विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव उसी दिन मतदान के लिये प्रस्तुत किया जायेगा जो जिला दंडाधिकारी द्वारा विहित रीति से गुप्त मतदान द्वारा सम्पन्न किया जाएगा।

(vii) यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दोनों के विरूद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव एकबार अस्वीकृत हो जाये तो ऐसे प्रस्ताव की ऐसी अस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अन्दर, यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या दोनों के विरूद्ध कोई नया अविश्वास प्रस्ताव जिला परिषद् के समक्ष नहीं लाया जायेगा।

(5) इस अधिनियम के अधीन उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिला परिषद पर अधिकारिता रखने वाले आयुक्त के विचार में यदि जिला परिषद् का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बिना किसी यथेष्ट कारण के लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता हो या इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों एवं कृत्यों को करने से इनकार करता हो या जानबूझ कर उपेक्षा करता हो अथवा उसमें निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता हो अथवा दायित्वों के निर्वहन में कदाचार का दोषी पाया जाता हो अथवा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो

जाता हो अथवा किसी आपराधिक कांड का अभियुक्त होने के कारण छः माह से अधिक से फरार रहता हो तो आयुक्त ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को स्पष्टीकरण के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के बाद यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके पद से आदेश द्वारा हटा सकेगा।

इस प्रकार हटाया गया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ऐसे जिला परिषद में उसकी शेष कार्यावधि के दौरान अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।

आयुक्त के आदेश के विरूद्ध सदस्य, राजस्व पर्षद के समक्ष अपील की जा सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन पद से हटाये गये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सरकार द्वारा जिला परिषद् की सदस्यता से भी हटाया जा सकेगा।

71. सदस्यों का त्याग पत्र – जिला परिषद् का कोई निर्वाचित सदस्य जिला परिषद् के अध्यक्ष को प्रेषित स्वलिखित त्याग पत्र देकर अपनी सदस्यता का त्याग कर सकेगा और ऐसा त्याग–पत्र दिए जाने की तिथि से पूरे सात दिनों की समाप्ति के पश्चात् उनका स्थान रिक्त हो जायेगा, बशर्ते कि वह सात दिनों की उक्त अवधि के अन्दर अध्यक्ष के नाम स्वलिखित आवेदन देकर अपना त्याग पत्र वापस न ले ले।

72. जिला परिषद् की बैठक–(1) जिला परिषद् , सम्बद्ध जिले की स्थानीय सीमा के अन्तर्गत ऐसे समय में और ऐसे स्थान में, जैसा कि जिला परिषद् अपनी पूर्ववर्त्ती बैठक के तुरत बाद नियत करे, प्रत्येक तीन माह में कम–से–कम एकबार बैठक का आयोजन करेगीः

परन्तु , किसी नवगठित जिला परिषद् की पहली बैठक का आयोजन संबद्ध जिले की स्थानीय सीमा के अन्तर्गत ऐसे समय में और ऐसे स्थान में किया जायेगा जैसा कि जिला दंडाधिकारी नियत करे और उसकी अध्यक्षता उनके द्वारा की जायेगी;

परन्तु यह और कि, जब जिला परिषद् के सदस्यो का पांचवा भाग बैठक आयोजित करने के लिए लिखित रूप में अपेक्षा करे तब अध्यक्ष वैसी बैठक दस दिनों के भीतर आयोजित करेगा। ऐसा नहीं करने पर पूर्वोक्त सदस्य जिला दंडाधिकारी को जानकारी देकर तथा जिला परिषद् के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पूरे सात दिनों की सूचना देकर बैठक आयोजित कर सकेंगे।

(2) जिला परिषद् की बैठक में कार्यो के निष्पादन के लिए जिला परिषद् के कुल सदस्यों की एक–तिहाई संख्या से गणपूर्त्ति होगी।

(3) जिला परिषद् के समक्ष रखे जाने वाले सभी मामलों पर निर्णय बहुमत द्वारा किया जायेगा; मतों के बराबर होने की स्थिति में, अध्यक्ष अथवा अध्यक्षता कर रहे सदस्य का मत निर्णायक होगा।

(4) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी अथवा यदि वह अनुपस्थित हों तो उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा की जायेगी तथा यदि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हों या अध्यक्ष अनुपस्थित हो और कोई उपाध्यक्ष न हो तो उपस्थित सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को अध्यक्षता करने के लिये चुन लिया जायेगा।

(5) जिला परिषद् का कोई भी सदस्य जिला परिषद् या किसी भी समिति की बैठक में विचारार्थ आये हुए ऐसे प्रश्न पर मत नहीं देगा या उसके विमर्श में भाग नहीं लेगा यदि उस प्रश्न में जन साधारण की सामान्य प्रयोज्यता के अलावा कोई प्रत्यक्ष आर्थिक या निजी हित निहित हो और यदि अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निजी हित निहित हो तो वह उस समय बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा जब ऐसा प्रश्न विचार–विमर्श के लिए रखा जाएगा ।

(6) यदि बैठक में उपस्थित किसी सदस्य का यह विश्वास हो कि विमर्शाधीन किसी मामले में सभापतित्व करने वाले का ऐसा कोई आर्थिक या निजी हित है और यदि उस आशय का प्रस्ताव लाया जाये तो वह ऐसे विमर्श के दौरान बैठक का सभापतित्व नहीं करेगा या मत नहीं देगा या उसमें भाग नहीं लेगा। ऐसा विचार विमर्श के चलते रहने के दौरान में जिला परिषद् का कोई भी सदस्य बैठक का सभापतित्व करने के लिए चुना जा सकेगा ।

(7) किसी साधारण बैठक में किसी ऐसे प्रतिपाद्य विषय पर तबतक विमर्श नहीं किया जायेगा जब तक ऐसी बैठक आयोजित करने हेतु दी जाने वाली नोटिस में अथवा विशेष बैठक की दशा में, ऐसी बैठक के लिए किये गये लिखित निवेदन में उसे दर्ज नहीं किया गया हो। कोई भी सदस्य कार्य सूची में सम्मिलित विषयों से संबद्ध या अनुषंगी प्रस्ताव रख सकेगा। अध्यक्ष, कार्य–सूची में सम्मिलित न होते हुए दैनन्दिनी स्वरूप के किसी भी अत्यावश्यक विषय का प्रस्ताव रख सकेगा यदि कोई भी सदस्य उस पर आपत्ति न उठाये। प्रस्ताव या प्रतिपाद्य विषय की दशा में, उप–धारा (9) की अनुरूपता के सिवाय, उसके पारित किये जाने के बाद तीन महीने के भीतर प्रस्ताव को उपांतरित या रद्द करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। ऐसा कोई कार्य या प्रतिपाद्य विषय ऐसी बैठक में किस क्रम से प्रस्तुत किया जायेगा उसे सभापतित्व करने वाले प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जायेगा तथा जब किसी सदस्य द्वारा खास प्रस्ताव देने का प्रस्ताव किया जाये वैसी दशा में उस प्रस्ताव को बैठक में रखेगा और प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में दिये गये बहुमत द्वारा यह मार्ग निर्देशित होगा।

(8) कोई भी साधारण बैठक, उपस्थित अधिकांश सदस्यों की सहमति से, समय–समय पर स्थगित की जा सकेगी, किन्तु किसी भी स्थगित बैठक में किसी भी कार्य का संव्यवहार नहीं किया जायेगा सिवाय उसके जो उस बैठक में अनिस्तारित या बाकी रह गया हो जिसे स्थगित किया गया था ।

(9) जिला परिषद् के किसी भी प्रस्ताव को उसके पारित किये जाने के छः महीने के भीतर उपांतरित या विखंडित तबतक नहीं किया जायेगा जबतक साधारण या ऐसी विशेष बैठक जिसकी कोई सूचना, उप–धारा (4) की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए और उस प्रस्ताव का जिसमें उस बैठक में पूर्णतः उपांतरित या विखंडित करने का प्रस्ताव हो अथवा ऐसे प्रस्ताव के उपांतरण या विखंडन के लिए प्रस्ताव या प्रतिपाद्य विषय का पूरा उल्लेख करते हुए न दी गई हो में सदस्यों की कुल संख्या की आधी संख्या से अन्यून द्वारा संकल्प पारित न किया जाय

(10) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही बैठक के विमर्श के तुरंत बाद कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज की जायेगी और बैठक का सभापतित्व करने वाले प्राधिकारी द्वारा ठीक से पढ़ लिये जाने के बाद उस पर हस्ताक्षर किया जायगा। जिला परिषद् के निर्णय पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जिला परिषद् की अगली बैठक में की जायेगी। कार्यवाही पुस्तिका सदैव जिला परिषद् के कार्यालय में रखी जायेगी। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कार्यवाही पुस्तिका का अभिरक्षक होगा।

(11) जिला परिषद् अपनी बैठकों में सरकारी पदाधिकारियों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगी। यदि जिला परिषद् को ऐसा प्रतीत हो कि जिला की अधिकारिता वाले क्षेत्र या उसके किसी भाग का कोई क्षेत्रीय पदाधिकारी जो जिला परिषद् के अधीन कार्यरत न हो और जिला परिषद् की बैठक में उसकी उपस्थिति वांछनीय है, तो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, आशयित बैठक की तिथि से कम–से–कम पन्द्रह दिन पहले ऐसे पदाधिकारी को सम्बोधित पत्र के द्वारा उस पदाधिकारी को बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध करेगा और वह बैठक में उपस्थित होगा, बशर्ते कि वह बीमारी या अन्य युक्तियुक्त कारण से उपस्थित होने में असमर्थ न हो,

परन्तु, ऐसा पदाधिकारी पत्र प्राप्त होने पर यदि वह उपर्युक्त कारणों से स्वयं बैठक में उपस्थित होने की स्थिति में न हो तो अपने उप–पदीय पदाधिकारी या अन्य सक्षम अधीनस्थ पदाधिकारी को उस बैठक में प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुदेश देगा।

73 जिला परिषद् के कार्य एवं शक्तियां– (1) सरकार द्वारा समय–समय पर यथा विनिर्दिष्ट शर्त्तो के अधीन जिला परिषद् निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करेगी :–

(1) कृषि–

(i) कृषि उत्पादन को बढ़ाने के साधनों को प्रोत्साहित करना और उन्नत कृषि पद्धतियों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाना;

(ii) कृषि बीज फार्म तथा व्यावसायिक फार्म खोलना तथा उनका अनुरक्षण करना;

(iii) गोदाम की स्थापना एवं अनुरक्षण करना;

(iv) कृषि मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन;

(v) कृषि एवं बागवानी प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रबन्धन;

(vi) किसानों का प्रशिक्षण;

(vii) भूमि सुधार एवं भू–संरक्षण।

(2) सिंचाई, भूतल जल संसाधन एवं जल संभर विकास –

(i) लघु सिंचाई कार्य एवं उद्‌वह सिंचाई का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण;

(ii) जिला परिषद् के नियंत्रण में सिंचाई स्कीमों के अधीन जल का समय; पर और समान रूप से वितरण एवं उसके पूर्ण उपयोग की व्यवस्था करना;

(iii) भूतल जल संसाधनों का विकास;

(iv) सामुदायिक पम्पसेट लगाना;

(v) जल संभर विकास कार्यक्रम।

(3) बागवानी–

(i) ग्रामीण पार्क एवं उद्यान;

(ii) फलों एवं सब्जियों की खेती।

(iii) फार्म।

4. सांख्यिकी–

(i) पंचायत समिति और जिला परिषद् के क्रियाकलापों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों एवं अन्य सूचनाओं का प्रकाशन;

(ii) पंचायत समिति और जिला परिषद् के क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित सांख्यिकीय एवं अन्य सूचनाओं का समन्वय एवं उपयोग;

(iii) पंचायत समिति और जिला परिषद् को सुपुर्द परियोजनाओं और कार्यक्रमों का समय–समय पर पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन।

5. ग्रामीण विद्युतीकरण ।

6. आवश्यक वस्तुओं का वितरण ।

7. भूमि संरक्षण –

(i) भूमि संरक्षण के उपाय ;

(ii) भूमि –उद्धार और भूमि विकास संबंधी कार्य ।

8 विपणन–

(i) विनियमित बाजारों और बाजार प्रांगणों का विकास

(ii) कृषि उत्पादनों का वर्गीकरण और गुण नियंत्रण।

9 सामाजिक वानिकी–

(i) वृक्षारोपण के लिए अभियान चलना;

(ii) वृक्ष–रोपण और उनका अनुरक्षण;

10 पशुपालन एवं गव्य विकास ।

(i) पशुचिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना;

(ii) चलन्त निदान और उपचार प्रयोगशालाओं की स्थापना;

(iii) गायों और सुअरों के प्रजनन–प्रक्षेत्र।

(iv) कुक्कुट फार्म, बत्तख फार्म और बकरी–फार्म

(v) दुग्ध शाला, कुक्कुट–पालन और समुद्री उत्पाद के लिए सामान्य शीत–गृह (कोल्ड स्टोरेज) की सुविधा;

(vi) चारा विकास कार्यक्रम;

(vii) दुग्धशाला, कुक्कुट–पालन एवं सुअर पालन को प्रोत्साहन

(viii)महामारियों और छूत के रोगों की रोक–थाम।

11. लघु वन उपज, ईंधन एवं चारा–

(i) सामाजिक एवं फार्म वानिकी, ईंधन–वृक्ष रोपण एवं चारा विकास;

(ii) सामुदायिक भूखंडों पर उगाये गए वनों की लघु वन उपज का प्रबंधन;

(iii) बंजर भूमि का विकास।

12. मत्स्य पालन–

(i) मत्स्य बीज का उत्पादन और वितरण;

(ii) निजी और सामुदायिक तालाबों में मत्स्य–पालन का विकास;

(iii) अन्तर्देशीय मत्स्य–पालन का विकास;

(iv) मछली की रोग मुक्ति एवं सुखाना;

(v) परम्परागत मछली पकड़ने के उद्योग को सहायता;

(vi) मत्स्य क्रय–विक्रय सहकारी समितियों का गठन;

(vii) मछुआरों के उत्थान एवं विकास के लिए कल्याण–योजनाएं;

13. घरेलू एवं लघु उद्योग (खाद्य प्रसंस्करण सहित)–

(i) स्थानीय क्षेत्र में परम्परागत कुशल कारीगरी की पहचान और घरेलूउद्योगों का विकास;

(ii) कच्चे माल की अपेक्षाओं का निर्धारण ताकि यथा समय आपूर्त्ति सुनिश्चित की जा सके;

(iii) उपभोक्ताओं की बदलती हुई मांग के मुताबिक रूपांकन और उत्पादन;

(iv) शिल्पकारों और कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन;

(v) इस कार्यक्रम के लिए बैंक ऋण उपलब्ध करने हेतु संपर्क;

(vi) तैयार उत्पादनों को लोकप्रिय बनाना और उनका विपणन;

(vii) औद्योगिक सम्पदा;

(viii) खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प और ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों का संगठन।

14 ग्रामीण, सड़कें एवं अन्तर्देशीय जलमार्ग–

(i) राष्ट्रीय और राज्य उच्च पथों को छोड़कर अन्य सड़कों का निर्माण और अनुरक्षण;

(ii) राज्य और राष्ट्रीय उच्च पथों को छोड़कर अन्य सड़कों में पड़नेवाली पुल एवं पुलिया;

(iii) जिला परिषद् के कार्यालय–भवनों का निर्माण और अनुरक्षण;

(iv) बाजारों, शैक्षणिक संस्थाओं, स्वास्थ्य केन्द्रों एवं संपर्क सड़कों को जोड़ने वाली बड़ी संपर्क सड़कों की पहचान;

(v) नयी सड़कों और विद्यमान सड़कों को चौड़ा करने के लिए स्वैच्छिक भू–अर्पण के लिए लोगों को संगठित करना;

15 स्वास्थ्य एवं आरोग्य–

(i) चिकित्सा महाविद्यालय के अस्पतालों, यक्ष्मा–आरोग्यशालाओं, कुष्ठ अस्पतालों और मानसिक रोग अस्पतालों को छोड़कर, अन्य अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और औषधालयों की स्थापना एवं अनुरक्षण;

(ii) रोग–प्रतिरक्षण और टीकाकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन ;

(iii) स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्य–कलाप;

(iv) मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी कार्य–कलाप;

(v) परिवार कल्याण संबंधी कार्य–कलाप;

(vi) पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के साथ मिलकर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन।

(vii) पर्यावरण प्रदूषण से बचाव के उपाय

16 ग्रामीण आवास–

(i) गृह विहीन परिवारों की पहचान;

(ii) जिला में गृह निर्माण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन;

(iii) अल्प लागत के गृह निर्माण को लोकप्रिय बनाने का कार्य।

17 शिक्षा–

(i) शैक्षणिक कार्यकलापों को प्रोत्साहन जिसके अन्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना और अनुरक्षण भी शामिल है;

(ii) जन शिक्षा और पुस्तकालय सुविधाओं के लिए कार्यक्रमों का आयोजन;

(iii) ग्रामीण, क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के प्रचार–प्रसार का विस्तार कार्य;

(iv) शैक्षणिक कार्यकलापों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन।

(v) सामान्य छात्रावासों, आश्रमों, विद्यालयों एवं अनाथालयों की स्थापना और अनुरक्षण।

18. सामाजिक कल्याण एवं कमजोर वर्गो का कल्याण

(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति और पिछड़े वर्गों को छात्रवृतियाँ वृतिका, छात्रावास अनुदान एवं पुस्तक और अन्य अनुषांगिक सामाग्रियों की खरीद हेतु, अन्य अनुदान देकर शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार;

(ii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति के लाभार्थ, छात्रावासों का प्रबंध;

(iii) निरक्षरता उन्मूलन एवं सामान्य शिक्षा देने हेतु नर्सरी विद्यालयों बालवाड़ियों, रात्रिपाठशालाओं में एवं पुस्तकालयों का संगठन;

(iv) अनुसूचित जातियों, तथा अनुसूचित जन–जातियों को कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों का प्रशिक्षण देने हेतु आदर्श कल्याण केन्द्रों एवं शिल्प केन्द्रों का संचालन;

(v) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन–जातियों के लिए आवासीय बुनियादी विद्यालयों की व्यवस्था;

(vi) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन–जातियों के सदस्यों द्वारा उत्पादित माल के विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना;

(vii) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन–जातियों की सहकारी समितियों का गठन;

(viii) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उत्थान एवं विकास हेतु अन्य कल्याण योजनाएँ ;

19 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम–

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की योजना बनाना, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण (मोनेटरिंग करना)और उनका कार्यान्वयन।

20 सामाजिक सुधार कार्यकलाप–

(i) महिला संगठन एवं कल्याण;

(ii) बाल संगठन एवं कल्याण;

(iii) स्थानीय आवारागर्दी से राहत;

(iv) अनाथालयों, उद्धार–गृहों इत्यादि जैसे सामाजिक कल्याण संस्थाओं का अनुरक्षण;

(v) विधवाओं, वृद्धों और विकलांग निस्सहायों के लिए पेंशन तथा बेरोजगारों एवं अर्न्तजातीय विवाह करने वाले दम्पतियों, जिनमें से कोई एक अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य हो, के लिये भत्ते की मंजूरी एवं वितरण;

(vi) आगजनी पर नियंत्रण;

(vii) अंधविश्वास, जातिवाद, अस्पृश्यता, नशाखोरी, मँहगी शादियों और सामाजिक उत्सवों, दहेज तथा सरेआम नशाखोरी के विरूद्ध अभियान;

(viii)सामुदायिक विवाहों एवं अन्तर्जातीय विवाहों का प्रोत्साहन;

(ix)तस्करी, करवंचना और खाद्यानों में मिलावट जैसे आर्थिक अपराधों पर निगरानी;

(x) भूमिहीन मजदूरों को प्रदत्त भूमि के विकास हेतु सहायता;

(xi) आदिवासियों की संक्रमित भूमि का पुनर्ग्रहण;

(xii)बंधुआ मजदूरों की पहचान, विमुक्ति एवं पुनर्वास;

(xiii) सांस्कृतिक एवं मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन;

(xiv) खेलकूद को प्रोत्साहन एवं ग्रामीण क्रीड़ांगनों (स्टेडिया) का निर्माण;

(xv)परम्परागत त्योहारों को नया रूप और सामाजिक आयाम देना;

(xvi)निम्नलिखित द्वारा मितव्ययता और बचत को प्रोत्साहित करना :

(क) बचत आदतों को प्रोत्साहित करना

(ख) अल्प बचत अभियान;

(ग) सूदखोरी और ग्राम्य ऋण ग्रस्तता के विरूद्ध संघर्ष;

(21) इसके अतिरिक्त जिला परिषद् –

(क) अपने में निहित अथवा अपने नियंत्रणाधीन एवं प्रबंधनाधीन, किसी संस्था या सार्वजनिक उपयोग के किसी कार्य का प्रबंध या उसका अनुरक्षण करेगी;

(ख) ग्रामीण हाटों और बाजारों का अधिग्रहण एवं अनुरक्षण करेगी;

(ग) पंचायत समिति या ग्राम पंचायत को अनुदान प्रदान करेगी;

(घ) संकट ग्रस्तों को राहत देने हेतु उपाय करेगी;

(ङ) जिला में पंचायत समितियों द्वारा तैयार किये गये विकास योजनाओं एवं स्कीमों का समन्वय एवं एकीकरण करेगी;

(च) जिलान्तर्गत पंचायत समितियों के बजट प्राक्कलन की जांच एवं मंजूरी करेगी;

(छ) एक प्रखंड से अधिक में फैले, किसी स्कीम को अपने हाथ में लेगी या उसका कार्यान्वयन करेगी;

(ज) किसी निजी स्वामित्व वाले या किसी अन्य प्राधिकार के स्वामित्व वाले किसी ग्रामीण पुल, तालाब, घाट, कूआँ, नहर या नाली का अनुरक्षण एवं नियंत्रण ऐसी बंधेजों एवं शर्त्तों पर जैसा कि सहमति हो, अपने अधीन लेगी।

(22). वे सभी विषय जो भारत संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित हैं पर जिनका उल्लेख इस अधिनियम में अन्यत्र नहीं है।

(23). राज्य सरकार द्वारा किसी अधिनियम के अधीन जिला परिषद् को ऐसी शक्तियां निहित की जा सकेगी, जिसे सरकार यथोचित समझे।

(24). दो या अधिक निकटवर्त्ती जिलों के जिला परिषद् यथा सहमत बंधेज और शर्त्तों के अनुसार संयुक्त रूप से किसी विकास स्कीम को अपने हाथ में ले सकेंगी और उसका कार्यान्वयन कर सकेंगी।

(25) जिला परिषद् के वार्षिक बजट तैयार करना।

74 जिला परिषद् की सामान्य शक्तियाँ–(1) सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के अध्यधीन जिला परिषद्–

(क) अपनी अधिकारिता के बाहर, शिक्षा या स्वास्थ्य राहत पर व्यय उपगत कर सकेगी;

(ख) जिलावासियों के कल्याणार्थ स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, सुख–सुविधा, या सामाजिक, आर्थिक अथवा सांस्कृतिक अभिवृद्धि हेतु कोई कार्य या उपायों को कार्यान्वित करने का उपबंध कर सकेगी;

(ग) स्थानीय सरकार के प्रोत्साहन से संबद्ध अखिल भारतीय, राज्य या अन्तर्राज्य स्तर के संघ और पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के कार्य कलापों से संबंधित जिला के अन्तर्गत प्रदर्शनी, सेमिनार और सम्मेलनों को अंशदान कर सकेगी, और

(घ) जिले में किसी ऐसे कार्य कलाप के कार्यान्वयन के लिये किसी भी व्यक्ति को वित्तीय या अन्य सहायता प्रदान कर सकेगी , जो राज्य के किन्हीं कृत्यों से संबंधित हों।

(2) जिला परिषद् को, उसे सौंपे गये या प्रत्यायोजित कृत्यों का कार्यान्वयन करने के लिए सभी आवश्यक या आनुषंगिक कार्रवाई करने और खासकर पूर्ववर्त्ती शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट सभी शक्तियों के प्रयोग की शक्तियां होंगी।

75. कृत्यों का समनुदेशन –(i) सरकार, जिला परिषद् को अपने कार्यपालक प्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले किसी मामले से संबंधित अथवा केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को समनुदेशित किये गये कृत्यों को सौंप सकेगी।

(iii) सरकार, अधिसूचना द्वारा ,इस धारा के अधीन सौंपे गये कृत्यों को वापस ले सकेगी या उपांतरित कर सकेगी।

(iv)

76. शक्तियों का प्रत्यायोजन –

जिला परिषद् इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियां मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी या किसी अन्य पदाधिकारी को, अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजित कर सकेगी।

77. स्थायी समितियां –

(1) जिला परिषद् अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निर्वाचन द्वारा निम्नलिखित समितियां गठित करेगी :–

(i) सामान्य स्थायी समिति।

(ii) वित्त, अंकेक्षण तथा योजना समिति।

(iii) उत्पादन समिति ।

(iv) सामाजिक न्याय समिति।

(v) शिक्षा समिति।

(vi) लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति।

(vii) लोक कार्य समिति ।

(2) प्रत्येक समिति में निर्वाचित सदस्यों में से अध्यक्ष सहित कम से कम तीन और अधिक से अधिक पाँच सदस्य होंगे । प्रत्येक समिति अपने दायित्वों के प्रभावकारी निर्वहन के लिए विशेषज्ञों या लोक हितबद्ध व्यक्तियों में से अधिक से अधिक दो सदस्यों को सहयोजित कर सकती है ।

(3) अध्यक्ष, सामान्य स्थायी समिति तथा वित्त, अंकेक्षण एवं योजना समिति का पदेन–सदस्य और अध्यक्ष होगा तथा प्रत्येक अन्य समिति के लिए एक अध्यक्ष नामित करेगा। अध्यक्ष उपर्युक्त दो समितियों सहित तीन से अधिक समितियों के अध्यक्ष का प्रभार नहीं रखेगाः

परन्तु, प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य होगी तथा सामाजिक न्याय समिति में एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति को होगा ।

(4) जिला परिषद् का कोई निर्वाचित सदस्य यथाशक्य तीन से अधिक समितियों में नहीं रहेगा ।

(5) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सामान्य स्थायी समिति एवं वित्त अंकेक्षण तथा योजना समिति का पदेन सचिव होगा । प्रत्येक अन्य स्थायी समिति के सचिव के रूप में जिला दण्डाधिकारी एक राजपत्रित पदाधिकारी का नाम निर्दिष्ट करेगा जो साधारणतया जिला स्तरीय सम्बद्ध विभाग का प्रभारी होगा ।

78. स्थायी समितियों के कृत्य –(1) सामान्य स्थायी समिति, स्थापना मामले, समन्वय एवं सभी अवशिष्ट कार्य , जो अन्य समिति के प्रभार में नहीं है , सहित जिला परिषद् से संबंधित सामान्य कार्यों का निष्पादन करेगी ।

(2) वित्त अंकेक्षण तथा योजना समिति वित्त, अंकेक्षण, बजट एवं योजना से संबंधित कृत्यों का निष्पादन करेगी ।

(3) उत्पादन समिति कृषि, भूमि विकास , लघु सिंचाई एवं जल प्रबंधन, पशुपालन, दुग्धशाला, कुक्कुट एवं मत्स्य पालन, वानिकी से संबंधित क्षेत्र, खादी, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित कार्यों का निष्पादन करेगी ।

(4) सामाजिक न्याय समिति निम्नलिखित से संबंद्ध कृत्यों का निष्पादन करेगी ।

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों की शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य हितों का प्रोत्साहन ;

(ख) ऐसी जातियों एवं वर्गों को सामाजिक अन्याय तथा अन्य सभी प्रकार के शोषणों से सुरक्षा प्रदान करना और

(ग) महिला एवं बच्चों का कल्याण

(5) शिक्षा समिति, प्राथमिक, माध्यमिक, जन एवं अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों सहित शिक्षा से संबंधित कृत्यों का निष्पादन करेगी ।

(6) लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति लोकस्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित कृत्यों का निष्पादन करेगी ।

(7) लोक कार्य समिति ग्रामीण आवास , जलापूर्ति स्रोत , सड़क एवं आवागमन के अन्य साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं इससे संबंधित कार्य सहित सभी प्रकार के निर्माण एवं अनुरक्षण से संबंधित कृत्यों का निष्पादन करेगी ।

79. समितियों की प्रकिया– (1) जिला परिषद् समितियों के सदस्यों के निर्वाचन , उसके कार्य संचालन तथा उनसे संबद्ध अन्य सभी मामलों के संबंध में विनियम बना सकेगी।

(2) प्रत्येक समिति का अध्यक्ष, उस समिति के कार्यों के मामले में, जिला परिषद् के पदाधिकारियों से कोई सूचना, विवरणी, विवरण या प्रतिवेदन मंगवाने तथा जिला परिषद् की किसी भी अचल सम्पति या समिति से संबंधित कार्यों की प्रगति के निरूपण और निरीक्षण का हकदार होगा।

(3) प्रत्येक समिति को यह अधिकार होगा कि वह समिति के कार्यों से संबद्ध जिला परिषद् के किसी पदाधिकारी को अपनी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा करें। मुख्य कार्यपालक अधिकारी समिति के अनुदेशों के अधीन सूचना निर्गत करेगा और पदाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

80. सम्पति अर्जित करने, धारण करने और बेचने की शक्ति–(1) जिला परिषद् को सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और बेचने तथा संविदा करने की शक्ति होगीः

परन्तु, अचल सम्पत्ति के निपटान के सभी मामलों में जिला परिषद् सरकार की पुर्वानुमति प्राप्त करेगी।

(2) सभी सड़क, भवन या अन्य निर्माण कार्य जो जिला परिषद् द्वारा उसके निधि से किया गया हो, उसमें निहित होंगे।

(3) जिला परिषद् की अधिकारिता में पड़ने वाली किसी सार्वजनिक संपत्ति को सरकार आवंटित कर सकेगी, और तत्पश्चात् ऐसी संपत्ति जिला परिषद् में निहित हो जाएगी और उसके नियंत्रण के अधीन आ जाएगी।

(4) जहां जिला परिषद् को इस अधिनियम के किसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए किसी भूमि की अपेक्षा है वहां वह उक्त भूमि से हितबद्ध व्यक्ति या व्यक्तियों से बात चीत कर सकता है और अगर वह किसी समझौता पर पहुंचने में असफल होता है तो वह भूमि अर्जित करने के लिए जिला दंडाधिकारी को आवेदन कर सकता है और अगर जिला दंडाधिकारी का समाधान हो जाए कि भूमि का अधिग्रहण किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है तो वह भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1,1894 का) के उपबंधों के अधीन भूमि अर्जन के लिए कार्रवाई करेगा, और ऐसी भूमि अधिग्रहण के बाद जिला परिषद् में निहित होगी।

81. जिला परिषद् निधि –(1) प्रत्येक जिला परिषद् के लिए जिला परिषद् के नाम एक जिला परिषद् निधि का गठन किया जायेगा और उसके खाते में निम्नलिखित जमा किये जायेंगे–

(क) अंशदान और अनुदान यदि केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा दिये गये हों जिसमें सरकार द्वारा यथा अवधारित राज्य में संगृहीत किए जाने वाले भू–राजस्व का भाग भी शामिल है।

(ख) पंचायत समिति या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा किया गया अंशदान और अनुदान, यदि कोई हो।

(ग) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण यदि कोई हो, या जिला परिषद् द्वारा अपनी संपत्ति की प्रतिभूति से उगाही ऋण।

(घ) जिला में लगाई गई सड़क उप–कर (सेस) से उद्गृहित आगम का हिस्सा।

(ङ) जिला परिषद् द्वारा उद्गृहीत दर एवं शुल्क से हुई सभी प्राप्तियाँ।

(च) जिला परिषद् में निहित या उसके द्वारा निर्मित या इसके नियंत्रण और प्रबंध के अधीन के किसी विद्यालय, अस्पताल, डिस्पेन्सरी, भवन, संस्थान या किसी निर्माण की बाबत हुई सभी प्राप्तियाँ।

(छ) उपहार या अंशदान के रूप में प्राप्त सभी रकम और जिला परिषद् के पक्ष में किसी न्यास या धर्मदाय से प्राप्त सभी आय।

(ज) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये उप–विधियों के उपबंधों के अधीन अधिरोपित तथा वसूल किया गया ऐसा जुर्माना या अर्थदंड, जैसा कि विहित हो ।

(झ) जिला परिषद् द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त ऐसी अन्य राशि।

(2) प्रत्येक जिला परिषद् ऐसी कुछ रकम को अलग रखेगी और उसे प्रतिवर्ष अपने प्रशासनिक कार्यो पर खर्च करने के साथ–साथ अपने पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ता, भविष्य–निधि और उपदान के भुगतान के लिए अपेक्षित खर्च को पूरा करने में करेगी।

(3) प्रत्येक जिला परिषद् को यह शक्ति होगी कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए यथोचित रकम खर्च कर सके ।

(4) जिला परिषद् का निधि जिला परिषद् में निहित होगा और कोष के खाता में जमा राशि ऐसी अभिरक्ष में रखी जाएगी या उनका निवेश इस प्रकार किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश दे।

82. करारोपण–(1) सरकार द्वारा यथाविहित अधिकतम दर के अध्यधीन जिला परिषद् :–

(क) इसके द्वारा स्थापित या इसके प्रबंध के अधीन पड़ने वाले किसी घाट पर घाट–कर लगा सकेगी।

(ख) निम्नलिखित शुल्क और कर लगा सकेगी अर्थात्–

(i) नाव या वाहनो के रजिस्ट्रीकरण पर शुल्क;

(ii) अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सरकार द्वारा अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे तीर्थ स्थानों एवं मेलों में सफाई व्यवस्था प्रदान करने के लिए शुल्क ;

(iii) मेला आदि के लिए अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) पर शुल्क;

(iv) अपने क्षेत्राधिकार के भीतर जिला परिषद् द्वारा सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर जहाँ प्रकाश की व्यवस्था की गई हो, वहाँ प्रकाश शुल्क; और

(v) अपने क्षेत्राधिकार में जिला परिषद् द्वारा पेय जल आपूर्त्ति, सिंचाई या अन्य किसी प्रयोजनार्थ जल की व्यवस्था किए जाने पर जल–शुल्क।

(2) जिला परिषद् अपने क्षेत्राधिकार के भीतर ऐसे वाहनों पर जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन पूर्व में रजिस्ट्रीकृत हो या यदि किसी दूसरे स्थानीय प्राधिकार द्वारा तीर्थ स्थल या मेला आदि की जगहों पर सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराई जा चुकी हो, शुल्क नहीं लगायेगा।

(3) शुल्क या दर अधिरोपित करने और उनके निबंधन एवं शर्ते उप–विधि द्वारा यथा उपबंधित होगी । ऐसी उप विधियों में किसी तरह के मामले में सभी या किन्हीं करों , शुल्कों या दरों से विमुक्ति का उपबंध हो सकेगा ।

83. जिला परिषद् के लिए वित्तीय व्यवस्थाएं–(1) जिला परिषद् स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा कर्ज लेने से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अध्यधीन राज्य सरकार के अनुमोदन से समय–समय पर, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, कर्ज ले सकेगी और ऐसे कर्जों की अदायगी के लिए निक्षेप निधि का सृजन कर सकेगी।

(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जिला परिषद् सरकार से या सरकार की पूर्व मंजूरी से, बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं से, विशिष्ट स्कीमों के आधार पर जो इस प्रयोजनार्थ जिला परिषद् द्वारा तैयार की जाए, अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए उधार ले सकेगी।

84. बजट– प्रत्येक जिला परिषद् प्रत्येक वर्ष ऐसे समय और उस रीति से, जैसा कि विहित की जाये, अगले वर्ष के लिए अपनी प्राक्कलित प्राप्तियों एवं संवितरणों का बजट तैयार करेगी और वह बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित होगा; वैसी बैठक के लिए कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत से कम में गणपूर्त्ति नहीं होगी।

85. लेखा– जिला परिषद् यथाविहित रीति से लेखा रखेगी।

86. अंकेक्षण – (1) जिला परिषद् के लेखे का अंकेक्षण सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा और अंकेक्षण पूरा होने के एक महीने के भीतर जिला परिषद् को अंकेक्षण–टिप्पणी की एक प्रति अग्रसारित की जाएगी।

(2) उप–धारा–(1) में निर्दिष्ट अंकेक्षण –रिपोर्ट प्राप्त होने पर, जिला परिषद् किसी भी त्रुटि या अनियमितता का सुधार करेगी जो अंकेक्षण में बताया गया हो और सरकार के पास ऐसा किए जाने की सूचना तीन महीने के भीतर भेज देगी अथवा उक्त अवधि के भीतर ऐसी त्रुटियों या अनियमितताओं के संबंध में विहित प्राधिकारी के पास विशेष स्पष्टीकरण देगी जो वह देना चाहे।

(3) उपर उप धारा (1) में उल्लिखित विहित प्राधिकारी द्वारा किये गये अंकेक्षण के अलावा इस प्रयोजनार्थ विहित रीति से जिला परिषद् का समवर्त्ती अंकेक्षण या विशेष अंकेक्षण कराया जा सकेगा ।

87. **जिला परिषद् के कर्मचारीगण** –(1) जिला दंडाधिकारी अथवा ऐसा अपर जिला दण्डाधिकारी, जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, की पंक्ति का पदाधिकारी, जिला परिषद् का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगा तथा जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। सरकार किसी जिला परिषद् के लिये यथाविहित बंधेजों एवं शर्त्तो पर एक अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

(2) सरकार समय–समय पर प्रत्येक जिला परिषद् में उतने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदस्थापित या प्रतिनियुक्त कर सकेगी जैसा कि सरकार आवश्यक समझे ।

(3) इस बाबत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अध्यधीन, कोई जिला परिषद् अपने कार्यों के संचालन के लिए समय–समय पर उतनी संख्या में भुगतान के आधार पर या अवैतनिक कर्मचारियों या व्यवसायिकों की सेवा ले सकेगी जितनी कि अपेक्षित हो।

88. **मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारियों के कृत्य**–(1) इस अधिनियम द्वारा या, इसके अधीन अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–

(क) जिला परिषद् की नीतियों और निदेशों को कार्यान्वित करेगा, और जिला परिषद् के सभी कार्यों और विकास–स्कीमों के त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक कदम उठाएगा;

(ख) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा अथवा उसके अधीन सौंपे गये कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा;

(ग) अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण तथा यथा विहित नियमों के अध्यधीन जिला परिषद् के पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर नियंत्रण रखेगा;

(घ) जिला पंचायत से संबंधित सभी कागजात और दस्तावेजों को अभिरक्षा में रखेगा, और

(ङ) जिला परिषद् निधियों से धन की निकासी और संवितरण करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कृत्यों का अनुपालन करेगा जो यथाविहित की जाय।

(2) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद् की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होगा और विमर्श में भाग लेगा किन्तु कोई प्रस्ताव रखने या मतदान करने का अधिकार उसे नहीं होगा। यदि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की राय में जिला परिषद् के समक्ष प्रस्तुत कोई प्रस्ताव इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के उपबन्ध या इसके अधीन बनाये गये नियमों या दिये गये आदेश का उल्लंघनकारी है या उससे असंगत है, तो उसका यह कर्त्तव्य होगा कि वह जिला परिषद् के ध्यान में उसे लाए।

(3) मुख्य लेखा पदाधिकारी वित्तीय नीति के मामले में जिला परिषद् को परामर्श देगा और जिला परिषद् के लेखा से संबंधित सभी मामलों के लिये जिनमें वार्षिक लेखा और बजट तैयार करना भी शामिल है, उत्तरदायी होगा।

(4) मुख्य लेखा पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यय समुचित मंजूरी के बिना नहीं किया जाय तथा और इसके अधीन बनाये नये नियमों एवं विनियमों के अनुसार ही किया जाय, और वैसे किसी भी व्यय को नामंजूर कर देगा जो इस अधिनियम या नियम अथवा विनियम द्वारा समर्थित नहीं हो या जिसके लिये इस बजट में कोई उपबंध नहीं किया गया हो।

(5) अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को उसके कर्त्तव्यों के संपादन में सहायता करेगा।

(6) मुख्य योजना पदाधिकारी योजना बनाने के मामले में जिला परिषद् को परामर्श देगा और जिला परिषद् की योजना से संबंधित सभी मामलों के लिये, जिनमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना और जिले की वार्षिक योजना तैयार करना भी शामिल है, के लिए उत्तरदायी होगा।

89.अभिलेखों की मांग करने का अधिकार–(1) ग्राम पंचायत या पंचायत संमिति या जिला परिषद् से संबंधित धन, लेखा, अभिलेख या अन्य संपत्ति को अपने कब्जे में रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस प्रयोजनार्थ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा लिखित मांग किये जाने पर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को या उसे प्राप्त करने के लिये अधियाचना में प्राधिकृत व्यक्ति को वैसा धन तुरन्त सुपुर्द कर देगा या वैसा लेखा, अभिलेख या अन्य संपत्ति दे देगा।

(2) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उसी रीति से ऐसे व्यक्ति द्वारा देय किसी धन को वसूलने की भी कार्रवाई कर सकेगा और व्यक्ति–कर्मियों से भू–राजस्व के बकाये की वसूली के लिए और ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् से संबंधित लेखा, अभिलेख या अन्य संपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ तलाशी वांरट जारी कर सकेगा और उससे सम्बद्ध ऐसी सभी शक्तियों

का प्रयोग कर सकेगा जैसा कि दंड प्रकिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2,1974) के अध्याय (VII) के उपबंधों के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिक रूप से प्रयोग किया जाता हो ।

(3) ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् से संबंधित धन, लेखा, अभिलेख या अन्य संपत्ति कहां, छिपायी हुई है, ऐसा जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को उसकी जानकारी देने के लिये आबद्ध होगा।

(4) इस धारा के अधीन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त के पास अपील की जा सकेगी।

अध्याय – VI

ग्राम कचहरी और उसकी न्यायपीठों की स्थापना, शक्तियां, कर्तव्य और प्रक्रिया

90. ग्राम कचहरी का गठन और सरपंच और पंचों का निर्वाचन–(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सौंपे गये न्यायिक कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनार्थ एक ग्राम कचहरी की स्थापना की जायेगी जिसमें :–

(क) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ग्राम कचहरी का एक निर्वाचित सरपंच होगा, तथा

(ख) जिला दंडाधिकारी द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित संख्या में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पंच होंगे और ऐसा प्रत्येक पंच पंचायत क्षेत्र की लगभग पांच सौ की आबादी का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र के अनुरूप ही होंगे।

(2) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विहित रीति से प्रत्यक्षतः एक पंच का निर्वाचन करेगा।

(3) इस धारा के उपबंधों के अधीन गठित प्रत्येक ग्राम कचहरी को जिला गजट में प्रकाशित किया जाएगा और वह उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से प्रवृत्त होगी।

91. स्थान का आरक्षण – (1) प्रत्येक ग्राम कचहरी में ग्राम कचहरी के पंचों के कुल स्थानों के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु इससे अनधिक स्थान निम्न के लिए आरक्षित किये जायेंगे :–

(क) अनुसूचित जाति;

(ख) अनुसूचित जनजाति; और

(ग) पिछड़े वर्ग।

प्रत्येक ग्राम कचहरी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस ग्राम कचहरी में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो अनुपात उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है, और ऐसे स्थान किसी ग्राम कचहरी में भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को विहित रीति से चक्रानुक्रम

में जिला दंडाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में आवंटित किये जायेंगे।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के पश्चात् शेष बचे स्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या कुल स्थानों के बीस प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु इससे अनधिक होगी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुल मिलाकर पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी, तथा इन स्थानों को विहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा शेष निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किया जायेगा। वैसे स्थान अगले चुनावों में चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में उसके द्वारा विहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किये जायेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु उससे अनधिक स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं किये गये हैं, उनमें से पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(4) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों की महिलाओं तथा अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित ऐसे स्थान ग्राम कचहरी में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में तथा इसके द्वारा यथाविहित रीति से चक्रानुक्रम में जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किये जायेंगे ।

92. ग्राम कचहरी की अवधि – (1) प्रत्येक ग्राम कचहरी, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन समय से पहले उसे विघटित न कर दिया जाए तो, अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से पांच वर्षो की अवधि तक बनी रहेगी और उससे अधिक नहीं।

(2) ग्राम कचहरी का गठन करने के लिए निम्नलिखित रूप में निर्वाचन पूरा किया जाएगाः–

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उसकी कार्यावधि समाप्त होने के पूर्व,

(ख) विघटन की दशा में, उसके विघटन की तारीख से छह महीने के अवधि अवसान के पूर्वः

परन्तु, जहां ऐसी शेष अवधि जिसके दौरान विघटित कचहरी बनी रहती, वह छह महीने से कम की हो, तब इस उपधारा के अधीन ऐसी अवधि के लिए उस ग्राम कचहरी का गठन करने हेतु कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं हेागा।

(3) अपनी कार्यावधि की समाप्ति के पूर्व किसी ग्राम कचहरी को विघटित किये जाने पर गठित की गई ग्राम कचहरी उस शेष अवधि के लिए ही बनी रहेगी जिस अवधि तक विघटित ग्राम कचहरी उपधारा (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित न की जाती ।

93. सरपंच और उप–सरपंच का निर्वाचन–(1) ग्राम कचहरी का सरपंच उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं के बहुमत द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा,

(2) सरपंच की मृत्यु, पदत्याग, निरर्हता, हटाए जाने, या अन्य कारणों द्वारा हुई रिक्ति की दशा में, उप–धारा (1) के उपबंधों के अनुसार यथाशीघ्र दूसरे सरपंच का निर्वाचन किया जायेगा।

परन्तु सरपंच के पद की रिक्ति छह महीने से कम अवधि के लिए होने पर कोई निर्वाचन नहीं होगा।

(3) (i) निर्वाचन के बाद, प्रत्येक ग्राम–कचहरी, अपनी प्रथम बैठक में, इस अधिनियम की धारा 90 की उप–धारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अधीन निर्वाचित पंचों में से बहुमत द्वारा एक उप–सरपंच का चुनाव करेगी।

(i) उप–सरपंच के निर्वाचन में ग्राम कचहरी का सरपंच एक मतदाता होगा।

(ii) उप–सरपंच के निर्वाचन में मतों की बराबरी की दशा में परिणाम का विनिश्चय लाटरी द्वारा किया जाएगा।

(4) (i) यदि किसी ग्राम कचहरी में सरपंच और उप–सरपंच का पद एक साथ ही रिक्त हो जाए तो संबद्ध पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी ऐसी किसी घटना के 15 दिनों के भीतर उप–सरपंच के निर्वाचन के लिए एक बैठक आयोजित करेगा और इसके लिए पंचों को कम–से–कम सात दिनों की नोटिस दी जाएगी।

(ii) संबद्ध पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा किन्तु उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

(iii) उप–सरपंच के निर्वाचन में बराबर मत प्राप्त होने की दशा में परिणाम का विनिश्चय लाटरी द्वारा किया जाएगा।

(5) स्थान का आरक्षण– (i) सरपंच के पद के लिए प्रत्येक पंचायत समिति के अन्तर्गत सरपंच के कुल पदों के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान निम्न के लिए आरक्षित किये जायेंगेः–

(क) अनुसूचित जाति;

(ख) अनुसूचित जनजाति; और

(ग) पिछड़े वर्ग।

प्रत्येक पंचायत समिति के अन्तर्गत सरपंच के पद के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत समिति में सरपंच के पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो अनुपात उस पंचायत समिति क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है, और ऐसे स्थान किसी पंचायत समिति के अन्तर्गत भिन्न–भिन्न ग्राम कचहरियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण तथा इसके द्वारा विहित रीति से, चक्रानुक्रम में, जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किये जायेंगे।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सरपंच के पदों के आरक्षण के पश्चात् शेष बची ग्राम कचहरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या कुल पदों के बीस प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक होगी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुल मिलाकर पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी तथा इन पदों को विहित रीति से पंचायत समिति की अन्य ग्राम कचहरियों को जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किया जाएगा। ऐसे पद उत्तरवर्ती चुनावों में चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में इसके द्वारा विहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा पंचायत समिति के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम कचहरियों को आवंटित किए जाएंगे ।

(ii) उपधारा (i) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे।

(iii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं किये गये हैं, उनमें से पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे ।

(iv) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों की महिलाओं एवं अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित ऐसे स्थान ग्राम पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में तथा इसके द्वारा विहित रीति से चक्रानुक्रम से जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किये जायेंगे ।

94. ग्राम कचहरी को सहायता–(1) प्रत्येक ग्राम कचहरी में एक सचिव होगा जो विहित रीति से नियुक्त किया जायेगा ।

(2) ग्राम कचहरी अथवा उसकी किसी न्यायपीठ को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम से कम त्रिवर्षीय विधि–उपाधि प्राप्त व्यक्ति होगा जो न्यायमित्र कहलायेगा । ऐसे न्यायमित्र को विहित रीति से नियुक्त किया जाएगा ।

(3) राज्य सरकार, विहित रीति से, ग्राम कचहरी के सरपंच, उप–सरपंच और पंचों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी ताकि ग्राम कचहरी अपने कृत्यों का प्रभावकारी ढंग से सम्पादन करने में समर्थ हो सके ।

95. सरपंच और उप–सरपंच की पदावधि– ग्राम कचहरी के सरपंच और उप–सरपंच की पदावधि, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ग्राम कचहरी के सदस्य के रूप में उसकी पदावधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी।

96. सरपंच और उप–सरपंच की शक्तियां और कार्य–(1) इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन, सरपंच–

(क) ग्राम कचहरी और उसकी पीठों का अध्यक्ष होगा;

(ख) पक्षकारों के आवेदन और पुलिस रिपोर्ट पर वाद और मामला लेगा;

(ग) पक्षकारों और गवाहों की उपस्थिति के लिए कार्रवाई करेगा; और ऐसे वादों या मामलों के निपटारे के लिए साक्ष्य लेने तथा पक्षकारों, गवाहों तथा यथापेक्षित अन्य व्यक्तियों को उपस्थिति के लिए बाध्य करने तथा दस्तावेजों या लिखतों को प्रस्तुत करने के लिए उसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियॉ होंगी, और

(घ) यथाविहित अन्य शक्तियों का प्रयोग और अन्य कर्त्तव्यों का सम्पादन करेगा,

(2)उप–सरपंच, सरपंच के पद रिक्त रहने या सरपंच की असमर्थता अथवा अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान, उसके सारे कर्त्तव्यों का निष्पादन और उसकी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा किसी अन्य शक्ति अथवा कर्त्तव्य का प्रयोग अथवा निष्पादन करेगा, जो विहित किए जाएं।

97. सरपंच अथवा उप–सरपंच का त्याग–पत्र अथवा हटाया जाना–(1) सरपंच अथवा उप–सरपंच जिला पंचायत राज पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर अपना पद त्याग कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक त्याग–पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा उसकी प्राप्ति की तिथि से सात दिनों की समाप्ति के बाद प्रभावी होगा, बशर्ते कि सात दिनों की इस अवधि की समाप्ति के पूर्व वह जिला पंचायत राज पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देकर, ऐसा त्याग–पत्र वापस न ले ले।

(3) यदि कोई उप–सरपंच किसी ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं रह जाए तो वह अपना पद छोड़ देगा।

(4)(i) अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरपंच को हटाया जाना – प्रत्येक सरपंच द्वारा उसी समय से अपना पद रिक्त कर दिया गया मान लिया जाएगा, यदि विशेष तौर पर इस प्रयोजन से बुलाई गई बैठक में ग्राम पंचायत के कुल मतदाताओं की संख्या के साधारण बहुमत से उसमें विश्वास न रहने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। ऐसी विशेष बैठक की अध्यपेक्षा ग्राम पंचायत की कुल मतदाता संख्या के कम–से कम पंचमांश मतदाताओं के हस्ताक्षर से की जाएगी और वह जिला पंचायत राज पदाधिकारी को दी जाएगी। जिला पंचायत राज पदाधिकारी अध्यपेक्षा प्राप्त होने की तिथि से सात दिनों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत किसी स्थान पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाए जाने हेतु तिथि निर्धारित करेगा। बैठक की नोटिस जारी होने की तिथि के पन्द्रह दिनों के भीतर बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक की अघ्यक्षता जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा की जायेगी;

परन्तु सरपंच की पदावधि के प्रथम दो वर्षो में ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव उसके विरूद्ध नहीं लाया जाएगा।

परन्तु और कि सरपंच के विरूद्व अविश्वास प्रस्ताव एक बार नामंजूर कर दिये जाने पर ऐसी नामंजूरी की तिथि से अगले एक वर्ष की कालावधि के भीतर कोई नया अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा।

परन्तु और कि ग्राम कचहरी के कार्यकाल के अन्तिम छः माह के दौरान सरपंच के विरूद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा।

(ii) अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उप सरपंच को हटाया जाना – प्रत्येक उप–सरपंच द्वारा उसी समय से अपना पद रिक्त कर दिया गया मान लिया जाएगा, यदि विशेष तौर पर इस प्रयोजन से बुलाई गई बैठक में ग्राम कचहरी के कुल निर्वाचित पंचों एवं सरपंच की संख्या के साधारण बहुमत से उसमें विश्वास न रहने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। ऐसी विशेष बैठक की अध्यपेक्षा ग्राम कचहरी के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या के कम–से–कम एक तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर से सरपंच से की जाएगी और यह सरपंच को सुपुर्द कर दी जायेगी । अध्यपेक्षा प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर सरपंच ग्राम कचहरी के कार्यालय में प्रस्ताव पर विचार हेतु ग्राम कचहरी की विशेष बैठक बुलायेगा तथा बैठक की अध्यक्षता भी करेगा।

परन्तु उप–सरपंच की पदावधि के प्रथम दो वर्षो में ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव उसके विरूद्ध नहीं लाया जाएगा।

परन्तु और कि उप–सरपंच के विरूद्व अविश्वास प्रस्ताव एक बार नामंजूर कर दिये जाने पर ऐसी नामंजूरी की तिथि से अगले एक वर्ष की कालावधि के भीतर उप–सरपंच के विरूद्ध नया अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा।

परन्तु यह और कि ग्राम कचहरी के कार्यकाल के अंतिम छः माह के दौरान उप–सरपंच के विरूद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जायेगा।

(5) इस अधिनियम के अधीन उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ग्राम पंचायत क्षेत्रा पर अधिकारिता रखने वाले आयुक्त के विचार में यदि कोई सरपंच अथवा उप–सरपंच बिना समुचित कारण के तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहने या जान–बूझकर इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों एवं अपने कर्तव्यों को करने से इन्कार या उपेक्षा करने या उसमें निहित शक्तियों के दुरूपयोग या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाये जाने या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम होने या किसी आपराधिक मामले का अभियुक्त होने के चलते छः माह से अधिक फरार हो जाने का दोषी हो तो आयुक्त ऐसे सरपंच या उप–सरपंच को स्पष्टीकरण हेतु समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत आदेश पारित कर यथास्थिति ऐसे सरपंच या उप–सरपंच को उसके पद से हटा सकेगा।

इस प्रकार हटाया गया सरपंच या उप–सरपंच ऐसी ग्राम कचहरी में उसकी शेष पदावधि के दौरान सरपंच या उप–सरपंच या ग्राम कचहरी के पंच के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा,

(6) आयुक्त के आदेश के विरूद्ध सदस्य, राजस्व पर्षद् के समक्ष अपील दायर की जा सकेगी।

98. पंच का त्याग–पत्र– किसी ग्राम कचहरी का कोई पंच ग्राम कचहरी के सरपंच को स्वलिखित आवेदन देकर अपना पदत्याग कर सकेगा और उसका पद ऐसे त्याग–पत्र की तिथि से सात दिनों की समाप्ति पर रिक्त हो जाएगा, बशर्ते कि वह सात दिनों की उक्त अवधि के भीतर सरपंच को अपना स्वलिखित आवेदन देकर ऐसा त्याग–पत्र वापस न ले ले।

99. पंचों की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्त्ति– जब किसी पंच का स्थान उसके हटाये जाने, पदत्याग, मृत्यु या अन्यथा रिक्त हो जाए, तब किसी नये पंच का निर्वाचन, विहित रीति से किया जाएगा और वह अपने पद पर तबतक बना रहेगा जब तक कि वह पंच, जिसके स्थान पर उसका निर्वाचन हुआ है, अपने पद पर बने रहने का हकदार होता यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती।

100. कतिपय कार्यवाहियों में सरपंच, उप–सरपंच या पंचों द्वारा भाग नहीं लिया जाना–कोई सरपंच, उप–सरपंच या पंच किसी ऐसी कार्यवाही में भाग नहीं लेगा जिसमें वह व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध हो ;

परन्तु, सरपंच, उप–सरपंच या पंच ने किसी मामला या वाद के तथ्यों की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर ली है, मात्र इस तथ्य के चलते वह कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अयोग्य नहीं होगा।

101. वादो और मामलों को दायर करना और उसकी सुनवाई–(1) इस अधिनियम के अधीन दायर किया जाने वाला प्रत्येक वाद या मामला सरपंच के समक्ष दायर किया जाएगा और जहां सरपंच की सेवाऐं उपलब्ध न हो वहां उप–सरपंच के समक्ष और उसे ग्राम कचहरी की किसी ऐसी न्याय पीठ द्वारा सुना और अवधारित किया जायेगा जिसमें सरपंच तथा वाद या मामले से संबंधित पक्षकारों द्वारा नामित किए जाने वाले ग्राम कचहरी के पंचों में से दो पंच और यथा विहित रीति से सरपंच द्वारा चुने गए दो अन्य पंच शामिल हों,

परन्तु –

(i) यदि कोई पक्षकार यथाविहित समय के भीतर किसी पंच को नाम निर्दिष्ट नहीं करे तो सरपंच या उसकी अनुपलब्धता की स्थिति में, उप–सरपंच ग्राम कचहरी के पंचों में से पंच निर्दिष्ट करेगा;

(ii) यदि किसी वाद या मामले की कार्यवाहियों में, भाग लेने से सरपंच निवारित हो जाए तो उप सरपंच को, अथवा यदि वह भी सरपंच की राय में उसी प्रकार निरर्हित हो, तो अपने बीच से पंचों द्वारा अन्य पंच का चुनाव किया जाएगा और यथास्थिति उप सरपंच अथवा इस प्रकार चुना गया पंच, उक्त वाद या मामले के प्रयोजनार्थ सरपंच के सभी कृत्यों का निर्वहन करेगा;

(iii) यदि वाद या मामले के दायर होने के बाद किन्तु उसके अवधारण के पहले किसी समय सरपंच की सेवा उपलब्ध न रहे तो उप–सरपंच, अथवा यदि उप–सरपंच को कार्यवाहियों में भाग लेने से धारा 100 के अधीन निवारित किया गया हो या वाद अथवा मामले में किसी पक्षकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो, तो पंचो के पैनल द्वारा एक पंच का नाम निर्देशन किया जाएगा अथवा जहां ऐसा नाम निर्देशन नही किया गया हो वहां ग्राम कचहरी का वरिष्ठतम पंच सरपंच का कार्य करेगा, और

(iv) यदि किसी वाद या मामले के दायर किए जाने के बाद किन्तु उसके अवधारण के पूर्व किसी समय, किसी पंच की सेवाएं उपलब्ध नहीं रहें अथवा वह कार्यवाहियों में भाग लेने से धारा 100 के अधीन निवारित किया गया हो, विहित समय के भीतर, यथा स्थिति संबंध पक्षकार द्वारा किसी दूसरे पंच का नाम निर्देशन या सरपंच द्वारा उसका चयन किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी वाद या मामले की सुनवाई और अवधारण करने के प्रयोजनार्थ तीन से अन्यून पंचों की गणपूर्त्ति होगी जिसमें सरपंच और संबंधित पक्षकारों द्वारा नामित दो पंच शामिल होंगे।

स्पष्टीकरण–इस उप–धारा के प्रयोजनार्थ–

"सरपंच" पद में सरपंच के स्थान पर काम करने वाला उप–सरपंच या कोई अन्य पंच और संबद्ध पक्षकारों द्वारा नामित "पंच" पद में उप–धारा (1) के परन्तुक के खंड (1) के अधीन मनोनीत पंच भी शामिल हैं।

102. विवादों का सौहार्दपूर्ण समझौता कराने के लिये ग्राम कचहरी की न्यायपीठ का कर्त्तव्य –ग्राम कचहरी की न्यायपीठ, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी वाद की सुनवाई करते समय या किसी मामले का विचारण करते समय, पक्षकारों को यथोचित रीति से नोटिस देने के

बाद पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौता कराने का प्रयास करेगी, और इस प्रयोजनार्थ, न्यायपीठ यथोचित रीति से और अविलम्ब, वाद या मामले का और उसके गुणा–गुण पर प्रभाव डालने वाली सभी बातों का और उसके सही समाधान का अन्वेषण करेगी तथा ऐसा करने में वह ऐसी सभी विधिपूर्ण बातें कर सकेगी जो वह उचित और सौहार्दपूर्ण समझौते कराने के लिये पक्षकारों को उत्प्रेरित करने के प्रयोजनार्थ उचित समझे और जहां ऐसा समझौता हो जाय, वहां न्यायपीठ उसे अभिलिखित करेगी और तदनुसार अपना निर्णय देगी।

103. सौहार्दपूर्ण समझौता न होने की दशा में ग्राम कचहरी की न्यायपीठ द्वारा विवाद की जांच करना तथा उस पर निर्णय देना – जहॉ ग्राम कचहरी की कोई न्यायपीठ पूर्ववर्त्ती धारा के अधीन सौहार्दपूर्ण समझौता कराने में सफल नहीं हो अथवा अन्यथा किसी वाद या मामले की सुनवाई या विचारण शुरु करे, वहॉ वह मामले की जांच करेगी, ऐसा साक्ष्य लेगी, जो वह आवश्यक समझे, और अपना निर्णय अभिलिखित करेगी और न्यायपीठ के सदस्यों के बीच असहमति होने की दशा में बहुमत का निर्णय अभिभावी होगा;

परन्तु, इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट कोई भी बात न्यायपीठ के किसी सदस्य को ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपनी विमति टिप्पणी अभिलिखित करने से रोकने वाली नहीं समझी जायगी।

104. ग्राम कचहरी की न्यायपीठ द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया –इस अधिनियम के उपबंधों तथा इसके निमित्त सरकार द्वारा बनाये गये किन्हीं नियमों या दिये गये निदेशों के अध्यधीन, ग्राम कचहरी की किसी न्यायपीठ द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो वह उचित तथा सुविधाजनक समझे और न्यायपीठ इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विहित प्रक्रिया से भिन्न किन्हीं अन्य साक्ष्य– विधियों या प्रक्रिया का पालन करने के लिये बाध्य नहीं होगी।

105. निर्णय का रुप –ग्राम कचहरी की किसी न्यायपीठ का निर्णय लिखित रुप में होगा और उस पर इसके सभी सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। उसमें इस निमित्त सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा यथाविहित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी ;

परन्तु, न्यायपीठ के किसी सदस्य द्वारा निर्णय पर हस्ताक्षर नहीं करने पर ऐसे निर्णय की विधिमान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

106. दाण्डिक अधिकारिता – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, ग्राम कचहरी की न्यायपीठ को ग्राम पंचायत की स्थानीय सीमाओं के भीतर निम्नलिखित अपराधों और ऐसे अपराधों के दुष्प्रेरण तथा ऐसे किसी अपराध को करने के प्रयासों का, यदि ऐसे अपराध इसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किये गये हों, विचारण करने की अधिकारिता होगी, यथा

(क) भारतीय दंड संहिता 1860,(45, 1860) की धारा 140,142, 143, 145, 147, 151, 153, 160, 172, 174, 178, 179, 269, 277, 283, 285, 286, 289, 290, 294, 294–अ, 323, 334, 336, 341, 352, 356, 357, 358, 374, 403, 426, 428, 430, 447, 448, 502, 504, 506, 510 के अधीन किये गये अपराध;

(ख) बंगाल लोक द्यूत अधिनियम, 1867 (बंगाल अधिनियम, 2, 1867) के अधीन किये गये अपराध,

(ग) पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1, 1871) की धारा 24 और 26 के अधीन किये गये अपराध;

(घ) अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के अधीन किये गये अपराध; और

(ङ) किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन किया गया कोई अपराध, यदि सरकार द्वारा इस बाबत शक्ति प्रदान की जाय।

परन्तु, यह और कि ग्राम कचहरी किसी ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगी जिसकी बावत, इस अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही लम्बित हो ।

परन्तु, न्याय पीठ (बेंच) भारतीय दंड संहिता 1860 (45, 1860) की धारा 379, 380, 381 या 411 के अधीन किये गये किसी ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, जिसमें चुराई गई अभिकथित सम्पत्ति का मूल्य दस हजार रूपये से अधिक हो या जिसमें अभियुक्त कोः–

(i) भारतीय दंड संहिता 1860 (45, 1860) के अध्याय XVII के अधीन दंडनीय अपराध के लिए पूर्व में तीन वर्षो या उससे अधिक अवधि के कारावास के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो, अथवा

(ii) ग्राम कचहरी की किसी न्याय पीठ द्वारा चोरी के लिए पूर्व में जुर्माना किया गया हो और

(iii) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (2, 1974) की धारा 109 या 110 के अधीन चलाई गयी कार्यवाही में सद्व्यवहार करने के लिये करारबद्ध किया गया हो ,

परन्तु यह भी कि, ग्राम कचहरी किसी ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जिसके संबंध में ग्राम पंचायत मुखिया या कार्यकारिणी समिति के किसी सदस्य, सरपंच, या किसी पंच के विरूद्ध परिवाद पत्र दायर किया गया हो।

107. ग्राम कचहरी की पीठ की दाण्डिक शक्तियां– (1) ग्राम कचहरी की पीठ पक्षों को सुनने एवं उनके द्वारा पेश साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात् अपना निर्णय अभिलिखित करेगी, तथा अपराधी को ऐसे जुर्माने से दंडित कर सकेगी जो एक हजार रूपये से अनधिक हो :

परन्तु, अगर मामले के विचारण के समय पीठ में उपस्थित सदस्य एकमत नहीं हों, तो वैसे सदस्यों के बहुमत का निर्णय ग्राम कचहरी की पीठ का निर्णय होगा :

परन्तु, आगे यह कि मामले के विचारण में पीठ में उपस्थित सदस्यों के मतों की बराबरी की स्थिति में, सरपंच द्वितीय अथवा निर्णायक मत देगा तथा पीठ का निर्णय उस द्वितीय अथवा निर्णायक मत के अनुसार होगा ।

(2) ग्राम कचहरी की कोई पीठ, साधारण अथवा सश्रम, किसी कारावास की सजा नहीं दे सकेगी, चाहे वह मूल दंडादेश रूप में हो या जुर्माने का भुगतान करने में व्यतिक्रम करने पर हो।

(3) जब कोई पीठ उपधारा (1) के अधीन कोई जुमाना अधिरोपित करती है, तो वह, आदेश पारित करते समय निदेश दे सकेगी कि वसूले गये जुर्माने का सम्पूर्ण अथवा अंश उस अपराध के कारण हुई हानि अथवा क्षति के प्रतिकर के भुगतान के लिए उपयोजित किया जायेगा।

(4) जब किसी व्यक्ति को ग्राम कचहरी की किसी न्यायपीठ द्वारा सजा दी जाये, तब, वह न्यायपीठ इस तरह दण्डादिष्ट व्यक्ति द्वारा लिखित या मौखिक रूप से अनुरोध किये जाने पर इस अधिनियम के अधीन अपील दायर करने की विहित अवधि के लिए ऐसी सजा के प्रवर्तन को स्थगित कर सकेगी । ग्राम कचहरी या इसकी न्यायपीठ द्वारा पारित आदेश की प्रति, ऐसा आदेश पारित किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर, इस प्रयोजनार्थ विहित रीति से, पक्षकारो को मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी।

108. झूठा, तुच्छ या परेशान करने वाले अभियोग से संबंधित मामला में परिवादी द्वारा चुकाया जाने वाला प्रतिकर –यदि परिवाद के आधार पर संस्थित किसी मामला में ग्राम कचहरी की पीठ सभी या किसी अभियुक्त को उन्मोचित या दोषमुक्त कर दे और उसके विचार में किसी अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग झूठा या तुच्छ या परेशान करने वाला था तो ऐसी पीठ अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के आधार पर यह निदेश दे सकेगी कि ऐसा अभियुक्त को परिवादी

द्वारा अधिकतम पांच सौ रुपये तक का प्रतिकर अदा किया जाय और यदि प्रतिकर अदा न किया जाता हो, वह पीठ के द्वारा किया गया जुर्माना के रुप में वसूलनीय होगा।

109. सरपंच की दाण्डिक शक्तियां –(1) जब कभी सरपंच को ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि शान्ति भंग होने वाली है या लोक प्रशान्ति में विध्न पड़ने वाला है और उसकी तुरत रोक–थाम या उसके लिये शीघ्र उपचार करना वांछनीय है तो मामले के संबंध में तात्विक तथ्यों का उल्लेख करते हुए, लिखित आदेश देकर और विहित रीति से तामील कर, किसी व्यक्ति को, कतिपय कार्य से प्रविरत रहने या उसके प्रबंधन अथवा कब्जा वाली कतिपय सम्पत्ति के संबंध में कार्रवाई करने का निदेश दे सकेगा।

(2) सरपंच, उप–धारा (1) के अधीन आदेश निर्गत करते ही मामले की कार्यवाहियां अनुमंडल दंडाधिकारी को पेश करेगा, जो विवाद के पक्षकारों, यदि वे चाहें, को सुनने के बाद आदेश को संपुष्ट कर सकेगा या नोटिस को प्रभावोन्मुक्त कर सकेगा।

(3) उप–धारा (1) के अधीन परित आदेश तीस दिनों तक प्रवृत रहेगा।

(4) उप–धारा (1) के अधीन पारित आदेश को संबद्ध स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तत्परता से लागू किया जायेगा ।

110. ग्राम कचहरी की न्यायपीठ की अनन्य सिविल अधिकारिता – (1) बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887(13,1887), प्रान्तीय लघुहेतुक न्यायालय अधिनियम, 1887(9,1887) और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908(5, 1908) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, ग्राम कचहरी की न्यायपीठ को निम्नलिखित श्रेणी के वादों को सुनने और अवधारित करने की अधिकारिता होगी, अर्थात्–

(क) जब वाद का मूल्य दस हजार रुपये के अधिक का न हो , यथा–

(i) संविदा पर देय धन के लिये वाद;

(ii) चल सम्पत्ति या ऐसी सम्पत्ति के मूल्य की वसूली के लिये वाद;

(iii) लगान की वसूली के लिये वाद; और

(iv) चल सम्पत्ति को संदोष ग्रहण करने या उसे क्षति पहुंचाने के चलते प्रतिकर के लिये, या पशु–अतिचार से क्षतिग्रस्त
सम्पत्ति के लिये वाद;

(ख) वाद बंटवारा के सभी मामले, सिवाय उन वादों के जहां विधि का जटिल प्रश्न या टाईटिल अन्तर्ग्रस्त हो;

किन्तु जहां ग्राम कचहरी का विचार में किसी बंटवारा के किसी वाद में विधि का जटिल प्रश्न या टाईटिल का मामला सन्निहित है तो ग्राम कचहरी ऐसे वाद को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को अन्तरित कर देगी,

परन्तु, खंड (क) एवं खंड (ख) के अधीन उपर्युक्त प्रकार के वाद के पक्षकार, वाद के मूल्य को ध्यान में रखे बिना, लिखित करार द्वारा निर्णय के लिये न्यायपीठ को वाद निर्दिष्ट कर सकेगा , और न्यायपीठ को कोर्ट–फीस और अन्य मामले के संबंध में , इस अधिनियम के अधीन, यथाविहित नियमों के अध्यधीन उक्त वाद की सुनवाई करने और उसका अवधारण करने की अधिकारिता होगी,

111. ग्राम कचहरी द्वारा कतिपय वादों की सुनवाई नहीं किया जाना – धारा 110 में अन्तिर्विष्ट से किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई भी वाद ग्राम कचहरी की किसी पीठ में स्वीकार नहीं होगाः–

(क) साझेदारी लेखे के अतिशेष पर,

(ख) निर्वसीयतता के अधीन शेयर या शेयर के भाग के लिये या वसीयत के अधीन वसीयत संपदा या संपदा के भाग के लिये, या

(ग) केन्द्र या राज्य सरकार या अपनी पदीय हैसियत से ऐसे सरकारी सेवकों द्वारा या उसके विरूद्ध, या

(घ) नाबालिग या विकृत चित्त के व्यक्तियों द्वारा या उसके विरूद्ध, या

(ङ) अचल सम्पत्ति के लगान के निर्धरण, वृद्धि, कमी, उपशमन या प्रभाजन के लिये,

(च) पुरोबंध द्वारा बंधक लागू करने के लिये अचल सम्पत्ति के बंधक का या बंधक के मोचन के लिये सम्पत्ति की बिक्री, या

(छ) अचल संपत्ति में अधिकार, टाइटेल और हित का अवधारण के लिए ,

(ज) किसी ऐसे मामले के संबंध में जिसमें इस अधिनियम के प्रवृत होने के पूर्व सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही लम्बित हो

(झ) ग्राम पंचायत, मुखिया या कार्यपालिका समिति के किसी सदस्य, सरपंच या पंच के विरूद्ध।

112. अपील (1) ग्राम कचहरी की न्यायपीठ के किसी आदेश या निर्णय के विरूद्ध अपील ऐसे आदेश या निर्णय के पारित किये जाने के तीस दिनों के भीतर ग्राम कचहरी की पूर्ण न्यायपीठ के समक्ष दायर की जायेगी, तथा इसके द्वारा अपील की सुनवाई विहित रीति से की जायेगी।

(2) उप–धारा(1) के अधीन अपील की सुनवाई के लिये पूर्ण न्यायपीठ के गठन के प्रयोजनार्थ सात पंचों से गणपूर्त्ति होगी।

(3) ग्राम कचहरी के पूर्ण पीठ के आदेश या निर्णय के विरूद्ध अपील ऐसा आदेश पारित होने के 30 दिनों के अन्दर, सिविल मामलें में अवर न्यायाधीश के समक्ष और अपराधिक मामलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष दायर की जायेगी ।

(4) अपील में जिस आदेश को चुनौती दी गई हो उसे, विहित रीति से अपील के अन्तिम निष्पादन तक लागू नही किया जायेगा ,

(5) ग्राम कचहरी की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा पारित आदेश की प्रति ऐसा आदेश पारित किये जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर, इस प्रयोजनार्थ विहित रीति से, पक्षकारों को मुफ्त दी जाएगी ।

113. किसी ग्राम कचहरी के किसी न्यायपीठ द्वारा, संज्ञान लिये गये मामले या वाद का न्यायालय द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाना–(1) तत्समय प्रवृत किसी विधि में अन्तरर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई न्यायालय ऐसे किसी मामले या वाद का संज्ञान नहीं लेगा जो इस अधिनियम के अधीन ग्राम कचहरी की न्यायपीठ द्वारा संज्ञेय हो।

(2) ग्राम कचहरी की न्यायपीठ द्वारा विचारणीय कोई अपराध किये जाने , किसी थाना के प्रभारी पदाधिकारी को दी गई, प्रत्येक सूचना की जानकारी ग्राम कचहरी की न्यायपीठ को, जिसकी अधिकारिता में यह अपराध किया गया हो, ऐसी सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर दे दी जायेगी,

(3) ग्राम कचहरी की न्यायपीठ द्वारा विचारणीय किसी अपराध से संबंधित मामला ऐसे न्यायपीठ के समक्ष लम्बित हो और पुंलिस पदाधिकारी द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो या उसी अपराध के संबंध में किसी दण्डाधिकारी के पास परिवाद किया गया हो तो ऐसा पुलिस पदाधिकारी या परिवादी यथा स्थिति आरोप–पत्र या परिवाद–पत्र में इसका उल्लेख करेगा कि ऐसा ही मामला लम्बित है और ऐसी स्थिति में इसका उल्लेख करेगा कि ऐसा ही मामला लम्बित है और ऐसी स्थिति में, संबद्ध दण्डाधिकारी ग्राम कचहरी की न्यायपीठ को ऐसे मामले का विचारण करने का निदेश देगा।

114. दण्डाधिकारी या मुन्सिफ द्वारा ग्राम कचहरी की न्यायपीठ को मामलों या वादों का अंतरण – किसी दण्डाधिकारी या मुन्सिफ या सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के समक्ष लम्बित किसी मामले या वाद की कार्यवाही के किसी स्तर पर, ऐसा प्रतीत हो कि मामला या वाद ग्राम कचहरी के न्यायपीठ द्वारा विचारणीय है तो यथा स्थिति मुख्य/अपर/अवर न्यायिक

दंडाधिकारी, मुन्सिफ या सक्षम अधिकारिता का न्यायालय तुरंत ऐसे मामले या वाद को उसकी अधिकारिता वाले न्यायपीठ को अंतरित कर देगा।

115. मामलों की वापसी– यथास्थिति मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी/ अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी/या अवर न्यायिक दंडाधिकारी, मुन्सिफ या सक्षम अधिकारिता का न्यायालय स्वतः या सूचना प्राप्त होने पर ग्राम कचहरी के न्यायपीठ के समक्ष विचाराधीन किसी मामला या वाद को वापस कर सकेगा, यदि उसके द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उसकी राय हो कि ऐसे वाद का मामले का विचारण या सुनवाई ऐसे न्यायपीठ द्वारा नहीं होनी चाहिए और उसे मामले या वाद को स्वयं विचारण या सुनवाई कर सकेगा अथवा दूसरे सक्षम दंडाधिकारी, मुंसिफ या सक्षम अधिकारिता का न्यायालय या ग्राम कचहरी के किसी अन्य न्यायपीठ को निपटारे के लिए भेज देगा।

116. कोई विधि व्यवसायी हाजिर नहीं होगा – पक्षकारों तथा ग्राम कचहरी या उसकी पीठ की अनुमति के बिना ग्राम कचहरी या उसके न्यायपीठ के समक्ष, किसी वाद या मामले में, कोई विधि व्यवसायी किसी पक्षकार की ओर से न उपस्थित होगा, न बहस करेगा और न कार्य करेगा;

117. स्वयं या प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित होना–(1) धारा 116 के उपबंधों के अध्यधीन किसी वाद का कोई पक्षकार, ग्राम कचहरी के न्यायपीठ के समक्ष, स्वयं या अपने ऐसे कुटुम्ब, मित्र या अन्य व्यक्ति के माध्यम से जो उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत हो और जिसे न्यायपीठ उसके प्रतिनिधित्व के लिये, उसे उपयुक्त व्यक्ति माने, उपस्थित हो सकेगा।

(2) सरपंच द्वारा किसी मामले में, जब कभी कोई सम्मन निर्गत किया जाये तो, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से , अभियुक्त को, व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्त कर सकेगा तथा धारा 116 के उपबंधों के अध्यधीन उसे उसके द्वारा सम्यक रूप से अपने कुटुम्ब, मित्र या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, उपस्थित होने की अनुमति दे सकेगाः

परन्तु, न्यायपीठ, कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर, मामले की जांच–पड़ताल या विचारण करने वाली, विहित रीति से, वैयक्तिक रूप में हाजिर होने का निदेश दे सकेगी।

(3) धारा 116 के उपबंधों के अध्यधीन, अभिलिखित किए जानेवाले कारणों से, जांच पड़ताल या विचारण करनेवाली न्यायपीठ कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर ।–

(i) अभियुक्त के वैयक्तिक रूप में हाजिर होने का निदेश दे सकेगी और यदि आवश्यक हो तो विहित रीति से, इस प्रकार हाजिर होने के लिए मजबूर कर सकेगीः या

(ii) ऐसे अभियुक्त को उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अपने व्यक्तिगत कुटुम्बों, मित्र या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगी।

118. ग्राम कचहरी के न्यायपीठ पर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अपर–मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी या अवर न्यायिक दण्डाधिकारी तथा मुन्सिफ की शक्ति–(1) यदि किसी मामले या वाद में न्याय की असिद्धि हुई हो या न्याय की असिद्धि होने की आशंका हो तो किसी वाद की बावत मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी या अवर न्यायिक दण्डाधिकारी मुन्सिफ, किसी पक्ष के आवेदन पर या स्वतः, वाद या मामले के विचाराधीन रहने की अवधि में किसी समय या आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर ग्राम कचहरी के न्यायपीठ से अभिलेख मांग सकेगा तथा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से –

(क) मामले का अन्तरण कर सकेगा और पंचायत के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर या पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर ग्राम कचहरी के किसी अन्य न्यायपीठ द्वारा उसे सुने जाने का आदेश दे सकेगा, अथवा

(ख) किसी प्रक्रम पर न्यायपीठ की किसी कार्यवाही को अभिखंडित कर सकेगा या ऐसी न्यायपीठ द्वारा दिए गऐ किसी आदेश या डिग्री को रद्द कर सकेगा और या तो उसी न्यायपीठ में वह वाद या मामला पुनर्विचारण प्रतिप्रेषित कर (लौटा) सकेगा या यथास्थिति फरियादी या वादी को पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर ग्राम कचहरी के किसी अन्य न्यायपीठ के सामने नये सिरे से वाद या मामला दायर करने का निदेश दे सकेगाः

परन्तु इस उप–धारा के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व यथास्थिति मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी या अवर न्यायिक दण्डाधिकारी या मुन्सिफ ग्राम कचहरी की न्यायपीठ से रिपोर्ट मांगेगा और पक्षों को सुनावाई का अवसर प्रदान करेगा।

स्पष्टीकरण– उप–धारा (1) प्रयोजनार्थ ''न्यायपीठ'' शब्द के अन्तर्गत ''पूर्ण न्यायपीठ'' शामिल है

(2) जहां किसी वाद या मामले के सम्बन्ध में उप–धारा (1) के अधीन, यथास्थिति, मुंसिफ या मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या अवर न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा आदेश दिया जा चुका हो वहां यथास्थिति, किसी वाद या मामला की बावत, फरियादी या वादी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष नये सिरे से मामला या वाद दायर कर सकेगा।

(3) उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अन्तरित किया गया कोई वाद या मामला उसी प्रकार निपटाया जायेगा मानों ऐसा वाद या मामला उसी न्यायपीठ के समक्ष जहां वह इस प्रकार अन्तरित किया गया हो, दायर किया गया है।

स्पष्टीकरण – उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ ''न्यायपीठ'' शब्द के अन्तर्गत ''पूर्ण न्यायपीठ'' शामिल है।

119. डिक्रियों एवं आदेशों का निष्पादन और कतिपय मामलों में अभियुक्त की गिरफ्तारी से संबंधित प्रक्रिया–(1) यदि ग्राम कचहरी की न्यायपीठ किसी वाद में उसके द्वारा पारित डिक्री को निष्पादित करने में असमर्थ हो, तो न्यायपीठ ऐसी डिक्रियों को निष्पादनार्थ मुंसिफ के पास अन्तरित कर देगी जो उस डिक्री का निष्पादन इस तरह करेगा मानो वह डिक्री मुंसिफ के द्वारा ही पारित हो।

(2) यदि ग्राम कचहरी का कोई न्यायपीठ किसी मामले में उसके द्वारा अधिरोपित जुर्माना, किसी कारण से, वसूल करने में असमर्थ हो जाए तो न्यायपीठ ऐसा जुर्माना अधिरोपित करने वाला आदेश मुख्य/अपर/अवर न्यायिक दण्डाधिकारी के पास निष्पादनार्थ भेज देगा, जो संबद्ध व्यक्ति, जिसके विरूद्ध ऐसा आदेश पारित किया गया हो, से जुर्माना इस प्रकार वसूल करेगा मानों वह आदेश उसके द्वारा विचारित मामले में वैसे दण्डाधिकारी द्वारा ही पारित किया गया हो।

(3) यदि ग्राम कचहरी का न्यायपीठ, किसी मामले के विचारण के लिए, किसी अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने में असमर्थ हो जाए तो वह (अभियुक्त के पता–ठिकाने के बारे में रिपोर्ट देकर) ऐस अभियुक्त को पकड़ने के लिए जमानती वारंट मुख्य/अपर/अवर न्यायिक दण्डाधिकारी के पास अग्रसारित करेगा, जो वारंट पर प्रतिहस्ताक्षर कर उसे उस थाना प्रभारी के पास अग्रसारित कर देगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में उस अभियुक्त के पाये जाने की सम्भावना हो और ऐसा पदाधिकारी वारंट का निष्पादन करेगा और अभियुक्त को उसके विचारण के समय न्यायपीठ के समक्ष उसकी पेशी हेतु आवश्यक उपाय करेगा।

120. वादों की परिसीमा–ग्राम कचहरी की न्यायपीठ द्वारा उस तारीख से तीन वर्षों की समाप्ति के पश्चात् किसी वाद पर विचार नहीं किया जायेगा, जिस तारीख को वाद चलाने का अधिकार पहले–पहल प्रोद्भूत हुआ होः

परन्तु, तालिका के प्रथम स्तम्भ में विनिर्दिष्ट वाद, जब वह ग्राम कचहरी के न्यायपीठ के समक्ष संस्थित (दायर) किया जाए तो उसके लिये परिसीमित अवधि वही होगी जो अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि द्वारा विनिर्दिष्ट हो।

121. पूर्व न्याय और लंबित वाद–ग्राम कचहरी का कोई न्यायपीठ किसी ऐसे वाद का विचारण नहीं करेगा, जिसमें विवादग्रस्त मामले की, प्रत्यक्षतः और सारतः किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा, उन्हीं पक्षकारों के बीच के पूर्व के वाद में या उन पक्षकारों के वाद में, जिसमें उनका या उनमें से किसी का दावा रहा हो, सुनवाई कर निर्णय दिया गया हो या उसी न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में उन्हीं पक्षकारों के बीच पूर्व संस्थित वाद में या किसी ऐसे पक्षकारों के वाद मे, जिसमे उनका या उनमें से किसी का दावा हो या निर्णय के लिए लंबित हो।

122. कार्यवाहियों या अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए जिला न्यायाधीश की शक्ति–जिला न्यायाधीश या उसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य न्यायिक पदाधिकारी को सभी युक्तियुक्त समय में ग्राम कचहरी या उसके न्यायपीठों की कार्यवाहियों और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति होगी।

तालिका

(देखें धारा 120)

कतिपय वादों के लिए समय–सीमा

वाद–विवरण	**समय–सीमा**	**वह समय जब से अवधि प्रारम्भ होगी।**
1. धरेलू नौकर, शिल्पी अथवा श्रमिक की मजदूरी के लिए	एक वर्ष	जब प्रोदभूत मजदूरी देय हो।
2. किसी होस्टल, शराबखाना अथवा वासगृह चलानेवाले के द्वारा आपूरित भोजन खाद्य अथवा पेय के मूल्य के लिए ।	एक वर्ष	जब भोजन अथवा पेय प्रदान किया गया हो।
3. आवास के भाड़ा के लिए	एक वर्ष	जब भाड़ा देय हो गया हो।
4. संविदाधीन देय धन के लिए	एक वर्ष	जब वादी को धन देय हो गया हो।
5. चल सम्पति अथवा उसके मूल्य की वसूली के लिए।	एक वर्ष	जब वादी चल सम्पति प्राप्त करने का हकदार हो गया हो।
6. किसी चल सम्पति के दोषपूर्वक ग्रहण करने अथवा उसे क्षति पहुंचाने पर क्षतिपूर्त्ति	एक वर्ष	जब चल सम्पति दोषपूर्वक ग्रहण किया गया हो अथवा उसे क्षति पहुंचाई गई हो।

(हरजाना) के लिए		
7. पशु–अतिचार से हुई क्षति के लिए	छह महीना	जब पशु–अतिचार से क्षति हुई हो।

अध्याय - VII

निर्वाचन

123. राज्य निर्वाचन आयोग–(1) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बने नियमों के अधीन राज्य की पंचायत निकायों के निर्वाचनों के संचालन तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण हेतु एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग में एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी।

(2) राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा–शर्त्ते एवं पदावधि वही होगी जो राज्यपाल नियम के द्वारा निर्धारित करें ।

परन्तु राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाये जाने की समान रीति और समान आधार पर ही हटाया जा सकेगा तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्त्तों में ऐसे परिवर्त्तन नहीं किये जा सकेंगे जो उसके लिये अहितकर हों।

(3) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के निष्पादन के लिये, उसके अनुरोध पर, उसे आवश्यकतानुसार पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध करायेगी।

124. पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना :– राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर पंचायतों तथा ग्राम कचहरी को गठित करने के प्रयोजनार्थ निर्वाचन के लिए तारीख या तारीखों को नियत कर राज्य के राजपत्र में अधिसूचित करेंगे तथा इससे अपेक्षा की जायेगी कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार मतदातागण पंचायत तथा ग्राम कचहरी के पदधारकों को निर्वाचित करें :–

परन्तु यह कि ऐसी कोई अधिसूचना निर्वाचन की नियत तिथि से पूर्व के छः माह से पहले नहीं निकाली जा सकेगी।

125. निर्वाचन के संचालन के लिये प्रशासनिक तन्त्र –

(1) राज्य सरकार, जब वैसी अपेक्षा की जाय, राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों का निर्वाचन कराने के लिए यथा आवश्यक संख्या में पदाधिकारियों एवं कर्मचरियों की सेवाएँ उपलब्ध कराएगी।

(2) पंचायत के निर्वाचन के संचालन के लिये राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक जिला के लिए जिला दंडाधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) के रूप में पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट करेगा तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) की सहायता के लिए एक या एक से अधिक जिला उप–निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट कर सकेगा, जो उप–समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी से अन्यून हो;

परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण के अध्यधीन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में निर्वाचन के संचालन से संबंधित में सभी कार्यों का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा ।

(3) राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) पंचायत में निर्वाचन के निमित्त निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) को नियुक्त कर सकेगा जो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी/उप–समाहर्त्ता से अन्यून स्तर का हो।

(4) राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) को उसके कृत्यों के निर्वहन करने में सहायता करने के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) को नियुक्त कर सकेगा, जो राज्य सरकार का पदाधिकारी होगा ।

(5) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन पदाधिकारी (पचायत) तथा पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) की सहायता करने के लिए उतने मतदान पदाधिकारी या पदाधिकारियों को, जितना कि वह आवश्यक समझे, नियुक्त करेगा :

परन्तु कोई व्यक्ति, जो सरकार या सरकारी कम्पनी या सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था का सेवक हो, पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत)/मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा;

परन्तु यह और कि किसी मतदान पदाधिकारी के मतदान केन्द्र से अनुपस्थित होने पर पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) उपर्युक्त परन्तुक के अधीन ऐसे व्यक्ति को , जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है जो निर्वाचन में या उसके सम्बन्ध में किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है; या उसके लिये कोई अन्य कार्य कर रहा है , मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा और तदनुसार जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को इसकी सूचना देगा :

परन्तु यह और भी कि मतदान पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश के अध्यधीन पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर , अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनी नियमावली के अधीन पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) के सभी या किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करेगा ।

(6) यदि पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) रूग्णता या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य हो तो उसके कृत्यों का निष्पादन ऐसे मतदान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा जो ऐसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों का निष्पादन करने के लिये निर्वाची पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा पूर्व में प्राधिकृत किया गया हो।

(7) किसी मतदान केन्द्र में पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) का यह सामान्य कर्त्तव्य होगा कि वह मतदान केन्द्र में व्यवस्था बनाए रखे और देखे कि मतदान उचित रूप से हो रहा है ।

(8) मतदान केन्द्र के मतदान पदाधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वे ऐसे मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी (पंचायत) को उसके कृत्यों के निष्पादन में सहायता करें।

126. पंचायत के निर्वाचक – राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की उस समय लागू निर्वाचक नामावली या नामावलियों का उतना भाग , जो किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित है, में जिन व्यक्तियों के नाम निर्वाचक के रूप में अंकित होंगे, वे सभी व्यक्ति सम्बन्धित पंचायत निर्वाचन में निर्वाचक होंगे ;

''परन्तु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग स्वप्रेरणा से अथवा किसी व्यथित व्यक्ति से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इस राय का हो कि ऐसा करने के लिये पर्याप्त कारण है, तो पंचायत से संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में ऐसा परिवर्तन करने का निदेश दे सकेगा जैसा कि वह उचित समझे ;

परन्तु यह और कि इस अधिनियम की धारा 124 के अधीन राज्यपाल द्वारा पंचायत निर्वाचन की तिथि की अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् निर्वाचक नामावली में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।''

127. जनगणना के पश्चात निर्वाचित सदस्यों का अवधारण–प्रत्येक जनगणना के आंकड़े के प्रकाशन के पश्चात् पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का अवधारण राज्य सरकार द्वारा जनगणना में निर्धारित पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा।

परन्तु पूर्वोक्त संख्या के निर्धारण से पंचायत इकाई की संरचना पर तबतक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबतक कि तत्समय कार्यरत निर्वाचित सदस्यों की पदावधि समाप्त न हो जाये।

परन्तु आगे यह कि जबतक 2011 की जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, तब तक राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि 2001 की जनगणना पर विनिश्चित पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या का पुनर्निधारण करें ।

128. प्रेक्षक :– (1) राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों के संचालन पर निगरानी रखने और उन अन्य कार्यों को पूर्ण करने, जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उसे सौंपा जाये, के लिए एक प्रेक्षक को नाम निर्दिष्ट कर सकता है, जो राज्य सरकार का पदाधिकारी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नाम निर्दिष्ट प्रेक्षक के पास निर्वाचन क्षेत्र के लिए या निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी के लिए, जिसके लिए उसे नाम निर्दिष्ट किया गया हो, परिणाम की घोषणा के पूर्व किसी भी समय मतों की गणना को स्थगित करने अथवा परिणाम घोषित नहीं करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी को निर्देशित करने की शक्ति होगी, यदि प्रेक्षक की राय में बड़ी संख्या में मतदान केन्द्रों पर या मतदान के लिए नियत स्थानों पर कब्जा किया गया हो या मतों की गणना या मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त किन्हीं मतपत्रों या मतदान के लिए नियत स्थान पर, निर्वाची पदाधिकारी की अभिरक्षा से अविधिपूर्ण तरीके से ले लिये गये हों, या दुर्घटनावश या आशयपूर्वक नष्ट कर दिया गया हो या खो गये हों या उस सीमा तक बिगाड़ दिये गये हों या छेड़–छाड़ की गयी हों कि मतदान केन्द्र या स्थान पर मतदान का परिणाम सुनिश्यित नहीं किया जा सकेगा ।

(3) जहाँ प्रेक्षक मतों की गणना रोकने के लिए या परिणाम घोषित नहीं करने के लिए इस धारा के अधीन निर्वाची पदाधिकारी को निर्देशित करे, वहाँ प्रेक्षक तत्काल राज्य निर्वाचन आयोग को मामले की रिपोर्ट देगा और उस पर राज्य निर्वाचन आयोग सभी तात्विक परिस्थितियों को विचारित करने के पश्चात् समुचित निर्देश जारी करेगा ।

<u>स्पष्टीकरण</u> – उप–धारा (2) और उपधारा (3) के प्रयोजनार्थ ''प्रेक्षक'' में राज्य निर्वाचन आयोग का ऐसा पदाधिकारी भी सम्मिलित होगा जिसे इस धारा के अधीन किसी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों के संचालन पर निगरानी रखने का कर्तव्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपा गया हो।

129. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) निर्वाची अधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी आदि को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त माना जायगा –

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) निर्वाची अधिकारी, सहायक निर्वाची अधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान अधिकारी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन कार्य से सम्बद्ध कोई

अन्य पदाधिकारी और ऐसे निर्वाचन के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा तत्समय नामनिर्दिष्ट कोई आरक्षी अधिकारी को ऐसे निर्वाचन के लिए आवश्यक अधिसूचना की तारीख से आरम्भ होनेवाली अवधि और निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से समाप्त होनेवाली अवधि के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माना जायेगा । ऐसे पदाधिकारी उस अवधि के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण अधीक्षण एवं अनुशासन के अध्यधीन होंगे ।

130. निर्वाचन अपराध –

(1)**– निर्वाचन के सिलसिले में वर्गों के बीच शत्रुता बढ़ाना ––** कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्वाचन के संबंध में भारत के नागरिकों को विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ाता है या बढ़ाने का प्रयास करता है, तो वह तीन वर्षों तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा ।

(2)**मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के 48 घंटो की अवधि के दौरान आम सभाओं पर प्रतिबंध** –(I) कोई भी व्यक्ति –

(क) निर्वाचन के संबंध में किसी चुनाव संबंधी जुलूस या आम सभा संबंधी संयोजन, धारण, उपस्थिति, आयोजन या संबोधन नहीं करेगा ;

(ख) सिनेमाटोग्राफ, टेलीविजन या अन्य समान उपकरण के जरिये किसी निर्वाचन मामले को जनता को नहीं दर्शायेगा ; या

(ग) किसी रंगमंच या संगीत सभा का प्रदर्शन या किसी अन्य मनोरंजन या मन बहलाने वाले कार्यक्रमों के आयोजन से जनता के सदस्यों को आकर्षित करने के उदेश्य से किसी मतदान क्षेत्र में उस मतदान केन्द्र पर किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के भीतर किसी चुनाव विषयक मामले का प्रचार नहीं करेगा।

(II) ऐसा कोई व्यक्ति जो उप–धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करे दो वर्षों तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(III) इस धारा में, अभिव्यक्ति '' चुनाव मामले'' से अभिप्रेत है निर्वाचन के परिणाम को प्रभावित करना या प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रगणनित कोई मामला

(3)**निर्वाचन सभा में बाधा**–(1) कोई व्यक्ति, जो किसी सार्वजनिक सभा में, जिस पर यह धारा लागू होती है, जिस प्रयोजन के लिए सभा बुलाई गई है, उसके कार्य संव्यवहार को

निवारित करने के लिए अव्यवस्था उत्पन्न करता है या किसी अन्य को इसके लिए भड़काता है, छः माह के कारावास या दो हजार रूपये के जुर्माने से; या दोनों से, दण्डनीय होगा।

खंड (1) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

(2) यह धारा सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने की तिथि और निर्वाचन की तिथि के मध्य किसी निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित राजनीतिक प्रकृति की किसी आम सभा पर लागू होती है ।

(3) यदि कोई पुलिस अधिकारी खंड (1) के अन्तर्गत अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति पर पर्याप्त रूप से सन्देह करता है, यदि सभा के सभापति द्वारा ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाये, तो वह उस व्यक्ति से अपना नाम और पता तुरन्त घोषित करने की अपेक्षा कर सकता है, और यदि वह व्यक्ति अपने नाम और पते घोषित करने से इंकार करता है या नही करता है, या यदि पुलिस अधिकारी उस पर गलत नाम या पता देने के लिए पर्याप्त रूप से सन्देह करता है, तो पुलिस अधिकारी वारन्ट के बिना उसे गिरफ्तार कर सकता है ।

(4)**पुस्तिकाओं, पोस्टरों, इत्यादि के मुद्रण पर प्रतिबन्ध** –(1) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा या मुद्रित या प्रकाशित नहीं करायेगा, जिसके मुख्य भाग पर मुद्रक और उसके प्रकाशक के नाम और पते नहीं हो

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को तब तक मुद्रित नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करायेगा––

(क) जब तक कि उसके प्रकाशक की पहचान के लिए घोषणा, उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो ऐसे व्यक्तियों द्वारा अभिप्रमाणित, जो उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, डुप्लीकेट में मुद्रक को उसके द्वारा परिदत नहीं की जाये, और

(ख) जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात युक्तियुक्त समय के भीतर, घोषणा की एक प्रति, दस्तावेज की एक प्रति के साथ मुद्रक द्वारा नहीं भेजी जाए,–

i) जब यह राज्य की राजधानी में मुद्रित हो तो राज्य निर्वाचन आयोग को, और

ii) किसी अन्य मामले में, उस जिले के जिला दंडाधिकारी को जिसमें यह मुद्रित किया गया है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए –

(क) हाथ द्वारा इसकी प्रतियॉ करने के अलावा दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियॉ बनाने की किसी भी प्रक्रिया को मुद्रण माना जायेगा और तद्नुसार अभिव्यक्ति ''मुद्रक'' की व्याख्या की जायेगी ; और

(ख) '' निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर'' से अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को संप्रवर्तित करने या प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन से संबंध रखने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, लेकिन इसमें निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं के दैनिक निर्देशों या निर्वाचन सभा की तिथि, समय, स्थान और अन्य विशिष्टियों को घोषित करने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर शामिल नही होंगे।

(4) कोई व्यक्ति, जो खंड (1) या खंड (2) के अधीन किन्ही उपबंधों का उल्लंघन करता है, छः माह के कारावास या दो हजार रूपये के जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(5)**मतदान की गोपनीयता बनाए रखना** –(1) प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, अभिकर्त्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों की गणना उसके अभिलेखन करने के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतों की गोपनीयता बनाये रखेगा, और बनाए रखने में सहायता करेगा और किसी व्यक्ति को (किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अधिकृत किसी प्रयोजन के अलावा) गणना से संबंधित कोई सूचना संसूचित नहीं करेगा जिससे इसकी गोपनीयता भंग होगी ।

(2) कोई व्यक्ति जो खंड (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तीन माह के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(6)**निर्वाचनों में अधिकारी आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य नहीं करेंगे या मतदान को प्रभावित नहीं करेंगे** – (1) कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचन के संबंध में किसी कर्तव्य के पालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या निर्वाची पदाधिकारी, या सहायक निर्वाची पदाधिकारी या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान अधिकारी, या निर्वाची पदाधिकारी या पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी या लिपिक है, निर्वाचन के प्रबंध या संचालन में किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को बढाने के लिए कार्य (मत देने के अलावा) नहीं करेगा ।

(2) यथा उपर्युक्त कोई भी व्यक्ति, और पुलिस बल का कोई भी सदस्य निम्नलिखित प्रयास नहीं करेगा––

(क) निर्वाचन में किसी व्यक्ति को उसका मत देने के लिए प्रेरित करना ; या

(ख) निर्वाचन में किसी व्यक्ति को उसका मत न देने के लिए प्रेरित करना ; या

(ग) किसी निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मतदान पर किसी तरीके से असर डालना ।

(3) कोई व्यक्ति जो खंड (1) या खंड (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, छः माह के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(4) खंड (3) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

(7) मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक प्रचार का प्रतिषेध –(1) कोई व्यक्ति ऐसी तिथि या तिथियों को, जिसमें किसी मतदान केन्द्र पर मतदान होता हो, मतदान केन्द्र के भीतर या किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में, जो मतदान केन्द्र के एक सौ भीटर की दूरी के भीतर है, निम्नलिखित में से किसी कार्य को नहीं करेगा, यथा

(क) मतों के लिए प्रचार ; या

(ख) किसी निर्वाचक से मत की याचना करना ; या

(ग) किसी अभ्यर्थी विशेष को मत नहीं देने के लिए किसी निर्वाचक को प्रेरित करना ; या

(घ) निर्वाचन में मत नहीं देने के लिए किसी निर्वाचक को प्रेरित करना ; या

(ङं) निर्वाचन से संबंधित किसी सूचना या संकेत (शासकीय सूचना के अलावा) को प्रदर्शित करना ।

(2) कोई व्यक्ति जो खंड (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह स्थानीय अधिकारिता वाले किसी दण्डाधिकारी द्वारा पॉच सौ रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

(3) इस उप धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(8) मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक विच्छृंखल आचरण के लिए शास्ति – (1) कोई व्यक्ति, ऐसी तिथि या तिथियों को, जिसमें किसी मतदान केन्द्र मतदान पर होता है,–

(क) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर, या उसके पडोस में किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में, मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युत्पादन करने के लिए मेगाफोन या लाउडस्पीकर जैसा उपकरण का न तो उपयोग करेगा या न चलायेगा या

(ख) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर, या उसके पडोस में किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में विच्छृखल तरीके से नहीं चिल्लायेगा या अन्यथा कार्य नहीं करेगा, जिससे कि मतदान के लिए मतदान केन्द्र जाने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या जिससे मतदान केन्द्र के कर्त्तव्य पर अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के कार्य में हस्तक्षेप हो,

(2) कोई व्यक्ति, जो खंड (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उसके लिए जानबूझकर सहायता करता है या दुष्प्रेरण करता है, तीन माह तक के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(3) यदि पीठासीन अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति इस धारा के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी को निर्देशित कर सकता है, और उसके बाद पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेगा ।

(4) कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसा कोई कदम उठा सकता है, और बल का प्रयोग कर सकता है, जो उप धारा (1) के उपबंधो के उल्लंघन को रोकने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, और इस उल्लंघन में प्रयुक्त उपकरण को जब्त कर सकता है ।

(9)**मतदान केन्द्र पर अवचार के लिए शास्ति** –(1) कोई व्यक्ति जो मतदान के लिए नियत समय के दौरान किसी मतदान केन्द्र में, पीठासीन अधिकारी के विधिपूर्ण निर्देशों का पालन नही करता है या स्वयं अवचार करता है,तो उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा या कर्तव्य पर तैनात किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या उस पीठासीन अधिकारी द्वारा इस निमित अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र से हटाया जा सकेगा ।

(2) खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इस प्रकर नहीं किया जायेगा, जिससे कि किसी निर्वाचक को, जो मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अन्यथा हकदार है, उसे केन्द्र में मत देने के अवसर नही प्राप्त हो सके ।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जिसे मतदान केन्द्र से हटा दिया गया हो, पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करता है, तीन माह के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(4) खंड (3) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

(10) मतदान की प्रकिया के पालन में विफलता के लिए शस्ति–– यदि कोई निर्वाचक, जिसे मत पत्र जारी किया गया हो, मतदान के लिए विहित प्रक्रिया का पालन करने से इंकार करता है तो, उसे जारी मत पत्र रदद कर दिया जायेगा ।

(11) निर्वाचनों में वाहनों को अवैध रूप से किराये पर लेने या उपाप्त करने के लिए शास्ति––यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में धारा 141 के खण्ड (5) में यथविनिर्दिष्ट किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी हो, तो वह तीन माह तक के कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(12)**निर्वाचनों के संबंध में पदीय कर्तव्य का भंग** –(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसपर यह धारा लागू होती हो, अपना पदीय कर्त्तव्य–भंग करते हुए बिना युक्तियुक्त कारण के किसी कार्य या लोप का दोषी हो तो वह पांच सौ रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(1– क) खंड (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(2) यथापूर्वोक्त ऐसे किसी कार्य या लोप के बाबत क्षति के लिए ऐसे किसी व्यक्ति के विरूद्व कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

(3) यह धारा जिला निर्वाचन पदाधिकारियों (पंचायत), निर्वाची पदाधिकारियों, सहायक निर्वाची पदाधिकारियो, पीठासीन पदाधिकारियों, मतदान पदाधिकारियों एवं नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने या अभ्यर्थिता की वापसी या मतदान लेने अथवा मतगणना करने हेतु नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति पर लागू होगी और अभिव्यक्ति ''पदीय कर्तव्य'' की व्याख्या इस धारा के प्रयोजनार्थ तदनुसार की जायेगी, लेकिन अधिनियम द्वारा या इसके अन्तर्गत निर्धारित कर्त्तव्यों से अन्यथा अधिरोपित कर्तव्य इसमें शामिल नहीं होंगे ।

(13)**निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सरकारी कर्मचारियो के लिए शास्ति**–यदि सरकारी सेवारत कोई व्यक्तिं निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप मे कार्य करता है, तो वह तीन माह तक के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(14)**मतदान केन्द्र में उसके नजदीक शस्त्र लेकर जाने पर प्रतिबंध** –(1) मतदान केन्द्र में शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी और नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र में कर्तव्य पर है, मतदान के दिन मतदान केन्द्र के पास आयुध अधिनियम 1959 (1959 का सं 54) में यथा परिभाषित, किसी प्रकार के सशस्त्र लेकर नहीं जायेगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति खंड (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह दो वर्षों तक के कारावास या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(3) आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का सं 54) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन अपराध का सिद्वदोष हो, उसके कब्जे में उक्त अधिनियम में यथापरिभाषित शस्त्र पाया गया हो तो जब्त कर लिया जाएगा और उन शस्त्रों के लिए प्रदत्त अनुज्ञप्ति को उस अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत प्रतिसंहरित माना जायेगा ।

(4) खंड (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

(15)**मतदान केन्द्र से मत पत्रों को हटाना अपराध होगा** – (1) कोई व्यक्ति, जो किसी निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतपत्र को अनधिकृत रूप से लेता है या लेने का प्रयास करता है, या किसी ऐसे कार्य को करने में जानबुझ कर सहायता करता है या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या पॉच सौ रूपये तक के जुर्माने, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(2) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति खंड (1) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह अधिकारी उस व्यक्ति के मतदान केन्द्र छोडने से पहले गिरफ्तार कर सकता है या उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आरक्षी अधिकारी को निदेश दे सकता है और उस व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या किसी आरक्षी अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगा :

परन्तु जब किसी महिला की तलाशी लेना आवश्यक हो, तो मर्यादा का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य महिला द्वारा तलाशी ली जायेगी ।

(3) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी पर पाये गये किसी मतपत्र को पीठासीन अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी को निरापद अभिरक्षा के लिए दिया जायेगा, या जब तलाशी पुलिस अधिकारी द्वारा की जाये, तो उसे स्वयं अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(4) खंड (1) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

(16)**मतदान केन्द्र कब्जा करने का अपराध** –(1) जो कोई मतदान केन्द्र कब्जा करने का अपराध करता है, उसे ऐसे कारावास से, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे तीन वर्षो तक बढाया जा सकता है और जुर्माने से दण्डनीय होगा, और जहाँ ऐसा अपराध सरकारी सेवारत व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो वह ऐसे कारावास से, जो तीन वर्षो से कम नहीं होगा लेकिन जिसे पॉच वर्षों तक बढाया जा सकेगा , और जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण– (1)इस खंड और धारा –97 (ख) के प्रयोजनों के लिए ''मतदान केन्द्र कब्जा'' में अन्य चीजों के साथ निम्नलिखित सभी या कोई भी गतिविधियाँ शामिल है, अर्थात्:––

(क) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का कब्जा करना, मतपत्रों या मतदान मशीनों को मतदान प्राधिकारियों से अभ्यर्पित

कराना और कोई ऐसा अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के सुव्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है,

(ख) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का कब्जा करना; और केवल अपने समर्थकों को मताधिकार के प्रयोग करने की अनुमति देना और दूसरे को मत देने से रोकना।

(ग) किसी निर्वाचक को अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान जाने से रोकना और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पीड़ित करना या अभित्रास या धमकी देना ;

(घ) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतगणना स्थान का कब्जा करना, मतपत्रों या मतदान मशीनों को गणना प्राधिकारियों से अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य जो व्यवस्थित रूप से गणना करने से प्रभावित करे ;

(ङ) अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए सरकारी सेवारत किसी व्यक्ति द्वारा पूर्वोक्त कार्यों में से सभी या कोई कार्य करना, या करने में सहायता या मौन अनुमति देना ।

(2) खंड (1) के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(17) अन्य अपराध और उसके लिए शास्तियां –(1) कोई व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा, यदि किसी निर्वाचन में वह –

(क) किसी नामनिर्देशन पत्र को कपटपूर्वक विरूपित करता है या कपटपूर्वक नष्ट करता है; या

(ख) निर्वाची अधिकारी के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन लगायी गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित, नष्ट या हटाता है; या

(ग) डाक मत–पत्र द्वारा मत डालने के सम्बन्ध में प्रयुक्त शासकीय लिफाफे या पहचान की किसी घोषणा या किसी मत पत्र पर शासकीय चिन्ह या किसी मत पत्र को कपटपूर्वक विरूपित करता है या कपटपूर्वक नष्ट करता है; या

(घ) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को किसी मतपत्र की आपूर्ति करता है या किसी किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करता है या उसके कब्जे में कोई मतपत्र हो या

(ङ) मतपत्र जिसे डालने के लिए वह विधितः अधिकृत है से भिन्न किसी वस्तु को किसी मतपेटी में कपटपूर्वक डालता हो; या

(च) आवश्यक प्राधिकार के बिना, निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तब प्रयुक्त किसी मतपेटी या मतपत्रों के नष्ट करता हो, ले जाता हो, खोल देता हो या अन्यथा हस्ताक्षेप करता हो ; या

(छ) उपर्युक्त किन्हीं कार्यों को करने का कपटपूर्वक या यथास्थिति आवश्यक प्राधिकार के बिना, प्रयास करता हो या किसी ऐसे कार्य को करने के लिए जानबूझ कर सहायता करता हो या उत्प्रेरित करता हो ।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन विषयक अपराध का दोषी कोई व्यक्ति –

(क) यदि वह निर्वाची पदाधिकारी या सहायक निर्वाची पदाधिकारी या मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी हो या निर्वाचन के सम्बन्ध में शासकीय कर्त्तव्य पर नियोजित कोई अन्य अधिकारी या लिपिक हो, तो दो वर्षों तक के कारावास से या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा;

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति हो तो छः माह तक के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को शासकीय कर्त्तव्य पर माना जायेगा, यदि उसका कर्तव्य किसी निर्वाचन के या निर्वाचन के अंग के संचालन में भाग लेना होगा और इसमें मतगणना भी शामिल है या निर्वाचन के पश्चात् मतपत्रों और ऐसे निर्वाचन से जुड़े अन्य कागजात के लिए जिम्मेवार होगा। अभिव्यक्ति ''शासकीय कर्त्तव्य'' में इस अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत अन्यथा अधिरोपित कोई कर्त्तव्य शामिल नहीं होगा ।

(4) उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

131. मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने की मंजूरी ––(1) किसी कारोबार, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित और राज्य की पंचायतों के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अवकाश प्रदान किया जायेगा ।

(2) उप धारा (1) के अनुसार प्रदान किये गये अवकाश के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी में कोई भी कमी या कटौती नहीं की जायेगी और यदि वह व्यक्ति इस आधार पर नियोजित है कि वह ऐसे दिन के लिए मजदूरी साधारणतया प्राप्त नहीं करेगा, फिर भी उसे ऐसे दिन के लिए मजदूरी का भुगतान उसी प्रकार से किया जायेगा, जिस प्रकार से वह अवकाश प्रदान नहीं किये जाने पर प्राप्त करता।

(3) यदि कोई नियोक्ता खंड (1) या खंड (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, तो ऐसा नियोक्ता, पॉच सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(4) यह धारा उस किसी ऐसे निर्वाचक पर लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति उस नियोजन की बावत खतरा या सारभूत हानि पहुँचा सकती हो, जिसमें वह कार्यरत हो ।

132. मतदान के दिन शराब की बिक्री या वितरण नहीं किया जायेगा और न दिया जाएगा –(1) कोई स्प्रिट युक्त, किण्वित (फर्मेन्टेड) या मदोन्मत्त करने वाला मद्य या इसी प्रकार के अन्य पदार्थ की इस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान के समाप्ति के लिए नियत समय के समाप्ति के 48 घंटे की अवधि के भीतर मतदान क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले किसी होटल, भोजनालय, दुकान, भोजशाला या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान में, बिक्री या वितरण नहीं किया जाएगा और न दिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति छः माह तक के कारावास से, या दो हजार रूपये तक के जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(3) जहॉ कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध का सिद्वदोष पाया जाता हो, वहॉ उसके कब्जे में पायी गयी स्प्रिट युक्त, किण्वित (फर्मेन्टेड) या मदोन्मत्त करने वाला मद्य या इस प्रकार के अन्य पदार्थ जब्त किये जाने योग्य होंगे और उन्हें यथाविहित रीति से, निपटाया जायेगा ।

133. निर्वाचन व्यय का लेखा और उसकी अधिकतम राशि – (1) पंचायत निर्वाचन का प्रत्येक उम्मीदवार जिस तारीख को उसका नाम निर्देशन हुआ हो उस तारीख से लेकर उसका परिणाम घोषित किए जाने की तारीख तक उपगत और उसके द्वारा प्राधिकृत, निर्वाचन से जुड़े सभी खर्च का पृथक् और सही लेखा या तो स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता से रखवायेगा।

(2) लेखा में यथाविहित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी।

(3) उक्त व्यय का कुल योग यथाविहित राशि से अधिक नहीं होगा।

134. निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अनर्हता – यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाए कि कोई व्यक्ति (क) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित समय एवं रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है और

(ख) चूक के लिए कोई युक्तियुक्त कारण या औचित्य नहीं है तो राज्य निर्वाचन आयोग आदेश द्वारा उसे निरर्हित घोषित कर देगा तथा ऐसा व्यक्ति आदेश की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए निरर्हित किया जाएगा ।

135. सदस्यता के लिये अर्हता–ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम किसी पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो और जिसे इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रदत्त किसी अन्य विधि के अधीन निरर्हित नहीं किया गया हो, उसे पंचायत के सदस्य या पदधारी के रूप में निर्वाचित होने की अर्हता प्राप्त होगी,

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गो या महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के मामले में, ऐसा कोई व्यक्ति जो यथास्थिति किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के सदस्य या महिला न हो, तो उसे ऐसे स्थानों के लिये निर्वाचित होने की अर्हता प्राप्त नहीं होगी।

136. सदस्यता की निरर्हता–(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति मुखिया, ग्राम पंचायत के सदस्य, सरपंच, ग्राम कचहरी के पंच, पंचायत समिति के सदस्य एवं जिला परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अथवा निर्वाचन के बाद अपने पद पर बने रहने के लिए निरर्हित होगा यदि वह व्यक्ति

(क) भारत का नागरिक न हो ;

(ख) राज्य विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन अयोग्य घोषित किया गया हो;

परन्तु यदि किसी व्यक्ति ने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, तो उसे इस आधार पर निरर्हित घोषित नहीं किया जायेगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है;

(ग) केन्द्र या राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा में हो;

(घ) केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से सहायता प्राप्त करने वाली कोई संस्था की सेवा में हो;

(ङ) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का न्याय निर्णीत हुआ हो;

(च) केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार की सेवा से कदाचार के लिए पदच्युत कर दिया गया हो और किसी लोक सेवा में नियुक्ति के लिए निरर्हित घोषित कर दिया गया हो,

(छ) भारत के भीतर या बाहर किसी दण्ड न्यायालय द्वारा राजनैतिक अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए छः महीनों से अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जा चुका हो अथवा सदाचार के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा 109 या धारा 110 के अधीन उसे प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया हो और ऐसा दण्डादेश या आदेश बाद में उलट न दिया गया हो ;

(ज) तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकार के सदस्य होने का पात्र न रह गया हो;

(झ) पंचायत के अधीन वैतनिक पद या लाभ का पद धारण करता हो;

(ञ) भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया होः

परन्तु भ्रष्ट आचरण का दोषी पाये जाने पर सामान्य निर्वाचन के छः वर्षों के बाद उसकी निरर्हता न रह जायेगी ।

(2) यदि किसी स्तर पर, ऐसा कोई प्रश्न उठे कि पंचायत का कोई सदस्य या ग्राम पंचायत का मुखिया या ग्राम कचहरी का सरपंच निर्वाचन के पूर्व या निर्वाचित होने के पश्चात् खंड (1) में उल्लिखित निरर्हताओं के अध्यधीन है, तो इस विषय को राज्य निर्वाचन आयुक्त को विनिश्चय के लिए सुपुर्द किया जायेगा । निरर्हता का मामला राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति या प्राधिकार द्वारा परिवाद, आवेदन या सूचना के रूप में लाया जायेगा । राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं भी ऐसे मामलों का संज्ञान ले सकेगा और प्रभावित पक्षों को सुनने का पर्याप्त अवसर देते हुए यथाशीघ्र ऐसे मामलों का विनिश्चय करेगा।

(3) यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जो पंचायत के सदस्य, मुखिया, सरपंच के रूप में चुना गया हो, लोक सभा, राज्य सभा या राज्य विधान सभा या राज्य विधान परिषद् का सदस्य हो या हो जाए, या नगरपालिका का पार्षद् या नगर निगम का पार्षद् या स्वच्छता बोर्ड का सदस्य अथवा किसी अन्य नगर पंचायत का या अन्य पंचायत का सदस्य या मुखिया या सरपंच हो या हो जाए, तो लोक–सभा, राज्य सभा, राज्य विधान–सभा या राज्य विधान परिषद् के सदस्य या नगरपालिका का पार्षद अथवा नगर निगम का पार्षद या स्वच्छता बोर्ड या नगर पंचायत का सदस्य या ऐसे अन्य पंचायत के सदस्य या मुखिया, सरपंच की पदावधि आरंभ होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर पंचायत में उसका स्थान रिक्त हो जायगा, यदि उसने पहले ही यथास्थिति लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान–सभा या राज्य विधान परिषद या नगरपालिका या नगर निगम, स्वच्छता बोर्ड या नगर पंचायत या ऐसी किसी पंचायत में अपना स्थान न त्याग दिया हो।

(4) **शपथ एवं प्रतिज्ञान** – निर्वाचन के तुरंत बाद पंचायत के सदस्य, ग्राम कचहरी के सरपंच या पंच तथा ग्राम पंचायत के मुखिया ऐसे व्यक्ति के समक्ष, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग इस निमित्त नियुक्त करे, शपथ लेगा और प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा और यदि पंचायत का ऐसा सदस्य, ग्राम कचहरी का सरपंच या पंच या मुखिया शपथ लेने / प्रतिज्ञान करने और हस्ताक्षर करने से इनकार अथवा अस्वीकार करे तो उनका पद तत्काल रिक्त समझा जायेगा। निर्वाचन के बाद और ऐसी तारीख से तीन माह के अन्दर जिस तारीख को उसकी पदावधि आरंभ होती हो। यदि पंचायत सदस्य, ग्राम कचहरी का सरपंच या पंच या मुखिया शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से इंकार करे तो उसका पद उक्त तिथि के बाद रिक्त समझा जायेगा।

137. चुनाव याचिका – (1)यथा विहित चुनाव याचिका के सिवाय किसी पंचायत या ग्राम कचहरी के किसी पद के निर्वाचन को प्रश्नगत नहीं किया जायेगा–

परन्तु अगर किसी ग्राम पंचायत या ग्राम कचहरी के किसी पद का निर्वाचन विवादित हो तो चुनाव याचिका वैसे मुन्सिफ के समक्ष दायर होगी जिसके क्षेत्राधिकार में वैसी ग्राम पंचायत या ग्राम कचहरी अवस्थित हो तथा अगर किसी पंचायत समिति या जिला परिषद् का किसी पद का निर्वाचन विवादित हो तो चुनाव याचिका वैसे अवर न्यायाधीश के समक्ष दायर होगी जिसके क्षेत्राधिकार में यथास्थिति वैसा पंचायत समिति या जिला परिषद् अवस्थित हो।

(2) ''याचिका के पक्षकार :–प्रार्थी अपनी याचिका में प्रत्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को जोड़ेगा :

(क) जहाँ प्रार्थी ऐसी घोषणा करने के दावे के अतिरिक्त कि सभी या किन्ही निर्वाचन अभ्यार्थियों का निर्वाचन अवैध है, अन्य घोषणा का दावा करता है कि स्वयं उसे या किसी अन्य अभ्यर्थी को सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया है, प्रार्थी के अलावा सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को और जहाँ कोई ऐसी अन्य घोषणा का दावा नहीं किया जाय तो सभी निर्वाचित अभ्यर्थियों को और ,

(ख) किसी अन्य अभ्यर्थी को जिसके विरूद्ध किसी भ्रष्ट आचरण के आरोप को याचिका में लगाया गया हो ।

138. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर रोक–इस अघ्यादेश में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी– (क) भारत संविधान के अनुच्छेद–243 ट के अधीन बनाए गए या बनाए जाने को तात्पर्यित निर्वाचन–क्षेत्रों के परिसीमन अथवा ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए स्थानों के आवंटन से संबंधित किसी विधि की विधिमान्यता को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(ख) इस अघ्यादेश के अधीन विहित प्राधिकारी के पास प्रस्तुत की गयी निर्वाचन अर्जी के सिवाय किसी पंचायत का निर्वाचन प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

139. निर्वाचन को रद्द घोषित करने के आधार–(1) उप–धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन यदि विहित प्राधिकारी की राय हो कि–

(क) अपने निर्वाचन की तारीख को कोई निर्वाचित उम्मीदवार इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में चुने जाने की अर्हता नहीं रखता था या निरर्हित था, या

(ख) निर्वाचित उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता या निर्वाचित उम्मीदवार की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है, या

(ग) किसी नामांकन–पत्र को अनुचित रूप से अस्वीकृत कर दिया गया है, या

(घ) निर्वाचन का परिणाम, जहां तक किसी निर्वाचित उम्मीदवार से इसका संबंध है, यदि–

(i) किसी नामांकन पत्र को अनुचित रुप से स्वीकार करने से या

(ii) किसी अभिकर्त्ता द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार के हित में किए गए किसी भ्रष्ट आचरण से, या

(iii) किसी मत को अनुचित रुप से प्राप्त करने, इंकार करने या अस्वीकार करने अथवा ऐसे किसी मत को जो रद्द हो, प्राप्त करने से, या

(iv)इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेश के अननुपालन से–तात्विक रुप से प्रभावित हुआ हो, तो विहित प्राधिकारी निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन रद्द घोषित कर देगा।

(2) यदि विहित प्राधिकारी की राय में किसी निर्वाचित उम्मीदवार का कोई अभिकर्त्ता भ्रष्ट आचरण का दोषी रहा हो, किन्तु विहित प्राधिकारी का समाधान हो गया हो कि–

(क) उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन में ऐसा कोई भ्रष्ट आचरण नहीं किया गया और ऐसा प्रत्येक भ्रष्ट आचरण उम्मीदवार के आदेशों के प्रतिकूल तथा उसकी सहमति के बिना किया गया,

(ख) उम्मीदवार ने चुनाव में भ्रष्ट आचरण रोकने के लिए सभी समुचित उपायकिये; और

(ग) अन्य सभी बातों में उम्मीदवार या उसके किसी अभिकर्त्ता की ओर से चुनाव में किसी प्रकार का भ्रष्ट आाचरण नहीं किया गया, तो विहित प्राधिकारी यह विनिश्चय कर सकेगा कि निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव अवैध नहीं है।

140. वैसे कारण जिनके चलते निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न अन्य कोई उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जा सकेगा–(1) यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन के बारे में आपत्ति करने के अतिरिक्त दायर निर्वाचन याचिका में इस आशय की घोषणा का दावा करता है कि स्वयं उसे या किसी अन्य उम्मीदवार को सम्यक् रुप से निर्वाचित किया गया है और विहित प्राधिकारी की यह राय हो–

(क) कि वस्तुतः अर्जीदार या ऐसा अन्य उम्मीदवार ने वैध मतों से बहुमत प्राप्त किया है; या

(ख) कि निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट आचरण से प्राप्त मत को छोड़कर अर्जीदार या ऐसा अन्य उम्मीदवार वैध मतों का बहुमत प्राप्त कर लिया होता; तो विहित प्राधिकारी, निर्वाचित

उम्मीदवार के निर्वाचन को रद्द घोषित करने के बाद यह घोषणा करेगा कि यथा स्थिति अर्जीदार या ऐसा अन्य उम्मीदवार को सम्यक् रुप से निर्वाचित घोषित किया गया है।

(2) विहित प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

141. भ्रष्ट आचरण –इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित को भ्रष्ट आचरण में समझा जाएगाः–

(i) तत्समय प्रवृत्त जन प्रतिनिधित्व अधिनिमय 1951 (केन्द्रीय अधिनियम 48, 1951) की धारा 123 के खंड (1) में यथा परिभाषित रिश्वत;

(ii) तत्समय प्रवृत्त उक्त धारा के खंड (2) में यथा परिभाषित अनुचित प्रभाव ;

(iii) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता द्वारा अथवा किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के लिये उसके धर्म, प्रजाति, जाति समुदाय या भाषा के आधार पर मतदान करने या नहीं करने की अपील अथवा उस उम्मीदवार के निर्वाचित होने की संभवनाओं को बढ़ाने के लिये अथवा किसी उम्मीदवार के निर्वाचन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिये धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करने या उसकी दुहाई देने या राष्ट्रीय प्रतीकों, यथा राष्ट्रीय झंडा या राष्ट्रीय चिन्ह का उपयोग करने या दुहाई देने ;

(iv) उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता अथवा उम्मीदवार या उसके चुनाव अभिकर्त्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को बढ़ाने के लिये या किसी उम्मीदवार के चुनाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये धर्म, प्रजाति, जाति, समुदाय अथवा भाषा के आधार पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गो के बीच शत्रुता और घृणा की भावनाओं को भड़काना या भड़काने का प्रयास करना,

(v) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता द्वारा अथवा उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे तथ्यों के विवरण का प्रकाशन जो किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में अथवा किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी या उसकी वापसी के संबंध में मिथ्या हो और जिसे वह मिथ्या समझता हो या सही नहीं मानता हो, जो ऐसा विवरण हो जिसे उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये सुविचारित ढ़ंग से तैयार किया गया हो,

(vi) उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता अथवा उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चाहे भुगतान पर या अन्यथा किसी वाहन या जलयान को भाड़े पर लेना अथवा उसे प्राप्त करना या ऐसे वाहन या जलयान का इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किसी मतदान केन्द्र तक या उससे किसी मतदाता (स्वयं उम्मीदवार, उसके

परिवार के सदस्य या उसके अभिकर्ता से भिन्न) के निःशुल्क परिवहन के लिए ऐसे वाहन या जलयान का उपयोग करना ;

परन्तु किसी मतदाता द्वारा अपने खर्च पर किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिये नियत स्थान पर जाने या वहां से वापस लौटने के प्रयोजनार्थ किसी सार्वजनिक वाहन या जलयान या रेल का उपयोग इस खंड के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं माना जायेगा,

स्पष्टीकरण– इस खंड में "यान" शब्द से अभिप्रेत है पथ परिवहन के प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया गया या उपयोग में लाने योग्य कोई यान, चाहे यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा चलता हो, चाहे उसका उपयोग अन्य यानों को खींचने के लिये या अन्यथा किया जाता हो।

(vii) किसी ऐसी बैठक का आयोजन जिसमें मादक द्रव्य की आपूर्त्ति की जाती हो,

(viii) निर्वाचन के प्रसंग में किसी ऐसे परिपत्र, विज्ञापन या इश्तहार का जारी किया जाना जिसपर इसके मुद्रणकर्त्ता और प्रकाशक का नाम और पता नहीं हो ;

(ix) कोई अन्य आचरण जिसे राज्य सरकार नियम बनाकर भ्रष्ट आचरण विनिर्दिष्ट करे।

142. भ्रष्ट आचरण के संबंध में आदेश– इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण के चलते किसी स्थानीय प्राधिकार की सदस्यता से पाँच वर्षों की अवधि के लिये निरर्हिता हो जायगी। इसकी गणना उस तारीख से की जायगी जिस तारीख से ऐसे आचारण के संबंध में विहित प्राधिकारी का निष्कर्ष इस अधिनियम के अधीन प्रभावी हो।

143. आदेशों की संसूचना– विहित प्राधिकारी इस अधिनियम कि धारा 142 के अधीन दिए गए आदेशों की घोषणा करने के पश्चात् उसकी प्रति जिला दंडाधिकारी के पास भेज देगा ।

144. यदि कोई स्थान रिक्त हो जाए तो नया निर्वाचन – यदि इस अधिनियम के अधीन किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो गया हो अथवा रिक्त हुआ समझा जाय तो इस प्रकार हुई रिक्ति के लिये इस अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार नया निर्वाचन कराया जायेगा।

अध्याय VIII

प्रकीर्ण

145. समिति के निर्णय का पुनरीक्षण–प्रत्येक पंचायत को उसकी किसी समिति द्वारा लिए गए किसी निर्णय को पुनरीक्षित या उपांतरित करने की शक्ति होगी।

146. नियमावली बनाने की सरकार की शक्ति –(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियमावली बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन में रखा जायेगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन कोई नियम भूतलक्षी प्रभाव से बनाया जा सकेगा और जब ऐसा कोई नियम बनाया जाये तो नियम बनाए जाने के कारणों को एक विवरण में निर्दिष्ट किया जायेगा जिसे राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी उपान्तरण के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम का प्रभाव उसी तरह होगा मानो उसे इस अधिनियम में अधिनियमित किया गया हो।

(4) इस धारा के अधीन कोई नियम बनाने में सरकार इस बात का उपबंध कर सकेगी कि उसके उल्लंघन करने का दोषी कोई व्यक्ति, दोष सिद्ध होने पर पाँच सौ रूपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा और जहाँ इस प्रकार का उल्लंघन होता रहेगा वहाँ जिस प्रथम दिन से उल्लंघन शुरू होता हो, उस दिन को और उसके बाद के प्रत्येक दिन के लिए, पच्चीस रूपये तक के अतिरिक्त जुर्माने से वह दंडनीय होगा।

147. ग्राम पंचायत को उप–विधि बनाने की शक्ति–(1) कोई ग्राम पंचायत, इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाई गई नियमावली के अध्यधीन तथा जिला परिषद् की पूर्व मंजूरी से, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उप–विधि, जहाँ तक यह इसकी शक्तियों और कर्त्तव्यों से संबंधित है, बना सकेगी ।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई ग्राम पंचायत जिला परिषद की पूर्व मंजूरी ऐसी उप विधियां बना सकेगी, जैसा कि इस अधिनियम के अधीन उसे सुपुर्द किए गए कार्यों एवं दायित्वों के निष्पादन के लिए अपेक्षित हो ।

(3) उप–धारा (1) औार (2) के अधीन किसी उप–विधि बनाने के क्रम में ग्राम पंचायत ऐसी व्यवस्था कर सकेगी कि उस उप–विधि का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा, जैसा कि विहित किया जाय।

(4) किसी ऐसी उप–विधि के अधीन यह उपबंध भी रहेगा कि इसका उल्लंघन करनेवाले किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायगी कि वह जहांतक उसकी शक्ति में है, ऐसे उल्लंधन के कारण हुई हानि, यदि कोई हो, को दूर करेगा।

(5) इस धारा के अधीन बनाई गई सभी उप–विधियां पूर्व प्रकाशन की शर्त्त के अध्यधीन होगी और ऐसा प्रकाशन यथाविहित रीति से किया जाएगा।

148. पंचायत समिति को विनियम बनाने की शक्ति–(1) कोई पंचायत समिति इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनायी गई नियमावली के अध्यधीन तथा सरकार की पूर्व मंजूरी से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, जहांतक यह इसकी शक्तियों और कर्त्तव्यों से संबंधित है, अधिसूचना द्वारा विनियम बना सकेगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन बनाए गए विनियम पूर्व प्रकाशन की शर्त्त के अध्याधीन होंगे और ऐसा प्रकाशन यथाविहित रीति से किया जायगा

149. जिला परिषद् को विनियम बनाने की शक्ति–(1) कोई जिला परिषद् इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनायी गई नियमावली के अध्यधीन तथा सरकार की पूर्व मंजूरी से इस अधिनियम के प्रयाजनों को कार्यान्वित करने के लिए, जहां तक यह इसकी शक्तियों और कर्त्तव्यों से संबंधित है, अधिसूचना द्वारा विनियम बना सकेगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन बनाए गए विनिमय पूर्व प्रकाशन की शर्त्त के अध्यधीन होंगे औरऐसा प्रकाशन यथाविहित रीति से किया जायगा।

150. सरकार को मानक विनियम बनाने की शक्ति– (1) सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अध्यधीन तथा ऐसी अवधि के लिए, जो वह उचित समझे, प्रारूप के पूर्व प्रकाशन के बाद ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के लिए मानक विनियम और उप–विधि बना सकेगी।

(2) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद्, यथास्थिति उप–धारा (1) के अधीन बनायी गयी, मानक उप–विधि या बनायी गयी विनियम को प्रस्ताव पारित कर अंगीकृत कर सकेगी तथा ऐसी उप–विधि ऐसा विनियम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् की अधिकारिता में उस तिथि से प्रवृत होंगे, जैसा कि यथास्थिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद्, विहित रीति से प्रकाशित सूचना में विनिर्दिष्ट करे।

151. पंचायत क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्त्तन के फलस्वरूप पंचायतों को भंग करने और पुनर्गठित करने के लिए सरकार की शक्ति– (1) जब किसी कारण से पंचायत की सीमाओं में परिवर्त्तन किया जाये, तब सरकार राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके ऐसी पंचायत को आदेश में

विनिर्दिष्ट तिथि से भंग कर सकेगी और सम्बद्ध ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् को निदेश दे सकेगी किः–

(i) जिस ग्राम पंचायत के पंचायत क्षेत्र को, जिस पंचायत समिति के प्रखंड क्षेत्र को या जिस जिला परिषद् के जिला–क्षेत्र को विधटित किया गया हो उसे पुनर्गठित किया जाय, या

(ii) जिन ग्राम पंचायत क्षेत्र, प्रखंड या जिला को नवगठित किया गया हो उन्हें स्थापित किया जाय।

(2) जिन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद को उप–धारा (1) के अधीन भंग कर दिया गया हो, उनके सदस्य सरकारी आदेश में विनिर्दिष्ट तिथि से अपना–अपना पद छोड़ देंगे।

(3) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद्, जो उप–धारा (1) के उपबंधों के अधीन पुनर्गठित या स्थापित की गयी है, उसमें सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे और ऐसे सदस्य यथाशक्य वे होंगे जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद्, जो उप–धारा (1) के अधीन विधटित हुई है, के सदस्य थे।

(4) पंचायत समिति के प्रमुख अथवा, जिला परिषद् के अध्यक्ष का निर्वाचन इस अधिनियम में यथा उपबंधित रीति से होगा। ऐसे ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव, उपधारा (3) के उपबंध के अधीन सरकार द्वारा मनोनीत ग्राम पंचायत के सदस्यों के बीच से किया जायेगा।

(5) ऐसे पुनर्गठित या स्थापित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद् की अवधि छः माह से अधिक की नहीं होगी जैसा की सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(6) उप–धारा (5) के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् की अवधि की समाप्ति के पूर्व प्रत्येक ग्राम पंचायत , पंचायत समिति या जिला परिषद् इस अधिनियम द्वारा यथा उपबंधित रीति से गठित की जायेगी :

परन्तु जहाँ विधटित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् की शेष अवधि छह माह से कम हो तो ऐसी अवधि के लिए किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के गठन के लिए इस धारा के अधीन निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(7) उप–धारा (6) के अधीन गठित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् उस शेष अवधि तक ही कार्यरत रहेगी जिस अवधि तक विधटित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् कार्यरत रहती, यदि उसे विधटित नहीं किया गया होता।

(8) इस धारा के अधीन जब कोई ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् भंग होने पर पुनर्गठित या स्थापित की जाय, तो ऐसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् में निहित निधि एवं अन्य सम्पत्ति तथा ऋण के अंश एवं दायित्व इस धारा के अधीन पुनर्गठित या स्थापित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् में अन्तरित हो जायेंगे, जैसा कि सरकार लिखित आदेश द्वारा निदेश दे ।

(9) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् जो भंग कर दी गई है, के अधिकार और दायित्व जो सिविल और आपराधिक कार्यवाही, संविदा, करार और अन्य मामलों में संबंधित हैं तथा जो किसी पुनर्गठित या स्थापित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के प्राधिकार के अध्यधीन क्षेत्र के किसी भाग में उत्पन्न होते हों या संबद्ध हो वैसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् में निहित हो जायेंगे।

(10) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के प्राधिकार के अध्यधीन क्षेत्र के किसी भाग के संबंध में विघटित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् द्वारा की गई नियुक्ति, निर्गत की गई अधिसूचना, सूचना, अधिरोपित कर, किए गए आदेश, बनायी गयी स्कीम, प्रदत्त अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, बनाये गये नियम, विनियम या फारम जबतक जारी रहेंगे जबतक की ऐसी पुनर्गठित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् द्वारा इन्हें निलंबित न कर दिया जाय ।

(11) यदि पूर्ववर्त्ती उप–धाराओं के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आये तो सरकार आवश्यकतानुसार, राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर इस कठिनाई को दूर करने का कोई भी उपाय समयानुसार कर सकेगी।

152. पंचायतों के मामलों की जाँच–(1) सरकार अपने किसी पदाधिकारी से सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे मामलों के संबंध में जाँच करा सकेगी, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन सरकार या आयुक्त की मंजूरी, सहमति और उसका अनुमोदन या आदेश अपेक्षित हो।

(2) ऐसी जाँच करने वाले पदाधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की शक्ति होगी कि वह जाँच के निमित गवाह को उपस्थित होने, साक्ष्य और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य कर सके।

(3) सरकार या आयुक्त उप–धारा (1) के अधीन की गई जांच के खर्च के संबंध में तथा जिन पक्षकारों के द्वारा और जिस निधि से उन्हें भुगतान किया जायेगा उसके संबंध में भी आदेश कर सकेगा और ऐसा आदेश आयुक्त के अथवा उसमें नामित किसी व्यक्ति के आवेदन पर इस प्रकार कार्यान्वित किया जायेगा मानो कि वह किसी सिविल न्यायालय की डिक्री हो।

153. पंचायत कार्यालयों, उनके अभिलेख तथा लेखा का निरीक्षण – विभिन्न स्तर की पंचायतों के कार्यालय एवं उनके अभिलेखों तथा लेखा के नियमित अन्तराल पर निरीक्षण हेतु सरकार उपयुक्त पदाधिकारियों को विहित कर सकेगी । निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति संबंधित पंचायत को अग्रसारित की जायेगी जो निरीक्षण प्रतिवेदन में इंगित त्रुटियों या अनियमितताओं को निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति या आपूर्ति के दो माह के अन्दर दूर करेगी अथवा विहित पदाधिकारी को उन त्रुटियों अथवा अनियमितताओं के संबंध में यदि कोई स्पष्टीकरण देना चाहे, तो दे सकेगी । निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतियाँ ऐसे अन्य प्राधिकारियों को भी अग्रसारित की जायेंगी जैसा कि विहित किया जाये ।

154. सरकार द्वारा पुनरीक्षण एवं पुनरावलोकन की शक्ति – (1) राज्य सरकार स्वप्रेरणा से अथवा किसी हितबद्ध व्यक्ति से आवेदन प्राप्त होने पर किसी पंचायत या उसकी किसी स्थायी समिति की कार्यवाही की शुद्धता, वैधानिकता या किसी पारित निर्णय या आदेश के औचित्य पर अपने समाधान हेतु पंचायत या स्थायी समिति के अभिलेखों की मांग कर सकेगी एवं उसकी जाँच कर सकेगी और यदि किसी मामले में राज्य सरकार को प्रतीत होता है कि ऐसे किसी आदेश या निर्णय को उपांतरित, रद्द , उलटने या पुनर्विचार हेतु वापस किया जाना चाहिए, तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी :

परन्तु राज्य सरकार ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेगी जो किसी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, जब तक कि ऐसे पक्ष को इस मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न किया गया हो ।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग को लम्बित रखते हुए ऐसे निर्णय या आदेश, जो किसी पक्षकार के लिए हानिकारक हों, के निष्पादन को स्थगित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार स्वप्रेरणा से अथवा या किसी हितबद्ध व्यक्ति से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उप–धारा (1) के अधीन पारित आदेशों / आदेश के नब्बे दिनों के अन्दर किसी भी समय , ऐसा आदेश चाहे तथ्य या विधि की भूल या अज्ञानतावश पारित हुआ हो, का पुनरावलोकन कर सकेगी। उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट प्रावधान इस उपधारा की किसी कार्यवाही पर भी लागू होंगे।

155. विकास योजना का निरीक्षण–(1) पंचायत द्वारा अपने जिम्मे लिये गये निर्माण कार्यों या विकास स्कीमों के दक्षतापूर्ण और मितव्ययी निष्पादन के प्रयोजनार्थ, सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी या व्यक्ति, जो ऐसे निर्माण कार्य या विकास स्कीम के

निष्पादन या अनुरक्षण के प्रभार में हो, पंचायत के या उसके अधीन किसी पदाधिकारी को तकनीकी मार्गदर्शन या सहायता देना आवश्यक समझता हो, तो इस प्रकार प्राधिकृत पदाधिकारी या व्यक्ति ऐसा मार्गदर्शन, सहायता या परामर्श दे सकेगा और निर्माण या विकास स्कीम का निरीक्षण कर सकेगा जैसा वह ऐसे निर्माण या विकास स्कीम के संबंध में आवश्यक समझता हो और उसमें पायी गयी अनियमितताओं और सुधार के लिये अपना सुझाव देकर पंचायत को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) योजनाओं या स्कीमों को कार्यान्वित करने में, सरकारी विभागों पर लागू होने वाले सभी कार्यान्वयन नियम, जैसे खरीद, निविदा, गुणवता नियंत्रण, तकनीकी मंजूरी, लेखा और संपरीक्षा और पर्यवेक्षण यथा आवश्यक परिवर्तन सहित ऐसी सीमा तक और ऐसे समय के लिए लागू होंगे, जब तक कि इस संबंध में पंचायतों के लिए कोई नियम अलग से नहीं बनाये जाएँ ।

156. सरकार से निदेश–(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य और राष्ट्रीय नीतियों, सरकारी कार्यक्रमों एवं लोक महत्व के अन्य मामलों से संबंद्ध निदेश किसी पंचायत को निर्गत करना सरकार के लिए विधि संगत होगा और वैसे निदेश पंचायत पर बाध्यकारी होंगे ।

(2) सरकार–

(क) पंचायत के कब्जे में या उसके नियंत्रणाधीन अभिलेख या पंजी या अन्य दस्तावेज मंगा सकेगी।

(ख) पंचायत की विवरणी, योजना, प्राक्कलन, विवरण, लेखा या सांख्यिकी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी, और

(ग) ऐसी पंचायत से संबंद्ध कोई सूचना या उसके किसी विषय से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी ।

157. अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने हेतु आहूत विशेष बैठकों के संचालन के संबंध में जिला दंडाधिकारी की शक्ति – यदि जिला दंडाधिकारी की स्वप्रेरणा से अथवा किसी स्रोत से सूचना प्राप्त होने पर यह राय हो कि अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी पंचायत की विशेष बैठक के संचालन से संबंद्ध उपबंधों के मामलों में कोई अनियमितता या भूल की जा रही है, तो उसे ऐसा निदेश निर्गत करने की शक्ति होगी जो इस सम्बन्ध में अधिनियम के उपबंधो के अनुपालन हेतु आवश्यक हो । वह ऐसी बैठक में उपस्थित रहने के लिए किसी पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगा और ऐसे पदाधिकारी से रिपोर्ट मांग सकेगा ।

158. पंचायतों से शक्तियों और कृत्यों का प्रत्याहरण –(1) इस अधिनियम के अधीन पंचायत के किसी मामले के संबंध में शक्तियों, कृत्यों और कर्त्तव्यों का अंतरण होते हुए भी, उस निमित्त पंचायत के प्रस्ताव पर या जहां सरकार का समाधान हो जाये कि विषय के स्वरूप में परिवर्त्तन के कारण, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को माध्यमिक स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल में संपरिवर्तन, अथवा बीज गुणन फार्म को कृषि शोधफार्म में संपरिवर्तन या किसी पथ को उच्च पथ के भाग के रूप में संपरिवर्तन, वह विषय पंचायत की कृत्य सूची का सम्बद्ध विषय नहीं रह जायेगा और यदि ऐसे मामले के संबंध में शक्तियों, कृत्यों और कर्त्तव्यों को पंचायत से ले लेना आवश्यक हो, तो सरकार राजपत्र में अधिसूचना निकाल कर, उसमें विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसी शक्तियों, ऐसे कृत्यों और कर्त्तव्यो को वापस ले सकेगी और वैसा अनुषंगी और पारिणामिक आदेश दे सकेगी जो पंचायत में निहित संपत्ति, अधिकार एवं दायित्वों और कर्मचारियों सहित ऐसे मामलों को अपने प्रबंध में लेने हेतु उपबंध के लिए आवश्य हों, जो पंचायत को अंतरित किए गए हैं ।

(2) सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन पंचायत को समनुदेशित किसी क्रियाकलाप, कार्यक्रम या स्कीम में संशोधन या परिवर्धन कर सकेगी। ऐसी अधिसूचना जारी होने पर सुसंगत पंचायत कार्य सूची तदनुसार संशोधित समझी जायेगी।

159. ग्राम पंचायत के आदेश आदि के निष्पादन को निलम्बित रखने की जिला परिषद् की शक्ति–(1) यदि जिला परिषद् की राय में, ग्राम पंचायत के किसी आदेश या प्रस्ताव या ग्राम पंचायत के किसी प्राधिकारी अथवा पदाधिकारी के किसी आदेश के निष्पादन से या ग्राम पंचायत द्वारा या उसकी ओर से किया जाने वाला या किया जा रहा कोई कार्य अन्यायपूर्ण, विधि विरूद्ध या अनुचित है या इससे जन–साधारण को क्षति या क्षोभ होने की सम्भावना हो या इससे शान्ति भंग होती हो, तो वह आदेश द्वारा उसके निष्पादन को निलम्बित या प्रतिषिद्ध कर सकेगी।

(2) जब जिला परिषद् उप–धारा (1) के अधीन कोई आदेश करती है तो वह ऐसा करने के कारणों सहित एक विवरण, आदेश की एक प्रति के साथ, सरकार तथा उससे प्रभावित ग्राम पंचायत के पास तत्काल भेजेगी और आदेश को संपुष्ट या रद्द करना, या यह निदेश देना कि आदेश रूपान्तरण सहित या बिना रूपान्तरण के, स्थायी रूप से अथवा ऐसी अवधी के लिए जारी रहेगा जैसा की सरकार उचित समझे :

परन्तु इस धारा के अधीन पारित जिला परिषद् के किसी आदेश को ग्राम पंचायत के उक्त आदेश के विरूद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना, सरकार द्वारा संपुष्ट, पुनरीक्षित या उपान्तरित नहीं किया जायेगा।

160. पंचायतों का विधटन–(1) यदि जिला परिषद् अथवा सरकार की राय में कोई ग्राम पंचायत इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन सौंपे गये कर्तव्यों के निर्वहन में अनवरत चूक करती है या उसका दुरूपयोग करती है या कार्य करने में सक्षम नहीं है तो जिला परिषद् अथवा सरकार यथास्थिति राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर ऐसी ग्राम पंचायत कर विघटित कर सकेगी ।

(2) यदि सरकार की राय में, पंचायत समिति या जिला परिषद इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन उस पर अधिरोपित कर्त्तव्यों के निर्वहन में अनवरत चूक करती है या अपनी शक्ति का दुरूपयोग करती है या काम करने में सक्षम नहीं है या बार–बार चुक करती है, तो सरकार राजपत्र में आदेश प्रकाशित द्वारा यथास्थिति, ऐसी पंचायत समिति या जिला परिषद् को विधटित कर सकेगी।

(3) उप–धारा (1) या उप–धारा (2) के अधीन आदेश प्रकाशित करने के पूर्व, जिला परिषद् या सरकार यथास्थिति ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद को उन आधारों की संसूचना देगी जिन पर ऐसा करने का प्रस्ताव है, प्रस्ताव के विरूद्ध कारण बताने के लिये संबद्ध पंचायतों के लिये युक्तियुक्त अवधि निर्धारित करेगी और उसके स्पष्टीकरण तथा आपत्तियों पर यदि कोई हो, विचार करेगी।

(4) जब कोई ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् विधटित हो जाये तो ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् के सभी सदस्य आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसे सदस्य के रूप में अपना पद छोड़ देंगे।

(5) यदि कोई ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् विधटित हो जाये तो–

(क) ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् की सभी शक्तियों और कत्तव्यों का प्रयोग और निर्वहन विधटन की अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा जैसा यथास्थिति जिला परिषद या सरकार समय–समय पर इस निमित्त नियुक्त करे।

(ख) ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् में निहित सारी सम्पति विघन की अवधि के दौरान यथास्थिति जिला परिषद् या सरकार में निहित होगी, और

(ग) विघटन के फलस्वरूप पद रिक्त करने वाले व्यक्ति पुनर्निर्वाचन या पुनर्नामनिर्देशन के पात्र होंगे।

161. जिला पंचायत सेवा संवर्ग का सृजन – (1) जिला परिषद् कर्मचारियों के ऐसे संवर्ग का गठन ऐसी शर्तों एवं बंधेजों पर कर सकेगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय । ऐसे संवर्ग के सदस्यों को उस जिला की पंचायतों के भीतर स्थानान्तरित किया जा सकेगा ।

162. कर्मचारियों पर पंचायत की शक्ति– (1) ग्राम पंचायत का मुखिया, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी तथा जिला परिषद् का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अपनी–अपनी पंचायतों के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर सामान्य नियंत्रण रखेंगे।

(2) उप–धारा (1) में वर्णित पदाधिकारी पंचायत के ऐसे पदाधिकारी या कर्मचारी को पदच्युति , बर्खास्तगी एवं पदावनति से भिन्न कोई भी सजा दे सकेंगे ।

(3) उप–धारा (1) में वर्णित पदाधिकारी पंचायत के ऐसे पदाधिकारी या कर्मचारी की पदच्युति, बर्खास्तगी या पदावनति की अनुशंसा कर सकेगे और अपनी अनुशंसा संबंधित पंचायत को दे सकेंगे और पंचायत इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुरूप उस पदाधिकारी या कर्मचारी को पदच्युत, बर्खास्त या पदावनत कर सकेंगे।

(4) पंचायत के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिये बिना पंचायत द्वारा दंडित नहीं किया जायेगा।

163. अपील– (1) धारा 162 की उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश के संबंध में अपील अपनी–अपनी पंचायतों में की जायेगी ।

(2) धारा 162 की उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश के संबंध में ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति के आदेश के विरूद्ध जिला दंडाधिकारी या यथाविहित अन्य प्राधिकार के समक्ष अपील की जायेगी तथा जिला परिषद के आदेश के विरूद्ध संबंधित आयुक्त अथवा यथाविहित अन्य प्राधिकार के समक्ष अपील की जायेगी ।

(3) ऐसी अपील आदेश पारित होने के नब्बे दिनों के अन्दर विहित तरीके से दायर की जा सकेगी।

164. पंचायत के कर्मचारियों के कृत्य एवं शक्तियाँ – इस अधिनियम, इसके अधीन बनायी गयी नियमावली तथा इस संबंध में कोई सामान्य या विशेष निदेश, जो राज्य सरकार द्वारा दिये गये हों, के उपबंधों के अध्यधीन पंचायत द्वारा नियोजित पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी तथा ऐसे पदाधिकारी एवं कर्मचारी जिनकी सेवायें पंचायत को राज्य सरकार द्वारा सुपुर्द की गई हों, ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कार्यो का निष्पादन तथा ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो पंचायत द्वारा अवधारित किये जायें।

165. परियोजना, स्कीम आदि पर पंचायतों का प्रशासनिक नियंत्रण– (1) राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश, जो गजट में अधिसूचित किये गये हों, के अध्यधीन राज्य सरकार की संस्थाओं, परियोजनाओं, स्कीमों और कार्यालय जो ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर अवस्थित हों, के कृत्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण ग्राम पंचायत में निहित रहेंगे ।

(2) वैसी संस्थाएं, परियोजनाएं, स्कीमें, कार्यालय जिनकी अधिकारिता एक से अधिक ग्राम पंचायतों में हो, उनके कृत्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण, संबंधित पंचायत समिति में निहित रहेंगे।

(3) वैसी संस्थाएं, परियोजनाएं, स्कीमें, और कार्यालय जिनका कार्यक्षेत्र पंचायत समिति से बाहर हो, उनके कृत्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण जिला परिषद् में निहित रहेंगे।

उदाहरणः–

(i) प्राथमिक, मध्य एवं माध्यमिक विद्यालय , स्वास्थ्य उप–केन्द्र, चरवाहा विद्यालय, चापाकल, सिंचाई नलकूप इत्यादि जिनका सेवा क्षेत्र एक ग्राम पंचायत में हों, के कृत्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण ग्राम पंचायत में निहित होंगे।

(ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिनका सेवा क्षेत्र एक से अधिक ग्राम पंचायतों में हो, के कृत्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण संबंद्ध पंचायत समिति में निहित होंगे।

(iii) रेफरल अस्पताल, जिनका सेवा क्षेत्र एक से अधिक प्रखंडों में हो, के कृत्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण जिला परिषद् में निहित होंगे।

(iv) राज्य सरकार के पदाधिकारी एवं कर्मचारी जो इन संस्थाओं, परियोजनाओं, स्कीमों तथा कार्यालयों में कार्यरत हों, उनकी पदच्युति, बरखास्तगी या पदावनति से भिन्न अनुशासनिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण, निलंबित करने की शक्तियों सहित, संबंधित पंचायत में निहित होगा।

166. विकास योजनाओं की तैयारी–(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रति वर्ष विकास–योजना तैयार करेगी और उसे ऐसी तारीख से पहले तथा ऐसे फारम में पंचायत समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी जैसा विहित किया जाये।

(2) प्रत्येक पंचायत समिति अपने क्षेत्र के लिए संबद्ध ग्राम पंचायतों की विकास–योजनाओं को सम्मिलित करते हुए प्रति वर्ष विकास–योजना तैयार करेगी और ऐसी तारीख के पहले तथा ऐसे फारम में जैसा विहित किया जाय जिला परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

(3) प्रत्येक जिला परिषद् अपने क्षेत्र के लिए संबद्ध पंचायत समिति की विकास–योजनाओं को सम्मिलित करते हुए प्रति वर्ष जिले की विकास–योजना तैयार करेगी और उसे इस अधिनियम के अधीन गठित जिला योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

167. जिला योजना समिति–(1) पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और सम्पूर्ण जिला के लिए विकास योजना – प्रारूप तैयार करने हेतु सरकार प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति का गठन करेगी।

(2) जिला योजना समिति में निम्नलिखित होंगे –

(क) जिला परिषद् के अध्यक्ष,

(ख) जिला मुख्यालय पर अधिकारिता रखने वाली नगरपालिका के महापौर या अध्यक्ष,

(ग) सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट समिति के सदस्यों की कुल संख्या के कम–से–कम 4/5 भाग सदस्य, जो जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं के सदस्यों के बीच से, विहित रीति से जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आबादी के अनुपात में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में निर्वाचित होंगे :

परन्तु यह कि निर्वाचित सदस्यों में व्यावहारिक रूप से यथाशक्य पचास प्रतिशत महिलायें होंगी ।

परन्तु यह और कि यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों या पिछड़े वर्ग की कोटियों से कोई निर्वाचित सदस्य नहीं हों तो सरकार, जिला की पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के सदस्यों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों या पिछड़े वर्ग की कोटियों के सदस्यों को इतनी संख्या में मनोनीत कर सकती है जितना वह उचित समझे।

(3) लोक सभा के सभी सदस्यगण जो उस जिला का सम्पूर्ण या किसी हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हों; राज्य सभा के सभी सदस्यगण जो उस जिला में निर्वाचक के रूप में निबंधित हों; राज्य विधान सभा के सभी सदस्य जिनका क्षेत्र उस जिला के अन्तर्गत पड़ता हो; राज्य विधान परिषद् के सदस्यगण जो उस जिला में निर्वाचक के रूप में निबंधित हों, तथा जिला दंडाधिकारी और अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक/भूमि विकास बैंक समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे।

(4) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी समिति का सचिव होगा।

(5) जिला परिषद् का अध्यक्ष जिला योजना समिति का सभापति होगा ।

(6)जिला योजना समिति जिला में पंचायतों, तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करेगी और पूरे जिला के लिए विकास योजना प्रारूप बनाएगी।

(7) प्रत्येक जिला योजना समिति विकास योजना प्रारूप तैयार करते समय–

(क) निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगी,

(i) जिले में जिला परिषद्, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों , नगर पंचायतों, नगर परिषद्ो तथा नगर निगमों के परस्पर सामान्य हित के मामलों के साथ–साथ स्थानिक योजना, जल एवं अन्य भौतिक आौर प्राकृतिक साधन–स्त्रोत में हिस्सेदारी, आधारभूत संरचना का समेकित विकास एवं पर्यावरण संरक्षण ।

(ii) उपलब्ध संसाधनों का विस्तार एवं प्रकार चाहे वह वित्तीय हो या अन्यथा।

(ख) सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट संस्थाओं एवं संगठनों से परामर्श।

(8) प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति द्वारा अनुशंसित विकास योजना को सरकार के पास अग्रसारित करेगा।

168. पंचायतों के लिए वित्त आयोग–(1) सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर यथासम्भव शीघ्र और इसके बाद हरेक पांच वर्ष की समाप्ति पर जिला परिषदों ,पंचायतों समितियों और ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा सरकार को निम्नलिखित विषयों पर अनुशंसा देने के लिए वित्त आयोग का गठन करेगी–

(क) वैसे सिद्धान्त जो विनियमित करे

(i) राज्य और जिला परिषद्, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों के बीच सरकार द्वारा उद्ग्रहण योग्य ऐसे कर, शुल्क तथा फीस, के शुद्ध आगम का वितरण तथा ऐसे आगम का जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के बीच उनके अपने–अपने अनुपात के अनुसार वितरण ;

(ii) जिला परिषद्, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने वाले या उनके द्वारा विनियोजित किए जाने वाले कर, शुल्क एवं फीस का अवधारण।

(iii) राज्य की संचित निधि से जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान;

(ख) जिला परिषद्, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपाय,

(ग) जिला परिषद्, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय।

(2) वित्त आयोग में अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे।

(3) वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की ऐसी अर्हता होगी और उनकी नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी, जो विहित की जाये ।

(4) वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा।

(5) वित्त आयोग का अध्यक्ष या सदस्य सरकार के वित्त सचिव को स्वयं लिखकर अपने पद से त्याग–पत्र दे सकेगा, किन्तु जबतक सरकार द्वारा उसका त्याग–पत्र मंजूर न कर लिया जाय वह अपने पद पर बना रहेगा।

(6) उप–धारा (5) के अधीन अथवा अन्यथा किसी कारण से सदस्य या अध्यक्ष के त्याग–पत्र के कारण हुई आकस्मिक रिक्ति की पूर्त्ति नई नियुक्ति कर की जाएगी और इस प्रकार नियुक्त सदस्य या अध्यक्ष जिस सदस्य या अध्यक्ष के स्थान पर नियुक्त हुआ हो उसकी शेष पदावधि तक अपना पद धारण करेगा।

(7) आयोग को अपने कार्य–कलापों के संपादन में निम्नलिखित शक्तियाँ होगी, यथा;

(क) किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी से कोईं अभिलेख माँगना;

(ख) साक्ष्य देने या अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति को सम्मन करना; और

(ग) ऐसी अन्य शक्तियाँ जो विहित की जाएं।

(8) सरकार इस धारा के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक अनुशंसा को उस पर की गई कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के साथ राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

169. वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन–(1) प्रत्येक वर्ष अप्रैल की पहली तारीख के बाद यथाशीघ्र और ऐसी तारीख से पहले जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित की जाय, पंचायत सचिव ग्राम पंचायत के समक्ष पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित प्रतिवेदन ऐसे प्रपत्र में और ऐसे विवरण सहित प्रस्तुत करेगा जैसा कि सरकार निदेश दे तथा उस प्रतिवेदन को ग्राम पंचायत के संकल्प के साथ जिला परिषद् को भेजेगा ।

(2) प्रत्येक वर्ष अप्रैल की पहली तारीख के बाद यथाशीघ्र और ऐसी तारीख से पहले, जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति के समक्ष पूर्ववर्त्ती वर्ष से संबंधित प्रतिवेदन ऐसे प्रपत्र में और ऐसे विवरण सहित प्रस्तुत करेगा जैसा कि सरकार निदेश दें, तथा उस प्रतिवेदन को पंचायत के संकल्प के साथ जिला परिषद् को प्रेषित करेगा।

(3) जिला परिषद् उपधारा (1) और (2) के तहत प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर समेकित प्रतिवेदन सरकार को भेजेगी ।

(4) प्रत्येक वर्ष अप्रैल की पहली तारीख के बाद यथाशीघ्र और ऐसे तारीख से पहले, जैसाकि सरकार, द्वारा निर्धारित की जाए, जिला परिषद् का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पूर्ववर्त्ती वर्ष के दौरान जिला परिषद् के प्रशासन से संबंधित प्रतिवेदन ऐसे प्रपत्र (फारम) में व्योरे सहित तैयार

करेगा जैसा कि सरकार निदेश दे और प्रतिवेदन जिला परिषद् को प्रस्तुत करेगा। जिला परिषद् का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) सरकार के समक्ष उपधारा (3) और (4) के अधीन उपस्थापित प्रतिवेदन ग्राम पंचायत, जिला परिषद् और पंचायत समिति के कार्यो की समीक्षा से संबंधित सरकारी ज्ञापन सहित, विधान मंडल के दोनों सदनों में रखा जाएगा।

170. लोक सेवक :– ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के सभी सदस्यों, पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम 45,1860) की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा, जब वे इस अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी नियमावली या उप–विधि के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन के अनुसरण में या अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्य करें या करने के लिए तात्पर्यित हों।

171. निरसन और व्यावृत्ति –– समय–समय पर यथासंशोधित बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 19, 1993) इसके द्वारा निरसित किया जाता हैं ।

परन्तु ऐसे निरसन से निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा –

(क) उक्त अधिनियम के पूर्व प्रवर्त्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से किए गए या हुए किसी कार्य पर, या

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर, या

(ग) उक्त अधिनियम के विरूद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में दी गई कोई शास्ति , समपहरण या दंड पर, या

(घ) यथा पूर्वोक्त ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, समापहरण या दण्ड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर और ऐसा अन्वेषण विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा, और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड आरोपित किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम पारित न किया गया हो।

(ङ) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा, या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

(च) ऐसे निरसन (रिपील) के रहते हुए भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् जो इस निरसित अधिनियम के अन्तर्गत विधिमान्य रूप गठित हों, इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के गठन और प्रथम बैठक तक कार्य करते रहेंगे ।

(छ) ऐसे निरसन के होते हुए भी निरसित बिहार पंचायत राज अधिनियम,1993 के अधीन बनाये गये सभी नियम प्रभावी रहेंगे जबतक कि वे इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा प्रतिस्थापित न किये जाएं।

172. **कठिनाईयाँ दूर करना** – यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार अवसर की अपेक्षानुसार राजपत्र गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा कुछ भी कर सकेगी जो कठिनाई दूर करने में उसे आवश्यक प्रतीत हो।

173. **निरसन एवं व्यावृत्ति** – (1) बिहार पंचायत राज अध्यादेश, 2006 (बिहार अध्यादेश संख्या 1, 2006) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम, द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।